हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

4 अप्रैल, 1988

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 4 अप्रैल, 1988

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(12)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर	(12)25
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	

जिला भिवानी के अनैक गौवों में पीने के पानी के कथित भारी संकट संबंधीत	(12)25
वक्तव्य–	
जन स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(12)26
राज्यपाल से सन्देश	(12)29
घोषणा–	
सचिव द्वारा	(12)29
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(12)29
बिल्ज	
(1)दि पंजाब लेबर वैलफेयर फण्ड (हरियाणा अमैंडमैंट)बिल, 1988	(12)30
(2)दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट)बिल, 1988	(12)50
(3)दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुलेशन एण्ड डिवैल्पमैंट)अमैंडमैंट बिल, 1988	(12)64

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 4 अप्रैल, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ में **14.00 बजे** हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा)ने अध्यक्षता की।

ताराँकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

'FARD' of Land to Farmers

***180: Chaudhri Kishan Sangwan :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any Copying agency at Tehsil level for providing copy of the 'Fard' of the land-to the farmers at the cheaper rates ?

राजस्व मन्त्री (श्री सूरज भान): जी नही।

चौधरी किशन सिंह सांगवानः स्पीकर साहब, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नो में दे दिया है। मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि कचहरी मे 20–20 साल पुराने केसिज चलते रहते हैं। वहां पर कोई भी नकल किसी भी समय मांगी जा सकती है। किसान का सीधा सबंध पटवारी से होता है। किसान को हर कदम पर नकल लेने में रुकावट आती रहती है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानो को फर्द तहसील स्तर पर देने के लिए किसी नकल

एजेंसी की स्थापना के लिए जो नो मे जवाब दिया है, वह किन कारणों से दिया है।

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि जमाबन्दी कीं फर्द पटवारी मे तहसील से और जिला केन्द्र मे मिल सकती है लेकिन किसान को गिरदावरी की नकल पटवारी से ही मिल सकती है न कि तहसील से।

चौधरी किशन सिंह सांगवानः स्पीकर साहब, हर नहसील पर कानूनगो बैठता है और हर डिस्ट्रिकट हैड क्वार्टर पर भी स्टाफ होता है। इस काम के चिप किसी नए स्टाफ की खील और जिले के लैवल फर कोई आवशक्ता नहीं है। जो मौजूदा स्टाफ काम कर रहा है, उसी से यह काम चलाया आ सकता है क्योंकि किसानों को सिर्फ नकल लेने की सुविधा देने की बात है। जब मौजूदा स्टाफ से काम चलाया जा सकता है तो फिर ये मेरे प्रश्न का जवाब ना मे क्यो दे रहे हैं?

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, तहसील में जो कानूनगो बैठता है यह केवल तसदीकशुदा नकल देता है, बाकी नहीं देता।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, यह बात सामने आई है कि किसानों को पटवारी से नकल लेने में कठिनाई आती है। मैं भी यही चाहता हूं कि जिस प्रकार से अदालतों में कौपिंग एजेंसी हैं और वहां से लोगों को किसी भी फैसले की नकल मिल सकती है उसी तरह से किसानों को यह सुविधा तहसील आफिस

से या जिला आ फिस से क्यो नहीं मिल सकती दूसरे मैं मन्त्री जी मे जानना चाहता हूं कि क्या ये पटवारी से फर्द लिए जाने का कोई समय मुकरर्र करेंगे कि इतने दिनों में फर्द या और दूसरी नकल पटवारियों मे मिल सकती है?

श्री सूरज भानः मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री के आदेश पर हम एक स्कीम पर विचार कर रहे हैं। यदि यह स्कीम सिरे चढ़ गई तो फिर किसानो को पटवारी से फर्द वगैरा लेने की जरूरत नही पड़ेगी। इस स्कीम के तहत हम किसानों को एक पास बुक इशु करने की सोच रहे खँ जिसमें उसकी मलकियत और गिरदावरी आदि का नम्बर वगैरा लिखा होगा।

श्री आत्मा राम गोदाराः मन्त्री जी ने बताया है कि पटवारी से किसान को फर्द मिल सकती है और तहसीलदार के आफिस से भी मिल सकती है। मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से नकल किसानों को तभी मिल पाती है जब पटवारी किसान को खसरा, खतौनी नम्बर व जमा बन्दी नम्बर आदि की नकल या नम्बर लिख कर दे। जब तक पटवारी किसान को कु छ लिख कर नही दे देता तब तक उसको कोई नकल नहीं मिल सकती। क्या मन्त्री जी ऐसा कोई प्रावधान करेंगे कि पटवारी मे एप्लाई करने के बाद इतने दिन बाद नकल मिल जाएगी और डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में एप्लाई करने के इतने दिन बाद नकल मिल जाएगी?

श्री सूरज भानः कोशिश की जाएगी कि जितनी जल्दी हे सके किसानों को फर्द वगैरा की नकल मिल सके।

श्री परमा नन्दः अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सरकार ने दुकानों की चीजों के रेट लगवाए है कि फलां चीज इतने पैसे की. मिलेगी, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उसी प्रकार पटवारी से या डिस्ट्रिक्ट हैडक्यार्टर से गिरदावरी की नकल या इन्तकाल की नकल या इसरी नकलें लेने के लिए रेट फिक्स किए जाएंगे कि नकल के इतने पैसे पटवारी को देकर नकल मिल सकती है और इतने पैसे हैड क्वार्टर पर दे कर नकल मिल सकती है?

श्री सूरज भानः लिस्ट तो मुमकिन नही है क्योंकि हर नकल का अलग अलग रेट होता है। पटवारी जो नकल देता है या दूसरी नकलें जहां से भी ली जाती हैं उन पर नकल का रेट लिखा होना है कि इतने पैसे लिए नए हैं।

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने जवाब दिया था कि हम किसा नो को पास बुक इशू करने की सोच रहे हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों को पास बुक इशू करने का फैसला कब तक हो जाएगा और यह केस इस समय किस स्टेज पर है?

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, अभी हम इस बारे में दूसरी स्टेटों की स्टडी कर रहे हैं कि वहां पर क्या किया जा रहा

है। इस में समय लग सकता है, इसलिए कोई निश्चित समय बताना संभव नही है।

श्री मनी रामः अभी मन्त्री जी ने एक सवाल के जवाब में बताया है कि नकल पर लिखा होता है कि इतने पैसे की यह नकल है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि नकल पर यह लिखा होता है कि नकल असल के मुताबिक दुरुस्त है और नकल की उजरत वसूल पाई पैसे नहीं लिखे होने कि इतने पैसे इस एक नकल के **श्री सूरज भानः** जो नकल होती है उस पर कुल पै से भी लिखे होते हैं कि इतने पैसे पाए गए। इसलिए हिसाब लगाया जा सकता है कि एक नकल के कितने पैसे बनते हैं। दूसरे आगे से हरेक नकल के अलग से पैसे लिए जाने के बारे में भी नकल पर लिख दिया जाएगा।

श्री कैलाश चन्द शर्माः मैं मन्त्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस समय कई स्थानों पर पटवारियों के बैठने का स्थान निश्चित नहीं है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पटवारियों को कही पर बैठने का स्थान निश्चित किए जाने पर सरकार विचार करेगी ताकि पटवारियों से किसानों को फर्द वगैरा या दूसरी नकलें लेने में को ई दिक्कत न आए?

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, अभी तक हर जगह पटवारखाने नहीं बनाए गए हैं। कई स्थानों पर तो किराए पर भी इस काम के लिए मकान लिए हुए हैं लेकिन अब मैं सदस्यों की

जानकारी के लिए बताना चा हूंगा कि हमने पटवारियो के लिए ये आदेश जारी कर दिए हैं कि वे भी दूसरे औफिसिज में काम करने वा ले कर्मचारियों की तरह प्रातः 9.00 बजे से लेकर शाम तक यानी 5.30 बजे तक जो उनके बैठने का स्थान निश्चित होगा, बैठा करेंगे। यदि वह वहां से किसी काम के लिए यानी गिरदावरी वगैरा के लिए जाएगा तो. अपने मूवमेंट रजिस्टर में लिख कर जाएगा कि मैं इतने समय तक वहां पर हूगा जिसने मिलना हो, वहां पर मिल सकता है।

श्री परमा नन्दः अध्यक्ष महोदय, जैसे कहा जाता है कि delay breed corruption. आम तौर पर करप्शन डिले की वजह से होती है। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि डिले को दूर करने के लिए ऐप्लीकेशन की डेट और फर्द देने के समय को निश्चित करने का विचार करेंगे?

श्री सूरज भानः आमतौर पर ऐसा होता है कि किसान ऐप्लीकेशन देता ही नही। वह जबानी कहता है कि फर्द चाहिए। अगर कोई ऐप्लीकेशन देगा तो लाजमी तौर पर उसी दिन फर्द दिलवाएंगे।

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, आमतौर पर हल्के मे पटवारी नही रहता है जिसके कारण लोगों को नकल लेने में तकलीफ होती है। जिस गांव मैं उसे होना चाहिए उस गांव में नही रहता है। तहसील में कई पटवारी एक कमरा ले लेते हैं और

वहां सारे बैठे रहते है। जव किसान वहां जाता है तो उसके साथ अच्छा बर्ताव नही करते। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि कोई ऐसा इन्तजाम कराएंगे कि वे अपने पटवारखाने में बैठे रहें?

श्री सूरज भानः आदेश जारी कर दिए है कि उसे गांव में ही बैठना पडेगा।

श्री हजार चन्दः मन्त्री महोदय ने पास–बुकस का जिक्र किया है। ये पास बुकस तो पहले भी जारी हुई थी। मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि ये पहले बन्द क्यों की गई, जारी क्यो नही रह सकी?

श्री सूरज भानः यह बात ठीक है कि पहले पास–बूकस जारी की गई थी। बीच में छोड़ दी गई क्योंकि उनमें एन्टरीज ना–काफी थी। उन्हें रिवाइज करके पूरी एन्टरीज करने की कोशिश करेंगे।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, पटवारी अपने पटवारखाने में नही होते हैं। वे किसी किराए के मकान मे होते हैं। जब वे गवर्नमैंट के ऐम्पलाई हैं तो क्या सरकार उनके लिए सरकार की तरफ से पटवारखाने बनवाएगी?

श्री सूरज भानः उसके लिए सरकार के पास फण्डज बात कम है। जैसे जैसे फण्डज मिलते जाएंगे, बनाते जाएंगे।

डा० बृज मोहनः स्पीकर साहव, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या फर्द और जमाबन्दी नकल के लिए तहसील से फार्म मिलते हैं या नहीं। अगर नहीं मिलते हैं तो क्या इन सवालों के लिए फार्म बगने की योजना पर सरकार वचार करेगी?

श्री सूरज भानः किसान पटवारी से आकर कहता है कि मुझे फलां नकल चाहिए वह मिल जाती है।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, कांग्रेस के शासन काल में कोई भी फर्द बिना पैसे के नहीं मिलती थी? क्या माननीय मन्त्री महोदय के पास इस प्रकार की कोई शिकायत आयी है और आयी है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सूरज भानः फिलहाल कोई सिकायत नहीं है। हम फुलप्रूफ सिस्टम अख्तियार करने या रहे है जससे कोई शिकायत ही न रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 163

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योकि इस समय माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 159

वह प्रश्न पूछा नही गया क्योकि इस समय माननीय सदस्य, भी सतबीर सिंह कादयान, सदन में उपस्थित नही थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 193

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योकि इस समय माननीय सदस्य, श्री वैद सिंह मालिक, सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 214

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री भगवान सहाय रावत, सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 394

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योंकि दस समय माननीय सबस, श्री योगेश चन्द शर्मा, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Liquor Vends Auctioned in the State

***326. Shri Hira Nand Arya** Will the Minister for Home be

pleased to state—

(a) the total number of liquor vends auctioned in the State during the year 1987;

(b) the number of vends, out of those as referred to in part (a) above, which have been closed as a result of complaint made by the' village Panchayats togetherwith the number of such Panchayats;

(c) the number of such vends proposed to be auctioned during the year 1988-89;

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to issue licences for Bars; if so, the number of such licences to be issued during the year 1988-89; and

(e) whether any raids were conducted on the liquor shops during the year 1987-88 (up to 29-2-88); if so, the result thereof togetherwith the action, if any, taken against any of the officers/officials found involved under the anti-corruption campaign ?

गृह मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) 1,009।

(ख)

(1) बन्द किए गए ठेके 3

(2) ग्राम पंचायतें 3

(ग) कोई नहीं।

(घ) हां। ऐसे लाईसैसों की अभी कोई संख्या नियत नही की गई है।

(ड) वर्ष 1987–88 (29–2–88 तक)शराब के, ठेको पर 6 रेड किए गए थे जिसके फलस्वरूप प्रीवैन्शन औफ करप्शन ऐक्ट की धारा 5(2)47 व आई० पी० सी० की धारा 161 के अन्तर्गत विभिन्न पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। एक उप पुलिस

अधीक्षक, दो आबकारी व कराधान अधिकारी व एक सहायक आबकारी व कराधान अधिकारी को निलम्बित किया गया है। मामले में जांच की जा रही है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अपने उत्तर के घं भाग में कहा है कि ऐसे लीईसैसों की अभी कोई सख्या नियत नहीं की मुई है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय सै यह जानना चाहूंगा कि ऐसी संख्या नियत करने मे क्या दिक्कत है?

प्रो० सम्पत सिंहः लाईसैसों की सख्या निश्चित नहीं की गई है। बार लाईसैंस दिए जाएंगे। बार लाईसैस के लिए डेढ़ लाख रुपए की फीस रखी गई है और कुछ कन्डीशन्ज भी लगाई गई है। यह कार्यवाही पूरी करने के बाद ही लाईसैसं दिए जाएंगे लेकिन यह मामला अभी अण्डर प्रोसैस है और लोकेल्टी, आबादी और मांग आदि को देखकर ही यह सख्या निश्चित कई जाती है

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हू कि इस प्रकार की मांग कहा–कहा से आई है और इन्होने किस–किस जगह लाईसैसं दिये है?

प्रो० सम्पत सिंहः इनके ऐग्जैक्ट नम्बर और स्थान तो इस समय मेरे पास नही हैं क्योंकि जो ऐप्लिकेशन्ज आती है वे जिला हैडक्वार्टरों पर आती हैं। स्टेट हैडक्वार्टर पर अब तक केवल एक ऐप्लिकेशन आई है।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने पहले भी बताया है कि सार्वजनिक संस्थानों, बस–स्टैडो, रेलवे स्टेशनो तथा धार्मिक स्थानों के नजदीक शराब के ठेके नही खोले जाएंगे। मेरे हल्के में रेलवे स्टेशन के सामने एक शराब का ठेका खोला गया है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस ठेके को बन्द करने अथवा इसे किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के बारे विचार करेंगे?

प्रो० सम्पत सिंहः सार्वजनिक स्थानों, बस–स्टैण्डों रेलवे स्टेंशन तथा धार्मिक स्थान से शराब का ठेका 100 मीटर दूर होना चाहिए। यदि किसी ठेके के 100 मीटर के दायरे के अन्दर होने की कोई शिकायत हमारे पास आती है तो हम उस पर कार्यवाही करते हैं।

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, कुछ ठेकेदार शराब अपने ठेकों से नहीं बेचते और गांव में कुछ खुड्डिया लगा लेते हैं और अपने कुछ एजैन्ट लगा कर गांवों में शराब बेची जाती है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है?

प्रो० सम्पत सिंहः ऐसी शिकायतें हमारे पास आती ही रहती हैं और हम एक्साईज ऐक्ट के अन्तर्गत ऐसी शिकायतो पर कार्यवाही करते हैं।

श्री देवी दासः अध्यक्ष महोदय, यदि गांवों में पंचायत रैजोल्यूशन पास करके दे देती है तो वहां शराब का ठेका नही खोल सकते। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि नगरपालिका क्षेत्र में यदि नगरपालिका अध्यक्ष या नगरपालिका कमिश्नर यह लिख कर दे दे कि अमुक स्थान पर ठेका न खोला जाए सो क्या इस पर कोई ऐक्शन लिया जाता है?

प्रो० सम्पत सिंहः ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या किसी डिस्ट्रिक्ट हैडक्यार्टर से इस प्रकार की कोई शिकायत आई है कि सार्वजनिक स्थानों या धार्मिक स्थलों पर शराब के ठेके न खोले जाएं?

प्रो० सम्पत सिंहः ऐसी कोई शिकायत हमें प्र नही हुई है।

श्री कांति प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने मेरी शिकायत पर नये पंचकूला में दौ शराब के ठेको को सड़क से परे करवा दिया है। पुरने पंचकूला में शराब के दो ठे के हैं जो कि मन्दिर से करीब 20 मीटर की दूरी पर खुले हुए हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन होनो ठे कों को वहां से शिफ्ट करने करे कोई पग उठाएगे?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इनके हल्के से हस प्रकार की कोई लिखित सिक प्राप्त नहीं हुई है। यदिं माननीय सदस्य लिख कर दे दें तो हम इस बारे जांच कर लेंगे और यदि

फासला कम हुआ सौ इन सराब के ठेकों को वहां से हटवा दिया जाएगा।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने सवाल के क भाग कें जवाब मे नीलाम किए गए ठे कों की संख्या 1,009 बताई है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूं गा कि यदि इनके पास पिछले सालों की फिगर्ज हो तो उन्हें देख कर बताने की कृपा करे कि वर्ष 1988 – 89 में आबकारी नीति के अन्तर्गत जो ठेके दिए गए हैं उनमें कितना अन्तर है अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो शराव के ठे कों की नीलामी में वृद्धि हुई है और दूसरी तरफ सरकार यह प्रचार कर रही है कि शराब लोग कम पीये, ये दो विरोधी बातें हैं क्योंकि लाईसैन्सों की संख्या पिछले वर्षो की अपेक्षा इस वर्ष बढ़ी है। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इस का क्या कारण है?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, जहां तक पिछले सालों की फिगर्ज का ताल्लुक हुँ, वर्ष 1987–88 में शराब की 1009 दुकाने खोली गई थी। इस साल इन दुकानों की संख्या 1053 है। जहां तक लो गों को शराब न पीने दे ने के लिये प्रचार की बात का सम्बन्ध है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी यह पालिसी है कि लोग खराब न पीये या बहुत ही कम पीये इस प्रकार का हम प्रचार कर रहे हैं और इस बारे लोगों को ऐजुकेट भी करेंगे कि वे शराब न पीये। लेकिन जो लोग शराब के आदी कुए उन्हें तो शराब उपलब्ध करवानी ही पडेगी।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं मै कि सरकार जो आज कम प्राईवेट रूप से ठेके नीलाम करबी है क्या इन्का सरकारी करण करने का कोई इरादा है?

प्रो० सम्पत सिंहः ऐसा कोई इरादा नही है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने बताया कि 1987– 88 में 6 ठेके रेड किए गए और धारा 161 के अधीन अधिकारियो के खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए। रिश्वत लेने वाला भी दोषी होता णै और देने वाला भी दोषी होता है। क्या ठेकेदारों के खिलाफ भी कोई पर्चा दर्ज किया गया या नहीं

प्रो० सम्पत सिंहः पर्चे बाकायदा दर्ज है और केसिज की इनवैस्टीगेशन हो रही है?

श्री नर सिंह ढांडाः स्पीकर साहब, इन ठेकों की बजट आज कल गांवों में मिनी ठेके खुल रहे है, इनको हटाने के निरे सरकार क्या कर रही है?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, हमारे पास जैसे ही ऐसी कम्पलेंट आती है हम ऐसे ठेकों को हटाने की कोशिश करते है।

श्री टेक चन्दः स्पीकर साहब, शराब की बोतल पर जो लेबल लगा होता है उस पर लिखा होता है कि शराब पीना हानिकारक है और यह एक विष है। मै मन्त्री जी से जानना चाहता

हू कि यह जब विष है और शराब पीना हानिकारक है तो सरकार ऐसी नीति क्यो अपना रही है?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, हम खुद प्रचार करते हैं कि शराब पीना अच्छी वात नही, हम खुद इसे इस्तेमाल नही करते लेकिन अगर लोगों की मांग है तो उसे मानना पड़ेगा।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आगके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि महात्मा गांधी की अनुयायी, वर्तमान लोकप्रिय सरकार गांधी जी के आदर्श के अनुसार क्या शराब वन्दी करने का कोई विचार रखती है?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, सरकार शराब बन्दी का विचार तो नहीं रखती लेकिन लोगों को ऐजुकेट जरूर करेंगे कि शराब मत पीओ।

चौधरी किशन सिंह सांगवानः क्या मन्त्री जी के नोटिस मे हुऐ कि सोनीपत जिले मैं कथूरा में लोगों ने औकशन से पहले ही औबजैक्शन किया था कि वहां पर ठेका न खोला जाए लेकिन फिर भी ठेका खोल दिया गया और वहाँ पर लोग पहली अप्रैल से धरने पर बैठे हैं? इस बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जहां रोक औबजैक्शन करने की बात है एक अप्रैल से 30 सितम्बर तक पंचायत रैजोल्यूशन पेश करती हैं कि हमारे गांव में ठेका न खोला जाए

लेकिन अगर उस गांव के पास इलीसिट या नाजायज शराब बनती हैं और उस बारे में बिदइन टाईम लिमिट एप्लीकेशन नही आती तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, संविधान के डायरैक्टिव प्रिसिपल्ज के अनुसार देश में शराब बन्दी होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी और संविधान के निर्माताओं ने जो कहा था उस दिशा में हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है और सरकार के पास अब तक पंचायतों की तरफ से कितनी ऐप्लीकेशंज आई हैं, कि उनके गांव में ठेका बन्द कर दिया जाए?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, आर्य साहब ने मेन सवाल 1987 के बारे में पूछा है। उस समय हमारी सरकार नही थी। उस समय 119 ग्राम पंचायतों के रैजोल्यूशन आए थे उनमें से 11 दुकानें बन्द की थीं। इन्होंने जो बात अब पूछी वह सवाल अलग है कि कम्पलेंट आने के बाद भी ठेके खुले।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार लोगों में शराबखोरी के विरुद्ध शिक्षा देगी और दूसरी तरफ शराब की बिक्री को बढ़ावा देगी। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इस से सरकार की इस कथनी और करनी में अन्तर नजर नहीं आयेगा?

प्रो० सम्पत सिंहः जी नहीं, बढ़ावा देने की कोई बात नहीं है। सवाल तो लोगो को ऐजुकेट करने का है। पहले हमें

उनको ऐजुकेट करना है उसके याद दूसरी बात कंसीडर की जा सकती है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि पिछले साल देसी शराब के कितने ठेके थे और अंग्रेजी शराब के कितने ठेके थे और इस साल में देसी शराब के और अंग्रेजी शराब के कितने कितने ठेके खोले गये हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः सर, पिछले साल देसी शराब के ठेके थे 673 और इस बार 704 हैं और अंग्रेजी शराब के पिछले साल ठेके थे 340 और इस बार 349 है।

चौधरी किशन सिंह सांगवानः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जनरल सा जवाब दे दिया गया है। मेरा सवाल स्पैसिफिक था। क्या कथूरा गांव की कोई एक कम्पलेंट आयी थी कि हमारे गांव में ठेका न खोला जाये, अगर आयी थी तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैंने यही कहा था कि पहले रुल्ज के मुताबिक जो गांव की पंचायत रैजोल्यूशन पास कर देती है, उसको हम देखते हैं। जहां तक कथूरा गांव की कम्पलेंट की बात है, मुझे जवानी पता नहीं है। वह मैं पता करा लूंगा।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर सर, अभी मन्त्री जी ने यह बताया है कि पिछले साल देसी शराब के 673 और अंग्रेजी

शराब के 340 ठेके थे। अगर इनको कम करने की कोई गुजाईश नही थी तो बढ़ाये क्यों गये हैं। 9 तो अंग्रेजी शराद के ठेके बढ़ा दिये गये हैं और 41 देसी शराब के ठेके बढ़ा दिये गये हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः देसी शराब के 41 नहीं, 31 ठेके बढ़े हैं।

Earthen Dams in Kalka and Naraingarh Constituencies

***256. Shri Jagpal Singh Chaudhri : Will the** Minister of State for Agriculture be pleased to state the number of Earthen Dams, if any, constructed in Kalka and Naraingarh constituencies togetherwith the total amount spent on these Dams constitue cy-wise ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह): अब तक कालका निर्वाचन क्षेत्र में 35 वाटर हारवैस्टिंग इम्बैकमैंट डेम तथा नारायणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में 9 डैम बनाए गए जिन पर क्रमश 170. 26 लाख रुपए तथा 28.53 लाख रुपए खर्च हुए।

श्री जगपाल सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्दी महोदय से यह पूछन ६ चाहता हूं कि यह जो डिस्क्रिमीनेशन है यह क्यों है? कालका और नारायणगढ़ कांस्टीच्यूएंसीज में नम्बर के लिहाज से चार गुना और धनराशि के लिहाज से छः गुना का फर्क है। क्या इसकी वजह यह थी कि नारायणगढ़ का एम० एल० ए० कमजोर था? अगर हां, तो इस डिस्किमीनेशन को कब तक दूर कर देंगे?

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, कालका और नारायणगढ़ हल्को के बारे में मेरे एक माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है। मैं इस बारे में उनको यह बताना चाहूंगा कि इस में कोई दो राय नहीं है कि कटाव की स्थिति इन हल्कों में बहुत ही गम्भीर है। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि इसके लिये हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और लगाया जाये। इन हल्कों में कुल 44 डैम बनाये गये हैं। उसमें से 35 डैम अकेले कालका के हल्के में बनाये गये और 9 डैम नारायणगढ़ हल्के में बनाये गये। इन पर कुल रकम लो खर्च की गयी है, वह है 198.79 लाभ रुपया।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर सर, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि मेरा रादौर हल्का जो जमुना के किनारे के आस–पास पड़ता है, क्या कहां पर भी इस प्रकार के मिट्टी के बांध बनाये जायेंगे।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, रादौर हल्का जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। वहां पर कोई मिट्टी का बाध न तो बनाया गया है और न ही बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री भाग मलः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि नारायणगढ़ और कालका में डिस्क्रिमीनेशन हो रहा

है, नारायणगढ़, सढ़ौरा, छछरौली और कालका यह पास– पास ही हैं। कामका के एरिया में तो बहुत बांध बना दिये गये लेकिन नारायण– गढ़ में कम बनाये गये। में इनसे यह जानना चाहता हू कि क्या सढौरा और छछरौली क्षेत्र में भी इस किस्म के बांध बनाकर लोगों को पानी मुहैया किया जायेगा क्योंकि वहां पर न तो डीप ट्यूबवैल कामयाब है और न ही वहां पर नहरी पानी मिलता है?

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हर समय यही सोचती है कि हरियाणा के किसान का और हरियाणा के दूसरे निवासियो का जिस तरह भी भला हो सके वह किया जाए। हरियाणा के किसान तथा हरियाणा के निवासियों के हित में जो भी काम हैं वह यह सरकार करना चाहती है। सढौरा में भी अमर बाद बनाने की जरूरत होगी तो वहां भी बनाएंगे।

श्री जगपाल सिंह चौधरीः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नारायणगढ़ के साथ के भेदभाव है उसको दूर करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी?

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस भेदभाव को हम जरूर ठीक करेंगे।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, जमुना के पास हरियाणा सरकार द्वारा बांध बनाए जाते हैं और यू० पी० सरकार द्वारा भी बांध बनाए जातै है जिससे कि भूमि का कटाव बन्द हो

लेकिन भूमि का कटाव हरियाणा की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि यू० पी० की सरकार बड़े–बड़े और मजबूत बांध बना रही है जिसकी वजह से भूमि का कटाव हरियाणा की तरफ बढ़ता जा रहा है?

श्री बलबीर सिंहः स्पीकर साहब, सरकार के नोटिस में ऐसी कोई बात नही है। मैं एक बात सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने इस तरह के जो बांध बनाए हैं उनसे जनहित को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है।

श्री जयपाल सिंह चौधरीः क्या मन्त्री महोदय वसाने छी कृपा करेंने कि धनाना कठर मैड स्कीम जो दो करोड़ रुपए से गवर्नमैंट आफ इदिया से मन्जूर हुई है उसको कर तक लागू कर देगे?

श्री बलबीर सिंहः स्पीकर साहब, यह सैपरेट क्यैश्चन है इसलिये इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

Linking of Villages with Metalled Roads

280. Shri Maha Singh : Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to link the following villages with metalled roads in Rai Constituency of district Sonipat :-

(i) from Nahri to Mallab Majra via Kheri Marajat;

(ii) Chhetera to Rathdhana Railway Station;

(iii) Safiabad to Manirpur;

(iv) Raipur to G.T. Road;

(v) Rathdhana to Liwan;

(vi) Bindbroli to Bhawapur ?

लोक– निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज):

क्रम संख्या (1)तथा (5)पर वर्णित सड्कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है 1

कम संख्या (2), (3)(4)तथा (6)पर वर्णित शेष चार सड्कों की प्रशासकीय अनुमति जारी हो चुकी है।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब छः जगहो में से चार जगहों की सडको को अनुमोदित करने के लिए मैं मन्त्री महोदय का शुक्रिया अदा करक हूं। लेकिन हो रोडज छोड़ दी हैं जो सीरियल नम्बर एक और पांच पर है। क्या मन्त्री महोदय इनको भी अनुमोदित करने का कष्ट करेंगें?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, फिलहाल तो इनकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल नहीं दी गई है। अगर डा० साहब का आग्रह वना या और हमारे पास ऐडीक्वेट साधन रहे तो इनको भी मन्जूर कर देंगे।

श्री जगपाल सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बार बार कहा जा चुका है कि हरियाणा में हर गांव को सड़क से

कनैक्ट कर दिया गया है। क्या क्सी महोदय बताने की कृपा करेगे कि हर गांव को सिंगल लिंक रोड से कनैक्ट कर दिया गया है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लिंक रोड के बारे में पूछा है। मैंने पहले भी बताया था कि हरियाणा में 37 ऐलीजीबल गांव ऐसे हैं जिनमें लिंक रोड मुहैया नहीं की जा सकी हैं। मेरा ख्याल है कि ऐडीक्येट फण्डज आने पर सैवन्थ फाइय ईयर प्लान में इनको भी लिंक रोड मिल जाएगी।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, सोनीपत में कैलाशपुर गांव ऐसा है जहां पर कोई भी लिंक रोड नहीं है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 37 गांवों की लिस्ट में कैलाशपुर गांव का नाम भी है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, इस लिस्ट में कैलाशपूर का नाम नहीं है।

डा० बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने 37 डायरैक्टरी विलेजिज ऐसे बताये हैं जिनको अभी तक सड्कों के साथ नहीं जोड़ा गया है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन गांवों की सूची में मेरे जगाधरी हल्के का भी कोई गांव पडता है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, केवल एक गांव सभापुर है। इसके साथ साथ मैं माननीय सदस्य की

जानकारी के लिये यह भी बता देना चाहता हू कि इस वक्त अम्बाला जिले में इस तरह के केवल 9 गांव बचते है जिनको सबको से जोड़ा नहीं गया है। उनके नाम इस प्रकार से है :–

(1)चनचक

(2)मियापूर

(3)सितारी

(4)भीलपुरा

(5)लकर–मेह–प्रतापपुर

(6)नवाजपुर

(7)माजरी टापू

(8)सेहला

(9)सबाहपुर।

श्री मुनी लालः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर बहुत से गांव एस है जहां पर कि विधायकगण रहते हैं और उन गांवों को भी अभी तक सड्कों के साथ नहीं जोड़ा गया है। न ही वहां पर कोई सड़कें हैं जो कि उन गांवों को किसी लिंक रोड से मिलाती हो। लोग पैदल आते जाते हैं और तंग हैं। रास्ते में गन्दा नाला भी पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह

जानना चाहता हूं कि ऐसे गांवों को कब तक सड्कों से जोड़ दिया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, सव से पहले हम ऐलिजीबल विलेजिज को सडको से जोड़ने का काम करेंगे।

चौधरी जय नारायण खुण्डियाः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने 37 गावों ऐसे बताये जोकि रोडज से जूड़े हुए नहीं हैं। क्या वे जिलावाइज ऐसे गांवों की लिस्ट बताने का कष्ट करेंगे कि किस किस जिला में कितने कितने ऐसे गांव हैं जिनको अभी तक सड्कों से नही जोडा जा सका?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य के हस्के का कोई योग्य गांव ऐसा नही है जोकि सड़को के साथ जोड़ना रह गया हो।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मन्त्री महोदय ने यह बताया कि कुल 37 योग्य गांव ऐसे है जोकि अभी तक सड़ कों से नही जोड़े जा सके और साथ में अपने जवाब में यह भी बताया कि पर्याप्त धन राशि उपलब्ध होने पर इन सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जाएगा और इन गांवों को सड्कों से जोड़ दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर हजारों गांव ऐसे हैं जिनको पिछले अर्से में बडी तेजी से सड्कों से जोड़ा गया था तो अब क्या सरकार के पास इतने फण्डज भी अवेलेबल नही है कि वह साल में 37 गांव की औसत

के हिसाब से सड्कों का निर्माण कर सके? क्या इसका कारण यह तो नही है कि सरकार ने इन के साथ इस बारे में कोई भेदभाव की नीति बरती हो और फण्डज न दिये हों? क्या इन गांवों इने प्राथमिकता देकर इसी वर्ष में सड़का से जोड़ने का कोई सरकार का विचार है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, शायद मेरे आदरणीय सदस्य महोदय इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि डायरैक्टरी विलेजिज क्या होते हैं। कुछ ऐसी ढानिया होती हैं जो डायरैक्टरी विलेजिज में नहीं आती हालांकि उनकी आवादी 250 से ज्यादा हे। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि 1981 की सैसंस के मुताबिक जिन गांव की आबादी मैदानी इलाके में 250 और पहाड़ी इलाके में 150 या इससे अधिक थी उन गांवों को हम ऐलिजिबल विलेजिज मानते हैं। जहां तक ऐलिजिबल गांवों को सड्कों से जोड़ने का सम्बन्ध है वह सै वन्य फाईव ईयर प्लान तक उन गांवों को सड्कों से जोड़ दिया जाएगा।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, जिन हल्कों में बडी भयंकर ओलावृष्टि हुई हु उन हल्कों में फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं जिसके कारण वहां पर जो गैर–बिस्वेदार लोग थे और जो गरीब मजदूर थे उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई है क्योंकि वे दो या तीन महीने का अनाज मजदूरी करके इकट्ठा कर लिया करते थे उन मजदूरों के लिये मजदूरी का कोई जरिया नहीं? रहा है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन हल्को में

नई सड़कें बनाने या पुरानी सड़को को रिपेयर. करवाने के बारे में सरकार कोई विशेष ध्यान देगी ताकि उन गरीब लोगो को रोजगार मिल जाए?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, मैं बताना चाहुँगा कि कुछ ऐसो सड़कों के छोटे छोटे टुकड़े बनने बकाया रहते हैं जिनको बनाने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी। डाक्टर साहब अगर किसी खास गांव की सड़क के बारे में बताएँगे तौ उसके बारे में विचार कर लिया जाएगा।

श्री आत्मा राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय में आगके द्वारा मन्त्री जो से जानना चाहूंगा कि जो सड़कें मंजूरशूदा है और जिनके लिए दो साल से मैटीरियल खरीद कर डाला हुआ है, क्या उन सउको को बनाने के लिये सरकार प्राथमिकता देगी?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, सरकार की कोशिश यह होगी कि जिस सड़क का काम इनकम्पलीट गै और वहां पर मैटीरियल पड़ा है, उसको बनाने के लिए प्राथमिकता देने की कोशिश की जाएगी।

श्री हजार चन्दः स्पीकर साहब, पी० डब्लयू० डी० (वी० एण्ड आर०)डिविजन भिवानी से सिरसा लाया गया है उस डिविजन के पास पिछले एक डेढ़ महीने से कोई काम नहीं है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता है किं उस डिविजन को काम देने का प्रबंध कंब तक कर दिया जाएगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, यह डिविजन पहले सिरसा में ही था। भिवानी में काम चल रहा था इसलिये इसको सिरसा से भिवानी तबदील करना पड़ा। लेकिन अब फिर इस डिविजन को वापिस सिरसा में ही तबदील कैर दिया गया है। इस डिविजन का जो भीं काम है वह इसको सौंप दिया जाएगा।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, मेरे हल्के हसनपुर में घसेड़ा से मीरपूर कोराली, घसेडा से जखरोमा और गुलावत से नग्गल करीमपुर तीन ऐसी सड़कें हैं जिनकी पिछले 7–8 महीने से प्रशासकीय अनुमति मिली हुई है लेकिन अब तक उन सड्कों पर काम शुरू नहीं किया गया है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन सड्कों को बनाने का काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, हमारे पास ऐसी बहुत सों सडके बननी रहती हैं जिनकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल मिल चुकी है लेकिन फण्डज की कमी के कारण वे सड़कें इनकम्पलीट है। ज्यों ज्यों हमारे पास फण्डज उपलब्ध होंगे उन सड्कों को कम्पलीट कर दिया जाएगा।

श्री नर सिंह ढांडाः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी सड़कें हैं जिन पर रौड़ी बिछाई हुई है लेकिन कम्पलीट नहीं की गई है और सरकार उन सड़कों को बनाने के बारे में क्या विचार कर रही है? इसके

अलावा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि काटोत मे पुंडरी तक सड़क कब तक बना दी जाएगी?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्फीकर साहब, यह बताना तो बहुत मुश्किल होगा कि ऐसी कितनी सड़कें हैं जिन पर रोड़ी बिछाई हुई शै और इनकम्पलीट हैं। अगर माननीय सदस्य किसी खास सड़क के वारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए अलग से नोटिस दे दें।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन हल्कों में भंयकर ओलावृष्टि हई है क्या उन हल्को में नई सड़कें बनाने के लिए या जो पुरानी सड़कें टूटी हुई हैं उनकी रिपेयर करने के लिए सरकार कोई विशेष प्रावधान करेगी ताकि उन हल्कों के गरीब लोगो को रोजगार मिल जाए क्योंकि उन हल्कों में ओलावृष्टि के कारण फसल बिल्कुल तबाह हो गई है और फसलें तबाह होने के कारण गैरबिस्वेदार और गरीब मजदूरों के पास मजदूरी करने के लिये फसल की कटाई का काम नहीं है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, फिलहाल तो ऐसा कोई विचार नही है।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, गांवो के लिए जो पक्की सड़कें बनाई जाती हैं वे गांव की फिरनी तपे बना कर छोड़ दी जाती हैं। कई स्कूल गांव के बीच में है। वहां का रास्ता

ठीक न होने की वजह से छोटे छोटै बच्चों को स्कूल आने जाने में बड़ी दिक्कत होंती है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे गांवों के स्कूलों को पक्की सडक से जोड़ा जायेगा ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न हो?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः गांव के बीच मे जो स्कूल होता है उसको चक्की सड़क से जोडने का काम पंचायत का होता है न कि पी० डब्ल्यू० डी० का। लेकिन जो स्कूल गांव के बाहर हैं उन्हें पक्की सड़क से जोड दिया जायेगा।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, डाक्टर महा सिंह ने सवाल करते हुए कहा था कि जहां ओलावृष्टि से फसले बिल्कुल तबाह हो गई हैं वहां जो गाव के गरीब लोंग हैं उनके रोजगार पर भी असर पड़ा है क्योंकि अब उन गरीब लोगों को कटाई पर जाने के साधन नही रहे। इस संबंध में मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि ऐसे स्थानों पर हम दूसरे साधनों के जरिए लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे है, यह जरूरी नही है कि वहां पर केवल सड़कें ही बनाई जायें। हम ऐसे गांवों मे जहां पर ऐसी तबाही का असर अधिक हुआ है वहां सर कच्ची सडके भी बनवा रहे है, बोहड़ों की खुदाई भी करवा रहे है और जहां पर बांध बांधने की आवश्यकता समझी गई वहां पर बांध भी बाधा जा रहा हैं ताकि लोग? को किसी न किसीय काम के तहस रोजगार मिलता रहे। हरियाणा में इतना ड़ाउट पड़ने के बावजूद भी हर स्थान पर काम ठीक प्रकार से चल

रहा है। कही से कोई शिकायत नही आई कि किसी को रोजी रोटी न मिलती हो।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा में पी० डब्ल्यू० डी० की जितनी भी सड्कों पर काम करवाया जाता है वह मस्टर रोल शर करवाया जाता है। लेकिन मस्टर रोल पर जितने व्यक्ति काम करते हैं यदि उनके काम की एवरेज निकाली जाये तो वह बहुत कम रहती है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे कामों को किसी ठेकेदार को ठेके पर दे कर करवाया जायेगा ताकि पता चल सके कि ठेकेदार से काम करवाने में फायदा रहता है या मस्टर रोल पर काम करवा ने में फायदा रहता है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः कुछ काम मस्टर रोल पर कराया जाता है और कुछ काम हम जो महकमे की परमानेंट गैग है, उनसे भी करवाते हैं। इनका यह कहना सही नही है कि सारा काम सिर्फ मस्टर रोल पर ही करवाया ना रहा है।

श्री जगपाल सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि अम्बाला जिले में अभी ऐसे कितने डायरैक्टरी विलेजिज हैं जिन्हें पक्की सडकों सें जोडा जाना रहता है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अम्बाला जिले मे 15 ऐलिजिबल विलेजिज हैं जिन्हें अभी सड्कों से जोड़ा जाना रहता है।

श्री टेक चन्दः अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार मार्किट कमेटी से 40 परसैन्ट पैसा सड्कों के काम के लिए लेती थी। मैं मन्की जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार उस नीति को चालू रखेगी या नही?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, जहां तक मुझे जानकारी है पिछली सरकार मार्किट कमेटी से मार्किट फीस का 40 परसैन्ट पैसा लेती थी। इसमें से आधा पैसा तो नई सड़कें बनाये जाने के लिए और आधा पैसा पुरानी सड्कों की देखरेख के लिये खर्च किया जाता था। अब बी० एण्ड० आर० महकमा मार्किट कमेटी से कोई पैसा नहीं लेगा।

श्री हजार चन्दः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने मेरे सवाल का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मेरा सीधा सा सवाल है कि वहां पर काम करने वाला स्टाफ डेढ़ महीने से बेकार क्यों बैठा है? उनके पास कोई काम नही है। जब वहां पर कोई काम करने को नहीं णै तोउ उस स्टाफ को वहा पर क्यों बैठा रखा है और क्यों सरकार उस स्टाफ पर बेकार खर्च कर रही है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः जहां तक मेरी जानकारी है, चाहे वह स्टाफ भिवानी चला जाये या सिरसा में रहे काम तो वे

करेंगे ही। यह मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथी को ऐसा गिला क्यों है कि वहां का स्टाफ खाली बैठा है?

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, कई सडकें ऐसी हैं जहा पर एक–डेढ़ किलोमीटर सड़क बनाने से कई किलोमीटर का रास्ता कम हो सकता है। मेरे हल्के मे हल्देहड़ी से महीयुदीनपुर तक डेढ़ किलोमीटर सड़क बना दी जाये तो इन लोगों को शाहबाद आने में सिर्फ 8 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा जबकि अब वे 16 किलोमीटर का रास्ता तय करके शाहबाद पहुंचते हैं। इसी प्रकार से यदि हरीपुर से सरायसुखी तक एक किलोमीटर सड़क बना दी जाए तो इन लोगों को कुरूक्षेत्र जाने के लिये 20 किलोमीटर की बजाये सिर्फ 10 किलो मीटर के लगभग ही रास्ता तय करना पड़ेगा। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी सडकें प्रैफरैन्स दूने बेस पर बनाई जायेंगी?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब जैसे जैसे ऐडीक्वेट फण्डज हमारे पास होंगे उस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि जिन गांवों की आबादी सन् 1981 में 250 हो गई थी जो उन्हें डायरेक्टरी विलेज माना गया है ओर उन्ही गांवों को पक्की सड्कों के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन गांवों की आबादी

1981 से 1988 के बीच बढ़कर 250 या इससे अधिक हो गयी है क्या उन गांवों को भी इस लक्ष्य में शामिल किया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः जैसे जैसे फण्डज अवेलेबल होंगे उसी हिसाब से काम किया जायेगा। पहले डायरेक्टरी के ऐलिजिबल विलेजिज को सड्कों से जोड़ा जायेगा और फिर जो डायरेक्टरी विलेजिज के अलावा गांव सिंगल रोडज से नहीं जोडे हुए हैं उन्हें भी जोड़ा जायेगा।

चौधरी जय नारायण खुण्डियाः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय खुद रोहतक जिले के रहने वाले हैं। सारे सदन को और उनको भी पता है कि हमेशा से रोहतक विपक्ष का गढ़ रहा है। इसलिये मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो रोहतक जिले की टूटी–फूटी सड़कें हैं उनकी मुरम्मत करने में टोप प्रायरिटी दी जायेगी

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः जो कास्टिचुऐसीज बिल्कुल नैगलेक्टिड रही हैं, उनके बार में हमारी पूरी कोशिश हामी कि उन्हें कम्पनसेट करेके और उन्हें पीछे नही रहने देंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जिन 37 डायरैक्टरी चिलेजिज मे अभी तक सिंगल लिंक रोड प्रोवाइड नही किया गया है उनके बारे में मन्त्री जी ने, फण्डज की मजबूरी जाहिर की है लेकिन मैं मुख्य मन्त्री जी से परामर्श करने के बाद सदन को

बताना चाहता हू कि उन गांवों की सड्कों पर मिट्टी का काम फौरी तौर पर चालू कर दिया जायेगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब जिन एरियाज में ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं और जिनका पानी मीठा है वहां के लोग अपने खेतों में जा कर बस गये हैं। खेतो के रास्ते पर 20–20, 30– 30 और 50– 50 घर बस गये हैं। उनका रास्ता दो दो किलोमीटर है। उन की आबादी 500 के लगभग हो गई है। क्या मन्त्री महोदय उन गांवों को भी सड्कों से लोडने पर विचार करेंगे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो डाररैक्टरी के ऐलिजिबल विलेजिज हैं, सब से पहले उन गांवों को सड्कों से जोड़ा जायेगा। इसके अलावा जो दूसरे गवि बचेगे उन पर भी विचार किया जायेगा।

Construction of roads in Bhiwani and Mohindergarh Districts

***514. Pandit Vasu Dev Sharma and Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state--

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in Bhiwani District :--

(i) Shoaf Kasai to Manheru;

(ii) Rewari to Chang;

(iii) Dhani Harsukh to Sarsagongra ;

(iv) Bambla to Sanga;

(v) Gurara to Rajasthan Border;

(vi) Dankora to Rajasthan Border;

(vii) Surpura to MandholiKhurd;

(viii) Ghanghala to Bidhwan;

(ix) Sidhawa to Obera;

(x) Garanpura to Sordha Jadid;

(xi) Jhupa Khurd to Barwas;

(xii) Jhajra Hashanpur to Sighani;

(xiii) Matani to Dhani puria;

(xiv) Sirsi to Behal; and

(xv) Approach Road to Dhani Kehar;

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in Mohindergarh District :—

(i) Dhana to Surati; and

(ii) Nawan to Nangal Malain; and

(c) if so, the time by which the roads as referred to in parts (a) and (b) above are likely to be constructed ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज):

(क)इस समय 15 सडको में से 10 सड़को के निर्माण का कोई प्रस्ताव नही है। केवल 5 सड़कें जोकि क्रमांक (4), (6), (8), (9)और (14)पर है, के निर्माण का प्रस्ताव है और थे सडकें लोक निर्माण विभाग, श्रवन तथा सड़क शाखा के बजट में से निर्माण के लिये मंजूर की जा चुकी हैं।

(ख)जी, नहीं।

(ग)धन के अभाच के कारण इस समय इन सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने बारे कोई निश्चित अवधि निर्धारित नही की जा सकती। स्वीकृत सड्कों पर निर्माण कार्य चल रहा है और पर्याप्त धन राशी उपलब्ध होने पर इन सड्कों का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जायेगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मन्दी जी ने जवाब में बताया है कि पन्द्रह सड़को में से पांच सड़को को ऐप्रूव किया जा चुका है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा। कि इन सड्कों का कन्स्ट्रक्शन वर्क कब चालू करवायेगे? बाकी जो सड़कें है, विशेषकर जो दूसरे प्रान्तों से लिन्क्रड हैं, उन सड़को का निर्माण कार्य भी शीघ्र चालू करवाया जाना चाहिए। कहत के कारण लोगों को मजदूरी दिए जाने की स्कीम के तहत जिन सउको पर थोड़ा बहुत काम मिट्टी आदि का हुआ, उन सड़को को कम्पलीट करने के लिये क्या पग उठाए जा रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने कुछ सड़को का जिक्र किया है, लोहारू हल्के में निम्नलिखित 13 सड़को पर काम चल रहा हैः–

(1)धानू ढोला से गग्गडवास हरीजन बस्ती

(2)पहाड़ी से धानी भरोसरा

(3)एम० एस० डी० रोड से गांव धानी समसाबाद

(4)गांव सहर से गांव धानी लालपुर

(5)गांव वारडू से नगर बारडू

(6)गांव धानी शमसवास से धानी कुम्बरहाट

(7)गांव तलवानी से धानी रामवास

(8)गांव मादी खुर्द से सुपपुरा कला

(9)गांव बिदवां से गंगोला रोड

(10)गांव झोझू सतनाली से धानी भलोट

(11)गाव सिवानी सिंधानी से सिधनबा

(12)गांव सिरसई से बेहाल

(13)गांव नक्की पुर भड़ालू (सैक्शन शेरपुर से भड़ालू)

पंडित वासुदेव शर्माः अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मन्त्री महोदय गांव हिण्डोल गए थे और वहां घोषणा की थी कि गांव हिण्डोल से मानहेडू तक की सड़क जल्दी–से–जल्दी बना दी जाएगी। मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस सड़क को जल्दी से बनाने की कोई योजना है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर सर, अभी वह रोड ऐप्रूव नही हुई है लेकिन इनकी कांस्टिचुऐंसी मे अभी पांच सड्कों का कार्य चल रहा है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिन 13 सड्कों का इन्होंने जिक्र किया है वे कब तक कम्पलीट हो जाएंगी और बाकी की ऐप्रूवर सड्कों पर काम कब चालू करेंगे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, लोहारू कांस्टिचुऐंसी में जो तेरह सडके निर्माणाधीन हैं, उन पर अब तक लगभग अस्सी लाख रुपये की और लागत आने का अनुमान है। जब हमारे पास ऐडिक्वेट फण्ड्ज हो जायेगे तो इन सड्कों को कम्पलीट कर दिया जाएगा।

चौधरी तैयब हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिस सड़क का जिक्र श्री वासुदेव शर्मा जी ने किया था, इसको कम्पलीट करने का कोई इरादा है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः घोषणा सिर्फ इस बात की, की गई थी कि इस सड़क को बनाने के बारे विचार कर लिया जाएगा। अभी इस सड़क के ऐस्टिमेट्स बनेंगे, ऐस्टिमेट्स पास होंगे और फिर सड़क भी बन जाएगी।

श्री हीरा नन्द आर्यः ऐप्रूवड सड़को पर काम कब चालू होगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हीरा नन्द आर्य जी की कास्टिचुऐंसी में मार्च, 1987 तक छत्तीस लाख रुपये की राशि सड्कों के निर्माण पर खर्च हो चुकी है और इन सड्कों को कम्पलीट करने के लिए अस्सी लाख रुपये की राशि और खर्च होने का अनुमान है। अगर श्री आर्य जी चाहते है कि चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी की सड़कों को काटकर भिवानी जिला या लोहारू कास्टिचुऐंसी की सड्कों का निर्माण करवा दू तो मेरे लिए इनको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। (हंसी)

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया है कि भिवानी जिला में अभी सड्कों के निर्माण का कार्य चल रहा है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि भिवानी जिला मे काम चल रहा है तो भिवानी डिविजन का दफतर भिवानी से क्यों शिफ्ट किया गया है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्ष 1987–88 मे भिवानी जिला में एक लाख

पैतालीस हजार रुपये की राशि सड्कों के निर्माण पर खर्च की जा चुकी है और इनकी कास्टिचुऐंसी लोहारू में मार्च, 1987 तक छत्तीस लाख रुपये खर्च किये जा चुके है, यह और क्या चाहते हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी इस बात को क्लीयर नही कर पाए कि ऐप्रूवड सड्कों पर काम कब शुरू होगा और जो सड़के बन रही हैं वे कब तक पूर्ण हो जाएंगी?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: ऐप्रूव्ड सड़को पर काम चालू हो कर इनके हल्के में मार्च, 1987 तक 36 लाख रुपये खर्च हो चुके है। इन सड्कों को कम्पलीट करने के लिए 80 लाख रुपये की और राशि की आवश्यकता है। ऐडिक्वेट फण्ड्ज मिलने पर इन सड़को कों कम्पलीट कर दिया जाएगा।

Construction of 30 Bed Hospital at Ellenabad

***533. Shri Bhagi Ram :** Will the Minister for Health be pleased to state---

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to corstruct a 30 bed hospital at Ellenabad in District Sirsa; and

(b) if so, the time by which the construction of the said Hospital is likely to be started ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क)जी हां।

(ख)पर्याप्त भूमि तथा धन की उपलब्धि की अवस्था में।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यी बात तो मान ली कि वहां 30 बैड का हस्पताल बनाने की प्रपोजल है और साथ में यह भी कह दिया कि पर्याप्त भुमि तथा धन की उपलब्धि की अवस्था में इसका निर्माण किए जाने की सम्भावना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक इन्होंने भूमि लेने के लिए क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, ऐलनाबाद वहां की पंचायत के अन्दर आता है। हम जब भी कोई सी० एच० सी० या पी० एच० सी० बनाते हैं तो पंचायत हमें जमीन देती है। कहां की पंचायत हमें जमीन दे दे तो हम वहां पर भी बना देंगे।

श्री भागी रामः क्या मन्त्री जी के नोटिस में है कि वहां पर जो रुरल डिस्पैंसरी बनी हुई पैं उसका केवल एक कमरा है। वहां पर तकरीबन दो–अढ़ाई एकड़ जमीन है, क्या वह जमीन काफी नही है। वह बहुत मौके की जमीन है?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, वह जमीन 5 कनाल 16 मरले है लेकिन प्राइमरी हैल्थ सैन्टर के लिए कम से कम दो अढ़ाई एकड़ जमीन चाहिए और कम्युनिटी हैल्पर सैन्टर के लिए 4–5 एकड़ जमीन चाहिए। उतनी भूमि उपलब्ध होने पर वहां पर काम शुरू हो सकता है।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदया ने कहा कि भागी राम जी वहा जमीन दिलवा दें हम हस्पताल बना देंगे। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि हम अपने हल्के में 50 या सी एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हैं क्या वहां पर हस्पताल बनवा देंगी

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, हमारे नार्मज हैं कि एक लाख बीस हजार की आबादी पर हम तीस बैड का कम्युनिटी सैन्टर बनाने हैं। अगर इनके यहा यह नार्म पूरा होगा तो वहां भी जरूर बना देंगे।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, बहिन जी ने कहा कि वह जमीन 5 कनाल 16 मरले है लेकिन ऐसी बात नही है। वहां पर दो अढाई एकड़ जमीन है जो बाजार के बीच में है। उससे बढ़िया जगह और कहीं नजदीक नही हे। मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि वही पर यह तीस बैड का हस्पताल बनाया जा सकता है। उसके ऊपर दूसरी तीसरी या चौथी मंजिल बन सकती है।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, एक कम्युनिटी स्वास्थ्य केन्द्र चार–पांच किल्ले जमीन से कम नहीं बन सकता क्योंकि वहां पर डाक्टरों के रहने के लिए मकान, पैरा मैडिकल स्टाफ के लिए मकान बनाने होते हैं और हस्पताल का भवन भी बनाना होता है।

श्री अध्यक्षः अब क्वैश्चन आवर खत्म होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

Recruitment of Police Constables in Hissar District

***535 Sari Pardeep Kumar Chaudhry :** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) whether any recruitment of police constables was made in district Hissar during the period from 1-7-087 to 31-12-1987; if so, the number of police constables so recruited;

(b) whether it is a fact that there was a ban on recruitment in the State during the said period: and

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, the action, if any, taken or propsed to be taken against the offcers/officials who made the recruitment, as referred to in part (1) above ?

गृह मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह): वांछित सूचना इस प्रकार है:—

(क) जी हां, 16 सिपाही।

(ख) जी हां।

(ग) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, हिसार जिन्होंने यह भर्ती की थी, को

विभागीय जांच लम्बित रहते निलम्बित कैर दिया गया है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

जिला भिवानी के अनेक गाँवों में थीने के पानी के कथित भारी संकट संबंधी

15.00 बजे

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 15 from Sarvshri Hira Nand Arya and Vasudev Sharma, M.L.As. regarding alleged great crisis of drinking water in a number of villages. in Bhiwani district. I admit it. Shrr Arya may please read his notice and the. Minister concerned may make a statement thereafter.

@सर्वश्री हीरा नन्द आर्य तथा वासुदेव शर्मा: स्पीकर साहब, हम इस महान सदन का ध्यान एक लोक महत्व के इस विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि गर्मी का मौसम आरम्भ होने से पहले ही अनेक गांवों में पीने के पानी का भारी संकट है और जल प्रदाय योजनाए लगभग बन्द पड़ी हैं। पुरानी जरा प्रदाय योजनाएं विशेषकर सौंफ, कासनी, हिन्डोल, ऊन, सुई, मंढाणा हल्का मुढाल खुर्द तथा जिला भिवानी के ढाणी सालेवाली, बुधसेली, मोतीपुरा, सैनीवास, लीलस, मोहयला, बख्तावरपुरा गैन्डावास, सुरपुरा, मन्ढोली खुर्द, सिवाच, झूपा, डाणी भाकरा,

मोरका, मिठी, पतवान, गर्वा, सुधीवास आदि कीं पुरानी जल प्रदाय योजनाएं न के बराबर हैं। इसलिए सरकार इस संबंध में की गई कार्यवाही से सदन को सूचित करें।

वक्तव्य–

जन स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

जन स्वास्पय मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा): इससे पूर्व कि मैं सदन के समक्ष भिवानी जिले के भिन्न–भिन्न गांवों में पेयजल की स्थिति के विषय में कोई विवरण दूं, मैं इस महान सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि सरकार स्थिति से पूरी तरह सचेत है और पेयजल सुविधाओं में वृद्धि के लिए आवश्यक पग उठा रही है।

गांव सौंफू, कासनी, हिन्डोल, सुई व मंधाना पश्चिमी जमना नहर प्रणाली पर आधारित हैं। नहर 24 दिन के सामान्य बन्द के स्थान पर अब 32 दिन बन्द रहती है। इससे इन गांवों में पीने के पानी की मात्रा में कमी आ गई है। फिर भी वर्तमान पीने के पानी की मावा 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक है। शेष गाव सिवानी नहर प्रणाली पर आधारित हैं, जहां कि नहर सामान्य 15 दिन बन्द व 15 दिन चालू रहती थी, अब इसे बढ़ाकर 24 दिन बन्द व 8 दिन चालू कर दिया गया है, जिससे पानी की माता में कमी आ गई है। इन गांवों में से ढाणी सालेवाली व लीलस दयोसर समूह के अन्तर्गत, मोहयला, वख्तावरपुरा व गैडावास

किकराल समूह के अन्तर्गत आते हैं। इन गांवों में पेयजल की माता अब भी 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक है। शेष गांव बुधसेली, मोतीपुरा,

सैनीवास, सुरपुरा, मंढोली खुर्द, सिवैच, झूंपा, ढाणी भाकरा, मोरखा, मिठी, पतवान, गर्वा व सुधीवास एक पेयजल वितरण योजना, जोकि ए– 1 समूह के नाम से जानी जाती है तथा जिसका मुख्य जलघर सारवा गांव में स्थित है, के अन्तर्गत आते हैं, जिसे 1968 में चालू किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत 50 गांव आते हैं। इसे 49 हजार जनसख्या के लिए, 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से रूपाकित किया गया था। जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है, 1981 की जनगणना अनुसार यह 69 हजार तथा संभवतः वर्तमान जनसंख्या 80 हजार के लगभग होगी।

जनसंख्या में वृद्धि के कारण इन गांवों में पानी की मात्रा में कमी आ गई है और यह कमी नहर के अधिक समय तक बन्द रहने के कारण और भी बढ़ गई है। यह 8 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लगभग है, जोकि न्यूनतम 10 से कम है।

नहर के बन्द में वृद्धि के यह आदेश दोनों प्रणालियों में 30– 11– 87 से लागू हुए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:–

(1)नहर बन्द के दौरान सिवानी नहर के धारा रहित जल भण्डारण को आरक्षित रखा जाता है तथा पेयजल वितरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

(2)इसके अतिरिक्त ए– 1 ग्राम समूह के गांव बूरे, कलाली, मिठी, मीरान, बहल व ईशरवाल में स्वतन्त्र जलघरों का निर्माण करके सुधार किया जा रहा है। इन 8 जल वितरण योजनाओं की अनुमानित लागत 195 लाख रुपए है इन योजनाओं के लिए 90 लाख रुपए की राशि पहले ही प्रदान की गई थी और 29– 2–88 तक 66 लाख रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। 6 योजनाओं मे से बूरे गांव का जलपर 22 मार्च, 1988 को चालू किया गया था।

(3)10 योजनाएं, जिनके अन्तर्गत 193 गांव आते हैं, में बिजली की पूर्ति में रुकावटों को दूर करने के लिए एक स्वतन्त्र विद्युत फीडर उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित की गई हैं। इनमें से 6 योजनाएं, जिनसे 109 गांव लाभान्वित होते हैं, स्वतन्त्र विद्युत फीडर उपलब्ध करवाकर पहले ही सम्पन्न की जा चुकी हैं।

जब भी निर्माण हेतु सामान, विशेषकर सीमेंट कार्यस्थल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, इन योजनाओं पर कार्य पुनः आरम्भ कर दिया जाएगा। सरकार इस स्थिति से अभिज्ञ है, और जहां भी आवश्यक्ता है, जल वितरण योजनाओं की बढ़ौतरी हेतु पग उठा रही है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन गांवों, बहल और सिवानी आदि का मैंने जिक्र किया है, वहां पर कहने को तो 5 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से योजनाएं बनायी गयी, अब आबादी डबल हो जाने के कारण अगर इसको ठीक मान लिया जाए तो इसके या दूसरे किसी कारण सें वहां पर 2 गैलन पानी से ज्यादा डेली नहीं मिल पाता। वहां पर करू ट्रक्शन लगभग बन्द पड़ी है, उसको चालू करने के लिए, कितने धन की आवश्यक्ता पडेगी? क्या वह उस धन को उपलब्ध करवाएंगे और अगली गर्मी के मौसम से से पहले पहले यह योजना तैयार हो जाएगी?

श्री राम बिलास शर्मा: मैं श्री हीरा नन्द जी को यह बता देना चाहता हूं कि सिवानी स्कीम के साथ लगभग 20 गांव माते हैं। उनकी यह वात सही है कि जिस समय यह योजना बनी, उस वक्त 5 गैलन के हिसाब से बनी थी। उसके बाद यानी 1968 के बाद जिन योजनाओं का निर्माण किया गया है, वह 10 गैलन के हिसाब से बनायी गयी है। आप सभी जानते है कि सिवानी में पानी की कमी आयी। उसके कारण गांवों में पानी की सप्लाई में भी कमी आयी। मैं हीरा नन्द जी की. जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहता हूं कि हमने आई० पी० एम० साहव से बात करके, जो सिवानी नहर का बन्द था, उसको रैस्टोर करवा लिया है। 8— 4— 1988 के बाद यह 15 दिन के बाद 8 दिन के लिए चला करेगी जबकि पहले 24 दिन के बाद यह चला करती थी।

अब 15 दिन के बाद 8 दिन तक पानी मिला करेगा। जहां तक खर्च की बात है, मैं इस बारे मे पहले ही, बता चुका हूं कि 66 लाख रुपया इस पर हम खर्च कर चुके हैं। जैसे जैसे पैसे की जरुरत पड़ेगी हम इस पर खर्च करेंगे। स्पीकर साहव, पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत नही जितनी सीमेन्ट की जरूरत पडती है। छः स्कीम्ज के तहत जो 195 गांव आते है उनमे हम सारा काम 1990 तक पूरा कर देंगे।

पंडित वासुदेव शर्माः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि गांव सौंफ तथा दूसरे कुछ गांवों में बीस लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी मित्रता है। स्पीकर साहब, वास्तविकता यह है कि वहां पर कई–कई रोज तक पानी लोगों को नहीं मिलता। जमीन के नीचे पीने का पानी नही थैं। पिछले बीस साल से इन गांवों के लोग पीने फै पानी की वजह से परेशान हैं और वे केवल पीने का पानी चाहते हैं। क्या मन्त्री महोदय इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे जिससे कि वहां के लोगों को पानी मिल सके?

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, जैसे ही सर्वश्री हीरानन्द आर्य और वासुदेव शर्मा का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमारे पास पहुंचा, हमने मौके पर जाकर स्थिति का अध्ययन किया। शर्मा जी का मुढाल चुनाव क्षेत्र 41 गांवो से जुड़ा हुआ है और सारे गांव जल वितरण योजना से जुड़े हुए हैं। स्पीकर साहब, एक कायला गाव है जहां दस लीटर से पानी की सप्लाई कम है बाकी

37 जो गांव हैं उनमें बीस लीटर से चालीस लीटर तक पानी दे रहे हैं। कायला में 1962 से समस्या बनी हुंई है। वहां पर हम नए सिरे से औगमैंट कर रहे हैं और उस गांव की समस्या हल हो जाएगी।

राज्यपाल से सन्देश

Mr Speaker : Hon'ble Members I have received a message from the Governor which reads as under :-

"I write to acknowledge with thanks the receipt of your demi-official letter No. H.V .S. /L. A .36/88/8564 dated March 21, 1988 forwarding a copy of the Motion of thanks passed by the Haryana Vidhan Sabha on the 21st March, 1988. I shall be grateful if you could kindly convey to the Hon'ble Members of the Haryana Vidhan Sabha my thanks and appreciation for this kind thought in accepting the Motion."

घोषणा–

सचिव द्वारा

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सैक्रटरी साहब अनाऊन्समैंट करेंगे।

सचिवः स्पीकर साहब, मैं उन विधेयको को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने वर्तमान (बजट)सैंशन, 1988 मे पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

विवरण

1. हरियाणा विनियोग (संख्या 1)विधेयक, 1988

2. हरियाणा विनियोग (संख्या 2)विधेयक, 1988 सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः अब एक मन्त्री टेबल आफ दि हाउस पर पेपर ले करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : I beg to lay on the Table : —

The Genral Administrations Department Notification No. G.S.R./25/Const./ Art. 320/Adm. (111)88, dated the .15th March, -1988, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1988, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Statement showing loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 15-1-1988 for which the State Government stood guarantee for repayment thereof as required under section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The 2nd Annual Report for the year 1983-84 of the Haryana State Electronics Development Corporation Limited as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 3rd. Annual Report for the year 1984-85 of the Haryana State Electronics Developments Corporation Limited as required under section 619-A(3) of the Companies Act,

1956.

The 4th Annual Report for the year 1985-86 of the Haryana State Electronics Development Corporation Limired as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 19th Annual Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Limited,for the year 1985-86, as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the year 1984-85, as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for rhe year 1985-86, as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

The Annual Reprot on the working of rhe Haryana Public Service Commission for the year 1986-87, as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

बिल्ज

(1)दि पंजाब लैबर बैलफेयर फण्ड (हरियाणा अमैंडमैंट)बिल, 1988

Mr. Speaker : Now the Minister of State for Cooperation will move that the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Minister of State for Cooperation (Jr. Raghuvir Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved--

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने पंजाब श्रम कल्याण निधि (हरियाणा अमैंडमैंट)विधेयक, 1988 प्रस्तुत किया है। इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हू। अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी कल्याणकारी सरकार सत्ता मे आयी है व उससे पहले भी हमारी पार्टी ने वायदे किए थे कि किस प्रकार से मजदूरों का भला करने के लिए, मजदूरों के हित के लिए कानून बनाए जाएंगे। अब, उन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार को इसी तरह के विधेयक द्वारा यहां अमैंडमैंट लाने की आवश्यक्ता पड़ी है। जो श्रमिकों की वेतन, बोनस, ओवर टाइम, जुर्माना तथा ग्रेच्युटी आदि की राशि मैनेजमैंट के पास संचित राशि के रूप में तीन वर्ष तक पड़ी रहती है, उसको यदि नियोजक श्रम कल्याण आयुक्त के पास जमा नहीं करवाते थे तो उस राशि पुर मैनेजमैंट को 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता था। परन्तु अब जो धारा सरकार ने निश्चित की है उसमें इस के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है और न ही कोई ऐसा प्रावधान है कि कितने समय के अन्दर अन्दर लेबर

कमिश्नर के पास पैसा जमा करवाना होगा। इस बिल मे संबंधित मैं यह कहना चाहता हू कि जब तक सरकार इस काम के लिए कोई समय निर्धारित नही करेगी तो स्वाभाविक तौर पर मैनेजमैंट इस को आगे पोस्टपोन करवाती रहेगी जिससे मजदूरो कों काफी नुक्सान होता रहेगा क्योकि 10– 10, व 15– 15 सालों तक मजदूरो का पैसा जमा नहीं करवाया जाएगा और मजदूर लोग इससे दु:खी होंगे लेकिन अब इस अमैंडमैंट द्वारा यह किया गया है कि जो मैनेजमैंट सचित राशियों की रकम उसकी देय बनने की तिथि से एक वर्ष के भीतर जमा न करवा पाएगा उसे उस पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा और यदि भुगतान एक वर्ष की उपयुक्त अवधि के बाद होगा तो 20 प्रतिशत प्रति वर्च की दर से ब्याज देना होगा यह जुर्माने को राशि बढती ही जाएगी मतलब कि 25 परसैन्ट तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस तरह से जितनी देरी इस मे होती जाएगी उससे मजदूरों का घन और ज्यादा इकट्ठा होता जाएगा जोकि मजदूरों के हित मे ही होगा। इसलिए हर जो अमैंडमैंट पेश की गई हुँ मैं समझता हू कि यह बहुत ही अच्छी अमैंडमैंट पेश की गई है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं कुछ और भी सुझाव देना चाहूंगा। किसी समय जब यह कानून बनाया गया था उस समय श्रम विभाग की स्थापना इस लिए की गई थी ताकि श्रमिकों के हितो की रक्षा की जा सके और उनकी मदद की जा सके। इस विभाग की स्थापना इसलिए भी की गई कि जो इंडस्टईरायलिस्टस पैसे के बलबूते पर, धन दौलत के बलबूते पर मजदूरों का शोषण करते हैं उस शोषण

मे मजदूरों को किसी प्रकार मे बचाया जा सके। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान की आजादी के 40 साल गुजर जाने के बाद और उन 40 साल के दौरान यह श्रम विभाग कुछ व्यक्तियों को छोड़ कर एक तरह से पूजीपतियों का काम करने वाली एक एजेंसी बन गई और इस विभाग को जिस प्रकार से मजदूरों का काम करना चाहिए था वह अभी तक नहीं कर पाया है। अध्यक्ष महोदय, अब चौधरी देवी लाल जी की सरकार आई है इसलिए इस विभाग में अब काम करने की गति आएगी और यह विभाग अपने प्रयत्न करके मजदूरों के हकों की रक्षा के लिए कानून बनाएगा। चुनावों के दौरान हमारी पार्टी का यह वायदा भी था कि अगर इंडस्ट्रीयलिस्टस और मजदूरों के बीच किसी बात पर झगड़े हो जाते हैं तो उनको निपटाने के लिए उनका केस फैसले के लिए ट्रिब्यूनल में भेजेगे। इस बारे में मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे शीघ्र ही वह अमैंड– मैट भी लाएं ताकि अगर किसी ऐसे झगड़े का फैसला न होने पाए तो उसको ट्रिब्यूनल में भेजा जा सके। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि सरकार ट्रिब्यूनल की ज्यादा मै ज्यादा स्थापना करे ताकि सारे डिसप्यूटस के कम समय में फैसले हो जाएं क्योंकि 10–10, 15–15 और 20–20 साल तक ऐसे झगड़ों का फैसला नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि मैनेजमैंट के प्रबंधक अपने पैसे के बलबूते पर, अपनी ताकत के बलबूते पर मजदूरो के केम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में काफी समय तक लटकाए रखते हैं और वहां पर ज्यादा समय लगने से बेचारे गरीब मजदूर अपने

हकों मे महरूम रह जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा भी देखने में आया शै कि जैसे हिसार में जिंदल फैक्टरी है उसमे अनेकों साल बीत जाने के बावजूद भी वहां के मजदूरों को यूनियन बनाने के अधिकार नहीं है। अगर उस मिल के मजदूर यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं तो उस मिल के प्रबंधक अपने मसलमैन द्वारा उनकी पिटाई करवाते हैं और मजदूरों पर झूठे मुकदमे बनाए जाने हं। अध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे याद है कि जिस वर्क्स पहले चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी उस वक्त जिंदल फैक्टरी हिसार ने अपने मजदूरो पर पुलिस से गोलियां चलवाई थी। उस समय लेबर का महकमा मेरे पास था और उस समय उत्तरी भारत का यह पहला उदाहरण था कि मैंने उस वक्त उन मजदूरों पर गोलियां चलवाने वालों पर धारा 307 लगवा दी थी। यह अलग बात है कि उन्होने हालात ऐसे कर दिए कि मेरे से लेबर का महकमा दूर करवा दिया क्योंकि यह व्यवस्था पूजीवादी व्यवस्था है। इसमें पूजी की कीमत है श्रम की कीमत नही है। लेकिन आज श्रम की कीमत के लिए हमारी पार्टी वचनबद्ध है जिससे मजदूरो को राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम विभाग मे अनेकों कानून बने हुए है। लेकिन वे ठीक प्रकार से लागू नही हो पाते हैं। (इस समय थी उपाध्यक्ष पदासीन हुए)उपाध्यक्ष महोदय, वे कानून है दि पंजाब इंडस्ट्रीयल ऐस्टेब्लिशमैटस (नेशनल एण्ड फैस्टीवल होलीडेज एण्ड कैजुअल एण्ड सिक लीव)ऐक्ट, 1965, मिनिमम वेजिज ऐक्ट, 1948 पेमैंट औफ बोनस ऐक्ट, 1965, पेमेंट औफ ग्रेचुअटी ऐक्ट, 1972, दि

वर्कमैनज कम्पनसेशन ऐक्ट, 19 9— 3, दि इक्वल रीम्यूनरैशन ऐक्ट, 1923, मैटरनिटी बैनिफिट ऐक्ट 1961, फैक्टरीज ऐक्ट, 1948, दि ऐम्पलाइज प्रोवीडैट फण्डज एण्ड मिसलेनियम प्रोविंजज ऐक्ट, 1952 और ऐम्पलाइज स्टेट इन्शोरैसं ऐक्ट, 1948। इस प्रकार सै अनेक कानून हैं लेकिन इन कानूनों का अभी तक ठीक प्रकार से अमल नही हो पाया हुँ क्योंकि पूंजीपति अपने धनदौलत के बलबूते पर कारखाने लगाते है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बात को जरूर देखा जाना चाहिए कि कहीं वे लोग मजदूरों का शोषण करके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की तो नहीं कर रहे हैं, महल अटारी तो नही बना रहे हैं और क्या मजदूरो को उनके पूरे हक वे लोग दे रहे हैं। अनेकों ऐसे कारखाने हैं जिनमें मजदूरों का एक तरह से ठेकेदारी सिस्टम कर दिया गया है। वे वहां पर कई कई सालों तक काम करते हैं लेकिन उन्हें अस्थाई ही रखा जाता है। उनके हितों की कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नही होता। जिस वक्त मैनेजमैंट चाहे या प्रबंधक चाहे उनकी छुट्टी कर देते हैं। बाद में वे गरीब मजदूर भूखे मर जाते है, उन्हें किसी का कोई सहारा नहीं मिल दाता। यदि ठीक प्रकार से कानून बनाए जाएं और उन्हें लागू किया जाए तो उनके हितों की रक्षा हो सकती है। जो सरकार ने अब शुरुआत की है, वह बहुत अच्छी की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चाहे लैबर विभाग हो या इंडस्ट्रीज विभाग हो या दूसरे विभाग है वे मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करते है। इन विभागों के बारे में मेरा कहना यह है कि जितना इनके मजदूरों के हितों के लिए सक्रिय होना

चाहिए, उतना वे नही हो पाने। जब सरकार को तरफ से इन कारखाने– दारों को कोई ग्रान्ट या सबसिडी दी जानी होती है तो सारे विभाग उस वक्त वड़े ऐक्टिव हो जाते हैं लेकिन मजदूरों के हितों का कोई ख्याल नही रखता। अब मुझे अपनी सरकार पर भरोसा है रिम अव मजदूरों के हितों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मजदूरों के हितो वो लिए एक कारपोरेशन बनी हुई है। इस कारपोरेशन के जरिए मजदूरो के इलाज के लिए डिस्पैसरिया और होस्पिटल्ज आदि खोले जाते हैं। यह कारपोरेशन 90 प्रतिशत पैसा डिस्पैंसरीज या होस्पिटल वनाने के लिए स्वयं देती हे और सिर्फ 10 परसेन्ट पैसा स्टेट को जमीन वगैरा उप– लब्ध करवाने के लिए देना होता है। 1977– 78 में श्रम विभाग का महकमा मेरे पान था। उस समय 68 डिस्पैसरीज हरियाणा के निए मन्जूर हुई थी। उनकी बिल्डिग आज तक नही बनाई गई है जबकि इनके लिए 90 प्रतिशत पैसा स्वीकृत पड़ा है। जहां पर अब कही पर ई०एस० आई० डिस्पैसरीज चल रही हैं या होस्पिटल्ज हैं उनकी भी तहत ही खराब हालत है। इसका परिणाम यह होता है कि वहां पर डाक्टर जाने के लिए तैयार नही होते जिसकी वजह से मजदूरों को सफर करना पड़ता है। जो डाक्टर वहां पर जाते हैं उनका भी आज तक फैसला नहीं हो पाया कि आया वे हैल्थ डिपार्टमैंट के अन्डर रहेंगे या लेबर विभाग के अन्डर काम करेंगे। मैं इस बारे मे सरकार सै कहना चाहना द्र कि इस बात का जल्दी ही फैसला किया जाए कि इन ई०एस०आईज० डिस्पैसरीज और होस्पिटल्ज में काम करने वाले डाक्टर्ज किस

विभाग के तहत रहेंगे। यदि आज मजदूरों की जांच पड़ताल की जाए तो 70– 80 प्रतिशत मजदूर अस्वस्थ मिलेंगे। जब इन मजदूरों के काम करते करते हाथ–पैर कट जाते है तो वे अपाहिज हो उगाते है। उनकी तरफ ध्यान दैने वाला कोई नही होता और न ही उनको उचित मुआवजा मिल पाता है। जो यूनियनें वहां पर काम करती हैं वे श्री कई बार आपसी झगड़े में रहती है जिसकी वजह से संबंधित लेबर कौ फायदा नही मिल पाता। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था किं मेरे वक्त में 68 डिस्पैसरीज सैक्शन हुई थी लेकिन उनकी बिल्डिग आज तक नहीं बन पाई। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब हमारे पास 90 प्रतिशत पैसा ई०एस०आई० कारपोरेशन सें उपलब्ध है तो फिर 10 प्रतिशत पैसा ओर सरकार अपनी तरफ से मिलाकर वहां पर डिस्पैसंरी वगैरा की बिल्डिग क्यों नहीं बना देती? पिछली सरकार ने तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मजदूरों के सी के लिए जल्दी से जल्दी डिस्पैसरीज वगैरा बनाई जाए ताकि. उनका उचित समय पर ईलाज आदि हो सके। जिले में मजदूरों के भले के लिए एक कमेटी डी०सी० की अध्यक्षता में बनी हुई होती है। इस कमेटी. मे श्रम विभाग का अधिकारी भी मैम्बर होता है और दूसरे कुछ अधिकारी भी मैम्बर होते हैं लेकिन यह कमेटी भी मजदूरों के हितों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। कांग्रेस सरकार मजदूरो के हितों की दुहाई देती रही और उनके नाम पर ही मजदूरों को ठगती रही और पुंजीपति के पैसे पर खेलती रही। उस सरकार ने मजदूरों के हितों के लिए कुछ नही

किया जिसकी वजह से उसे परिणाम भुगतना पड़ा। मेरा अपनी सरकार से अनुरोध है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार मजदूरों के हितों का ध्यान रखेगी। यदि सरकार ने मजदूरों का ध्यान नही रखा तो हमारी सरकार को भी वे माफ नही करेंगे। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि बहुत से लेबर लाज की वाय– लेशन होती है। हमें यह देखना है कि लेबर लाज को किस प्रकार से इफैक्टिव तौर पर लागू किया जाए। इफैक्टिव तौर पर लागू करने के लिए एक स्पैशल कोर्ट हो। जिस प्रकार से मैंने पहले ट्रिब्यूनल की बात की थी उसी प्रकार सै ट्रिब्यूनल के. अलावा एक स्पैशल कोर्ट हो। मजदूरों के केसिज का फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से काफी समय तक नहीं होता है इसलिए उसके लिए विशेष बैन्च बनाने पर केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला जाए। उनके फैसले 15– 15 और 20–20० साल तक नही होते हैं इसलिए उनके फैसलों को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए स्पैशल कोर्ट हो। अगर स्पैशल कोर्ट होगी तो उनको तुरन्त हक मिल सकेगा। भारतीय जनता पार्टी और लोकदल की मिली जुली सरकार है। इस मिली जुली सरकार ने फैसला किया है कि आर्थिक नीति को ठीक प्रकार से लागू किया जाए। उसके लिए एक कमीशन की स्थापना की जाए। यह बात हमारी नीति के अनुरूप होगी। जिन कानूनों को अमैंड करने की आवश्यक्ता है उन्हें अमैंड किया जाए। अगर नए कानून बनाने की आवश्यकता हो तो नए कानून बनाए जाएं। उसमें हाउस के मैम्बर्ज को भी

ऐसोशिएट किया जाए ताकि मजदूरों को ठीक प्रकार से उनके हुक मिल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत से प्रबन्धक इंश्योरेन्स कारपोरेशन फण्डज को ठीक प्रकार से यूटेलाइज नहीं करते। उनके रहने के लिए ठीक प्रकार से प्रबन्ध नहीं करते। उनको इंसानों की बजाए पशुओं जैसी जिन्दगी व्यतीत करनी पड़ती है। वे गन्दी बस्तियों में रहते हैं। ये कानून बना रखे हैं कि उनके बच्चों को खेल–कूद, रिहायशी मकान और गार्डन आदि का प्रावधान हो लेकिन वे ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पाते हैं। इसलिए कोई विशेष सैल बना कर उनके रहने आदि की सभी सहूलियतें दी जाए। इंडस्ट्रीयलिस्ट, प्रबन्धक, मित्र मालिक को मजबूर किया जाए कि उस रैले से ऐसी बस्तियां बनाए जिससे उनको सहूलियत हो। अगर सरकार ऐसा पत्रने छेद असमर्थ हो तो केन्द्रीय सरकार से बातचीत करके तुरन्त अमैंडमैंट लायी जाए ताकि उस पैसे का ठीक प्रकार से यूटे– लाइजेशन हो सके, उनके रिहायशी मकान का प्रबन्ध हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुनरू समर्थन करते हुए यह मांग करना चाहूगा कि यह तुरन्त अमैंडमैंट कीं जाए और स्पैशल कोर्ट बनाया जाए ताकि आगे के लिए मजदूरों का हित. हो सके। जो लोग कानून की उल्लंघना करते हैं उन्हें दबोच करके जो हमारी सरकार की भावना है उसके अनुरूप चलाया जाए ताकि

जिन लोगों ने हमें चुन कर भेजा है उनके हित के लिए वे काम कर सकें।

चौधरी तैयब हुसैन (तावडू): डिप्टी स्पीकर साहब, जो अमेंडिंग बिल आया है, मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुछ समस्याओं की तरफ तो आर्य साहब ने तबज्जुह दिलायी है, मैं उन्हें सप्लीमैंट करना चाहता हूं। आमतौर पर लेबरर्ज के साथ ज्यादती होती है, उन्हें परेशान किया जाता है, उनकी प्रोटैक्शन नहीं की जाती। एक तरफ हैव का मामला है और दूसरी तरफ हैव नोट का मामला है। एक तरफ अमीर लोग हैं और दूसरी तरफ निर्धन लोग हैं। उन गरीब लोगों को जब फैक्टरियों में परेशान किया जाता है, निकाल दिया जाता है तो वे लेबर कोर्ट में जाते हैं जहां उन लोगों को न्याय लेने में बहुत वक्त लग जाता है। आम तौर से मैं फरीदाबाद का जिक्र करना चाहूंगा। वहां पर 10–12 साले से केसिज लटके पड़े हुए हैं उनका फैसला नहीं होता। उस गरीब मजदूर की हालत का आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अगर वह इतने लम्बे अर्से तक उलझा रहे और परेशान रहे तो उसका क्या हाल होगा? वहां पर एक एक फैक्टरी के अन्दर मुख्तलिफ किस्म की फर्में बना रखी हैं। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर बना रखे हैं। जो आदमी काम पर लगे होते हैं उनको यह पता ही नहीं होता कि वे फैक्टरी में काम कर रहे हैं या नहीं या उनका नाम किस रजिस्टर में दर्ज किया हुआ है। ये वर्कर 7–7, 8– 8 साल तक फैक्टरी में काम करने –के बावजूद भी डेली

वेजिज वर्कर के तौर पर लगे रहते हैं और फैक्टरी मालिक उन्हें ठेकेदार के आदमी के रूप में दर्ज करते रहते हैं। इस प्रकार मजदूरों का शोषण होता है। लेबर को इस प्रकार कीं परेशानी से बचाने के लिए आसान नियम बनाए जाने निहायत जरूरी है। मैं समझता हूं कि लेबर कोर्ट का जो प्रोसीजर है वह ज्यादा लम्बा और कम्पलीकेटिड है, इसे सिम्पल किया जाना चाहिए या अदालतों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। पहली दफा ही मजदूर को पेमैंट मिल जानी चाहिए। जब फैसला मजदूर के हक में हो जाए तो उसको सारी पेमेंट मिल जाएगी। उसको पेमैंट मिलने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि मालिक के हक में स्टे मिल जाता है। यदि मजदूर को पेमैंट मिल जाए तो उससे उसको काफी आराम हो जाएगा। सरकार को ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि उसको कुछ–न–कुछ अवश्य मिल जाए। जो झूठे केसिज वर्कर्ज के विरुद्ध दर्ज हुए हैं और वर्कर्ज उनसे परेशान हैं, उन केसिज को वापिस ले लिया जाए। ऐसा प्रावधान किया जाए कि मुकदमें लम्बे न चलें इसके अभावा मैं अर्ज करूंगा कि एक तरफ तो अमीर लोग है जिनके पास सभी तरह के साधन उपलब्ध हैं और दूसरी तरफ वे गरीब मजदूर हैं जिन्हें पेट भरने के लिए रोटी तक मुहैया नहीं होती। सरकार का यह फर्ज बन जाता है कि निर्धन और गरीब लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करे। इन अलफाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि पहले 20 प्रतिशत जुर्माना देना पड़ता था और अब 20 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। कितने साल तक इस्तेमाल करते रहेंगे इसके लिए कोई डैड लाईन रखवाई जानी चाहिए और रिकवरी होनो चाहिए। कारखाने दार ऐसा करते कुंए कि अपने कारखाने को बीमार घोषित करवा लेते हैं और सारी बात से मुक्त हो जाते हैं। यह बात तय होनी चाहिए कि इतने समय के वाद रिकवरी कर ली जाएगी ताकि मजदूरों का रुपया मजदरों के हित के लिए इस्तेमाल हो सके। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि मिनिमम वेजिज का कानून हर जगह लागू नहीं होता। मैं सुझाव दूंगा कि इस कानून को सख्ती से लागू करवाया जाए। मजदूरों की मांगों को दबाने के लिए कारखानेदार और सरमायादार तरह–तरह के रास्ते अख्तियार करते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं, और मजदूरों को उनके हक से वंचित रखते हैं। कारखानेदार मजदूर को जो उसके एरिया में, उसी की छत के नीचे नगम करता है, वह अपना वर्कर नहीं लिखते। कारखानेदार मजदूर को ठेकेदार का आदमी दिखाते हैं अपना आदमी नही दिखाते क्योकि ऐक्सीडैन्ट हो जाने की सूरत में ठेकेदार के आदमी दिखाकर मजदूर को दिए जाने वाले मुआवजे से कारखानेदार बच जाते है। इसलिये मैं यह पुरजोर सिफारिश करूगा कि ऐसा कानून बनाकर लागू किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की ऐक्सप्लायटेशन न हो सके।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर यह जो सशोधन विधेयक रखा गया है वह स्वागत योग्य है। श्रमिकों के हक का जो पैसा मिल मालिकों के पास रहता है, वह सही जगह पर, सही समय पर जमा होना चाहिए, ऐसा प्रावधान और कानून तो पहले ही से है। लेकिन उस कानून में व्याप्त खामियों और कमियों का लाभ उठा कर राशि सही वक्त पर जमा नहीं करवाई जाती और उसमें विलम्ब किया जाता है। यह संशोधन विधेयक चूकि इन कमियों और खामियों को दूर करने के लिए रखा गया है इसलिये यह स्वागत योग्य है। आज हरियाणा मे मेहनतकश मजदूर की हितैषी सरकार है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार से किसानो और मजदूरो के लिए अच्छे कार्य करने की अपेक्षा भी है। उपाध्यक्ष महोदय, हस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं इस लोक कल्याणकारी सरकार से एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि हरियाण में जो औद्योगिक वकास किया गया है उसके पीछ यहीं भावना थी कि हमारे कृषि क्षेत्र से जो युवक निकलें उनको औद्योगिक क्षेत्र में खपाया जाएगा और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा होगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि पुल के सिद्धांत का समर्थक नही हूं, यह कभी भी हमारा कहना नहीं कि हरियाणा के उद्योगो में केवल हरियाणा के लोगों को ही रोजगार मलना चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष सहोदय, आप दे खे कि जगह जगह रोजगार कार्यालय खुले हुए हैं जिनमें बेरोजगार युवक रोजगार पाने की आशा के साथ अपने नाम दर्ज करवाने हैं। यह प्रायः देखने मै आया है कि जो उद्योग हमारे प्रान्त में लगाए गए है

उन्होने उसी जिले में स्थित रोजगार कार्यालयों का भी उपयोग नहीं किया है। बहुत लम्बी बात न कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे अपने क्षेत्र में आपात काल के दौरान कानून की धज्जिया उड़ाते हुए, चार गांवों के किसानों को बेघर करते हुए तीन सौ एकड जमीन अधिग्रहित करके मारुति कार बनाने का कारखाना लगाया गया था। उसकी एक अलग कहानी है जिसक आज संदर्भ नही बनता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मारुति उद्योग जो गुडगांव जिले मैं नेशनल हाई वे नम्बर 8 पर लगाया गया, उसने कभी भी गुड़गांव स्थित रोजगार कार्यालय का इस्तेमाल नहीं किया। न केवल गुड़गांव बल्कि सारे हरि याणा के कसी भी रोजगार कार्यालय को महत्व न ही दिया। जब सरकार ने उस कारखाने को अपने अन्तर्गत ले लिया उसके बाद भी दिल्ली में जो सत्ता के गलियारे में हुकमरान बैठे थे उनकी चिट्ठियों पर लोगों को रोजगार दिए गए। हमारी भूमि पर यह कारखाना लगाया, चार गांव उजड़े हम यह नहीं कहते कि केवल हरियाणा के लोग ही उसमें लगने चाहिए थे। फिर भी इतनी अपेक्षा तो स्वाभाविक है कि वह कारखाना राज्य के रोजगार कार्यालयो का प्रयोग करे। जस समय इस कारखाने को सरकार ने अपने हाथ मे लया, उस समय उसका उद्घाटन करने देश की तत्कालीन प्र धान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां पधारी थी। वहां पर लोग विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे कि हमारी भूमि अधिग्रहित करके हमें बेघर किया गया है। लेकिन लोगो को प्रशासन ने समझा लिया और यह बात श्रीमती

गांधी के कानो तक पहुंचा दी। यह 14 सितम्बर, 1984 की बात है। मारुति उद्योग लिमिटिड के उद्घाटन समारोह में श्रीमती गांधी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि यह कारखाना इन गांबों के किसान परिवारो को उजाडने के लिये नही बल्कि बसाने के लिये लगाया गया है। जब यह कारखाना कार का उत्पादन करना शुरू कर देगा तो जिन लोगों की जमीन ली गई है उनके परिवार कें कम से कम एक एक सदस्य को अवश्य ही इसमें रोजगार दिया जाएगा। अफसोस की पात है कि इस देश के प्रधान मन्त्री की यात को भी इस सरका री उपक्रम ने पूरा नही किया है। यह तो अन्याय ही है। अतः जो बड़े बड़े कारखाने लगे हैं कम से कम जिनकी जमीनों पर लगे हैं उन परिवार के सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार ये अवश्य रोजगार दें। उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय असमानता किसी भी सरकार. और समाज के लिये कलक की बात होती है। हरियाणा हिन्दुस्तान का एक अपेक्षाकृत विकसित और छोटा प्रात है। इस देश मे आजादी के बाद कांग्रेस की हकूमत रही है, जिसने कुछ खास क्षेत्रों में ही तरक्की की बात सोची। जैसे जब बंसी लाल आये तो तोशाम की तरफ ही उनका ध्यान रहा और अब भजन लाल आये तो आदमपुर मंडी की तरफ ही उनका ध्यान रहा। उन्होंने कभी भी क्षेत्रीय असमानता को मिटाने के लिये कोई कारगर कदम नही उठाये बल्कि उनके कदम ऐसे थे जिनसे क्षेत्रीय असमानता और बढ़ी। फिलहाल तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास के कुछ काम होने के बावजूद काग्रेस राज के दौरान क्षेत्रीय असमानता निरन्तर बढ़ती रही है। मैं आज

तो केवल एक वात ही कहना चाहूंगा हमारा हरियाणा एक विकासशील प्रान्त है। हरियाणा एक छोटा प्रान्त है। उसके बावजूद भी इस प्रान्त में क्षेत्रीय असमानता व्याप्त है। कई इलाके इस क्षेत्रीय असमानता की मार का शिकार होकर पिछड़े हुए हैं, जिनमें मेरा अपना क्षेत्र भी शामिल है, जहां से मैं चुनकर आया हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी देवी लाल सरकार क्षेत्रीय असमानता को मिटाने के लिये दृढ़ संकल्प है। पहले भी कांग्रेस राज मे इस नाम पर कुछ काम हुए है। उन कामो में से एक काम यहू था कि कुछ इलाकों को पिछड़े हुए घोषित करके वहां का औद्योगिक विकास किया जाये अर्थात जिस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ धोषित किया गया वहा सरकार ने उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि हम तुम्हे सबसिडी देंगे, सेल्ज टैक्स में छूट देंगे। बिजली पर जो डियूटी लगती है, वह माफ करेंगे तथा और भी कई सुविधाए दंगे उसके अच्छे परिणाम निकले। बड़े–बड़े उद्योगपति पिछड़े क्षेत्रों में आये। वहा पर औद्योगिक विकास हुआ। लेकिन पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिक विकास का यह मतलब कतई नहीं है कि वहां पर केवल बड़ी–बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जायें, उनमें 24 घंटे बल्ब जलें अपितु उसका मतलब यह है कि कारखाने वहां पर लगे ही नही बल्कि वहां पर रहने वाले गरीब और पिछड़े लोगों को रोजगार मिले। जो अपेक्षाकृत गरीब हैं, जो अपेक्षाकृत दरिद्र और बेरोजगार हैं, उन्हें सरकारी सहायता और सुविधा से जो औद्योगिक विकास हो रहा हैं, उससे उनको रोजगार मिले। सरकार का यह प्रयत्न था कि नये उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में खोला जाये ताकि वहां के लोगों को

रोजगार मिले और वे प्रगति की दौड़ में दूसरे क्षेत्रों के बराबर आगे आयें। पिछड़े क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा भी यह थी कि वह जो औद्योगिक विकास हो रहा है, इसेसे गरीब, दरिद्र और बेरोजगार लौगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में धारुहेड़ा का उदाहरण अफसोसजनक है। इस क्षेत्र में लगे उद्योगों की बाबत मेरे एक बात के जवाब मे सरकार ने यह स्वीकार किया है कि धारुहेड़ा में जितने उद्योग सरकारी सहायता और सुविधा देकर लगाये गये हैं, उनमें वहां के कारखानेदारो के अनुसार, पब्लिक के या और किसी के अनुसार नही, उनमें काम करने वाले लोगों में जिनमें अन–स्किल्ड लेबर भी शामिल है केवल 23 परसैन्ट ही पिछडे हुए जिले महेन्द्रगढ़ के हैं। जिस जिले का. विकास करने के लिये, जिस जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये औद्योगिक विकास किया गया, वहां के केवल 23 परसैन्ट लोग ही उन कारखानों में है तो आप ही सोचिए कि उनका पिछडापन कैसे दूर होगा? मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि न केवल महेन्द्रगढ़ बल्कि हरियाणा के तमाम ऐसे क्षेत्र, जो पिछड़े हुए हैं और जहां पर सरकार सहायता और सुविधायें प्रदान करे औद्योगिक विकास करना चाह रही हैं, वहां जब भी औद्योगिक विकास हो, जब भी वहां पर नयी औद्योगिक इकाइयां लगायी जाये, उसमें यह प्रावधान होना चाहिये कि उन औद्योगिक इकाइयों में जब तक उपलब्ध हों, तब तक न्यूनतम 80 प्रतिशत– नौकरिया उसी पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों को दी जायें। उपाध्यक्ष महोदय एक दूसरा प्रावधान जो मैं चाहूगा, जैसा मैंने

पहले जिक्र किया, किसी भी क्षेत्र के प्रान्त के किसी भी इलाके के जिन लोगों की भूमि अभिगृहीत की जाये, उनके परिवार के लोगों को वहां पर लगे उद्योग में, उनकी योग्यता के अनुसार अवश्य रोजगार दिया जाये। एक बात मैं और कहना चाहूंगा। धारुहेड़ा के उद्योगपति, मारुति या अन्य दूसरी औद्योगिक इकाईयों वाले अन्य प्रान्तों के लोगो को ही लगाते है, जैसे यू० पी०, बिहार, तमिलनाडू के लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है कि हरियाणा मे लोक उपलब्ध न हों। बात यह भी नही है कि इन उद्योगपतियों कौ हरियाणा के लोगों से नफरत है अथवा यू० पी०, बिहार या तमिलनाडू आदि के लोगों से कोई विशेष प्यार या मोहब्बत है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे एक चाल होती है। उनकी सोच है कि अगर इन उद्योगों में स्थानीय लोगों को ले लिया गया तो मजदूर–कर्मचारियो का वे शोषण नही कर सकेंगे। अगर उनका शोषण किया गया उनको न्यायोचित वेतन आदि नहीं दिये गये उनको जो कानूनी सुविधायें दी जानी चाहियें, वे नही दी गयीं, जैसे ओवर–टाईम पूरा नहीं दिया गया या ई० एस० आई० की फैसिलिटी नहीं दी गयी तो वे इसको सहन नही करेगे। स्थानीय मजदूर कर्मचारी अपने परिवार के सहारे रोटी खाकर शोषण के खिलाफ लम्बा संघर्ष कर सकते हैं। जबकि पांच सौ मील से या सात सौ मील से हमारा जो भाई बिहार यू० पी० और तमिलनाडू से आया है हमें उनसे नफरत नही है, हम उनके हित के प्रति पूरी तरह सचेत हैं लेकिन यें उद्योगपति उसको इसलिये नहीं लेते कि इन्हें उसका कोई भला करना है बल्कि उसके पीछे इनकी मंशा

यह रहती है कि जो आदमी पांच सौ या सात सौ मील से आया है, किराए के मकान मे रहता है स्लम में रहता है, अगर उसका शोषण किंया जाएगा तो उसमें सघर्ष करने की जुर्रत नही होंगी। जो व्यक्ति सात सौ मील दूर स्लम में पड़ा है उसे रोटी की चिन्ता है। अगर वह कोई सघर्ष करेगा, स्ट्राइक करेगा तो वह भूखा मरेगा अत रू उसका ज्यादा शोषण किया जा सकेगा। इसलिये ये लोग बाहर के लोगों को हरिया णा के लोगो की निस्बत लेते है। उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका अनुमोदन करते हुए गुजारिश करूंगा कि रोजगार कार्यालयों को वेगें जगार कार्यालय न माना जाए। जिन की जमीन जाती है उनको मुआवजे में और सहानुभूति के रूप में वहा, लगने वाले का रखाने में जरूर नौकरी दी जाए। पिछड़े क्षेत्र में सरकारी सहायता व सुविधा से जो कारखाने खोले जाएं उनसे उस पिछड़े क्षेत्र की बेरोजगारी मिटाने अर्थात उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने का ईमानदार और पूरा पूरा प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): उप महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दया। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसके साथ ही साथ इस बिल से जो बातें मेल खाती हैँ उनके बा रें मे कुछ कहना चाहता हू। उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में औटो पैन के नाम से तीन फैक्टरियां हैं। उसके मालिक ने दो फैक्टरियां बन्द कर दी है। उसकी एक तीसरी फैक्टरी है। वहां पर श्री जगन्नाथ गेरा जो

भारतीय मजदूर लीडर हैं उसको बहुत बुरी तरह से पिटवाया है। उस फैक्टरी के मालिक ने मजदूरों के प्रोवी – डैन्ट फण्ड को सरकार के खजाने में जमा नहीं कराया और ई० एस० आई० फण्ड का भी दुरुपयोग किया है। उस आदमी ने सेल्ज टैक्स का बहुत सारा रुपया सरकार के पास जमा नही कराया। श्री जगन्नाथ गेरा को पन्द्रह दिन पहले फैक्टरी से निकाल दिया गया। उसके ऊपर चाकू का झूठ मुकदमा बनाया और उसको बुरी तरह से पीटा गया। श्री जगन्नाथ आज भी बी० के० अस्पताल में दाखिल है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। मजदूरों का जो फण्ड है और सरकार का जो सैल्ज टैक्स है वह ठीक समय पर सरकार के खजाने में जम होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, उस फैक्टरी के मालिक का नाम अवतार सिंह है। उसके खिलाफ बिना जमानत के वारन्ट निकले हुए हुँ लेकिन वह खुलेआम घूम रहा है, उसको आज तक गिरफतार नहो किया गया है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करुगा कि उस आदमी के खिलाफ सख्त ऐक्शन लेना चाहिए।

श्री आत्मा राम गोदारा (घिराय): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो पंजाब लेबर वैलफेयर फण्ड (हयिाणा अमैंडमैंट)बिल, 1988 रखा गया है, मैं उसका स्वागत करने के लिए खडा हुआ हूं। यह वाकई ही प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है क्योंकि लेवर तबके को जो कमी महसूस हो रही थी और बडे–बडे कारखानों में और बड़ी बड़ी इंजस्ट्रीज मे वहां के मालिक लेबर के फण्ड को

अपने इस्तेमाल में ले लेते थे और उसका सही फायदा लेबर तक नही पहुंच पाता था, इस अमैंडमैंट मे उस कमी को दूर कर दया जाएग। यह बात सराहनीय है और यह बात इस बात को भी जाहिर करती है कि हमा री यदु सरकार लेबर के बारे में कितनी चिन्तित है और लेबर के इंटैरस्ट को कितना अच्छी तरह से वाच करती है। इस अमैंडमैंट से जो वातावरण मे फर्क आया है वह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहले इंडस्ट्रीज का मालिक जव लेबर के फण्डज को सही समय पर जमा नही करवाता था ते उसके लिये उसे से 25 परसैन्ट फाईन ले सकते थे लेकिन डस अमैंडमैंट से दो तीन बातें नई आई है। पहली बात ते यह है कि इस राशि को जम करवाने के लिये समय निश्चित कर दया गया। पहले यह था कि अगर प्रेसक्राइब्ड समय पर मिल मालिक पैसा जमा नही करवाता था तो 25 परसैन्ट फाइन लगता था लेकिन अब यह कर दिया है कि अगर ए क साल के भीतर –भीतर इंडस्ट्रीयलिस्ट पैसा जमा नही करवायेगा तो उस सारी रकम के ऊपर 12 परसैन्ट ब्याज उसे और देना पडेगा। इसके इलावा एक साल और लेट होने पर 20 परसैन्ट इंटैरस्ट उस होल अमाऊट पर फैक्टरी के मालिक को देना पड़ेगा जिससे जुर्माने की राशि बढ़ती जायेगी। इन सब बातों से फैक्टरी के मालिक पर अंकुश सा लगेगा और जो पैसा वह पहले लेबर का इस्तेमाल करता था उसके बदले में उसको पहले मामूली सी फाइन देना पड़ता था अब अगर वह मजदूरों का पैसा इस्तेमाल करेगा तो उसको भारी रकम अदा करनी पड़ेगी जसका इस विधेयक के आचर प्रावधान किया

गया है। इससे लेबर के पैसे का दुरुपयोग नही हो सकेगा। लेबर से सम्बन्धित जो अमैंडमैंट यहां पर लाई गई है इस से ले बर के साथ पूरा इन्साफ होगा और इंडस्ट्रीयलिस्ट अब किसी तरह से लेबर को ऐक्सपलायट नही कर सकेंगे जिससे लेबर को अपने पै से का पूरा लाभ होगा। वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहब, लेबर के हक में सै कड़ों ऐक्ट्स बनते जरूर हैं लेकिन डन ऐक्ट्स के अगर दे खे तो पता चलेगा कि सै कड़ों की गिनती ऐसी है जोकि लेबर के हक मै हैं लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो ऐनफोसमैंट एजेन्सीज हैं वे इस मामले में उदासीन हैं और इस ऐक्ट्स से लेबर तबके को जो फायदा पहुंचना चाहिये वह इन ऐन फोर्समैंट एजेन्सीज की वजह से नहीं मिल पा रहा है क्योकि वे मिल मालिको से मिल कर जानबूझ कर इन को ऐन्फोर्स नही होने देते जिसकी वजह से लेबर के। नुक्सान हो रहा है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह समझता हूं कि लोकदल की सरकार इस मामले में सचेत है और इस अमैंडमैंट के यहां पर लाने का यह हशर होगा कि जो इंडट्रीयलिस्टस पहले लेबर के साथ खिलवाड़ करते थे, उस के पैसे का दुरुपयोग करते थे अब वे नही कर पाएंगे। अब सरकार ने इस अमैंडमैंट के द्वारा उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मिसाल के तौर पर जो लेबर के ऐक्ट्स को ऐनफोर्स करने वाली ऐजेन्सी है उस एजेन्सी से सम्बन्धित मैं आपको अपने हिसार जिले की एक हिसार टैक्सटाईल मिल के बात बताता हूं। इस मल में लगभग 5 हजार मजदूर काम

करते थे, बड़ा अच्छा कंसर्न था और उससे काफी फायदा भी होता था और उस मिल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी लेकिन उस समय की सरकार और लेबर से सम्बन्धित अफसरान की लापरवाही के कारण, उस कंसर्न को देखते–देख ते इंडस्ट्रीयलिस्टस वहां से उठाकर ले गये और उससे खुल्लमखुल्ला यह साबित होता था कि इस इंडस्ट्री को जानबूझ कर बन्द कराने में कईयो का हाथ है। अगर सही समय पर सही कदम उ ठाया होता तो वह इंडस्ट्री बन्द न होती और जो 5000 के करीब उसमें लेबर काम कर तो थी उस को और उनकी फैमिलीज को बरबाद न होना पड़ता लेकिन ऐन्फोर्समैंट एजेन्सी और सरकार इन दोन ओं के मल जाने से हिसार जिले को काफी नुकसान हुआ। खास तौर से लेबर तबके को जोकि उस फैक्टरी मे काम करती थी। 5000 के करीब उसमें काम करने वाले मजदूरों के परिवार बिल्कुल बेकार हो गये और दर–दर भटकने लगे। लेबर तबके को खास तौर से बडा नुक्सान उठाना पड़ रहा है। मैं समझता हू कि हरियाणा सरकार इस बारे में काफी चिन्तित है और यह मिल फिर दोबारा काम करे तथ सुचारू रूप से इस मिल मे काम हो सके इस बात के लिए हमारी सरकार कुछ कदम उठा रही है लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूं गा कि इस मिल को चलाने के लिए हमारी सरकार की कदम उठाने की जो गति है उसमें तेजी आनी चाहिए। जहां तक लेबर के साथ न्याय और अन्याय की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लेबर को डील क्रने वाली के कोर्ट या तो लेबर कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर लेबर आफिसर होता

है या फिर लेबर ट्रिब्यूनल हैं जिनके पास लेबर अपना न्याय पाने के लिए अपील कर सकती है। लेबर कोर्ट सिर्फ दो हैं जिसकी वजह से हरियाण की लेबर को न्याय पाने में काफी दिक्कत उठानी पडती है। जैसे माननीय सदस्य श्री हीरा नन्द आर्य जी ने कहा था कि हरियाणा में ले बर कोर्ट ज्यादा बढ़ाई जाएं। मैं उनकी बात की ता ईद करता हूं कि लेबर कोर्ट ज्यादा बढ़ाई जाएं ताकि लेबर को नजदीक और जल्दी न्याय मल सके। इसके अलावा लेबर के साथ एक खास दिक्कत यह होंती हैम कि जैसे ऐक्सीडैटं के केस हो ते हैं उसके लए लेबर अपने मुआवजे के लिए दरख्वासत देती है। इस मामले में दे खा गया है कि वह कोर्ट भी उस मामले को जल्दी नही निपटाती और ज्यादा समय लेतीं है। ज्यादा समय लेते हुए कम से कम 2 – 2 और 3 – 3 साल लगा दे ती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि लेबर को न्याय ठीक और जल्दी नहीं मिल पाता। इंडस्ट्रीयलिस्टस अपने पै से के बलबूते पर लेबर को इतना मजबूर कर देते हैं कि अन्त में समय और पैसे के अभाव के कारण लेबर को मल मालिक के साथ समझौता करना पड़ता है। लेबर को उस सिलसिले में उससे ज्याद रकम मल सकती थी लेकिन समय के और पैसे के अभाव के कारण थोड़े पैसे मे मिल मालिक के साथ समझौता करना पडता है। इसलिये मैं सरकार से, अनुरोध करूंगा कि ऐसी अमैंडमैंट लाई जाए जैसे लेबर ऐक्सीडैट का केस हो उसपे लेबर की मुआवजे की दरख्वास्त जाने के फौरन वाद उसने जितना मुआवजा क्लेम किया हो उसका आधा पैसा मिल जाए ताकि आर्थिक तौर पर वह अपने केस को ठीक तरह से लड़

सके। मैंरू इस बारे में सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार ईस मामले में इस बात का प्रावधान अवशय करे।

इसके अलावा हमारे साथी श्री रघु यादव जी ने सन आफ दि सोयल की बात की। इस बारे में मैं तो यह कहूंगा कि हरियाणा के अन्दर जितनी भी बड़ी–बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई है उनमें 90 परसैन्ट लेबर हरियाणा से बाहर की काम करती है। हमारे हरियाणा के अन्दर ऐसे इंडस्ट्रीयलिस्टस हैं जो खुल्लमखुल्ला हरियाणा के लोगों को अपनी इंडस्ट्रीज में लेने के लिये तैयार नही हैं। चाहे उसे हारेयाणा का कोई आदमी मुक्त कामे करने के लिए मिले फिर शी नही लेते। इस तरह की मानसिकता इंडस्ट्रीयलिस्टस की बन रही है जोकि बहुत ही खतरनाक है। जवकि उनको हरियाणा के अन्दर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हर प्रकार का फायदा मिलता है। उनकी इस तरह की भावना नही होनी चाहिए कि वे हरियाणा के किसी आदमी को अपनी इंडस्ट्रीज में एम्पलायमैंट न दें। यह बहुत ही गलत बात है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब हरियाणा के अन्दर कोई इंडस्ट्री ऐस्टैव्लिश होती है और सरकार के साथ जो ऐग्रीमैंट होता है उसमें इस बात का प्रावधान कर दिया जाए कि जिस जगह पर इंडस्ट्री लगेगी उस लोकेलिटी के लोगों कों लेबर के तौर पर और उसके आफिस में एम्पलायमैंट दी जाए। इस प्रकार का प्रावधान उस ऐग्रीमैंट में जोड़ा जाए।

16.00 बजे।

जहां तक कानून न होने का ताल्लुक है, इस सिलसिले में कानून भी बनाया जा सकता है और सरकार को बनाना भी चाहिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है। खासतौर से जब इण्डस्ट्रीयलिस्टस की मानसिकता इस तरह से काम कर रही है कि वे यहां के लोगों को ऐम्लाएमैंट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालत में ऐग्रीमैंटस में इस तरह का प्रावधान करना बहुत ही जरूरी हो. गया है। इसके साथ–साथ मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जहां तक यूनियन का ताल्लुक है, ऐसा देखा गया है कि हरियाणा में बड़ी–बड़ी इण्डस्ट्रीज में यूनियनें बनाने नहीं दी जाती। जिन्दल इण्डस्ट्री के मालिक सरे आम कहते हैं कि हम अपनी कंसर्न में यूनियनें नहीं बनने देंगे चाहे हमें मजदूरों पर गोलियां भी क्यो ना चलवानी पड़े। दूसरी तरफ वे कहते है कि हम अपनी लेबर को दूसरी इण्डस्ट्रीज के मुकाबले अधिक सहूलियतें दे रहे है अगर ऐसी बात है, तो फिर वे यूनियन क्यों नहीं बनने देना चाहते जब भी वहां पर यूनियनें बनने की बात आई तो वहां मजदूरों पर जिन्दल इण्स्ट्रीज वालों ने गोलियां भी चलवाई हैं। 1977 में चौधरी देवी लाल जी जब पहली, बार मुख्य मन्त्री बने थे तो ऐसा हुआ था। उस समय चौधरी देवी लाल जी ने उनके खिलाफ कार्यवाही भी की थी। अब भी बहुत सी ऐसी इण्डस्ट्रीज हैं जहां पर हालांकि लेबर की जायज मांगे होती हैं लेकिन उनमें मालिकों की तरफ से बाधा डाली जाती है और उनके हक उन्हें नहीं दिये जाते। ऐसी इण्डस्ट्रीज के बारे मे मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो इण्डस्ट्रीज मजदूरों के हकों मे बाधा

डाले उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करे ताकि लेबर को इन्साफ मिल सके। इतनी बात कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री रत्न लाल कटारिया (रादौर, अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मै इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सैकड़ों वर्षो के लगातार परिश्रम के बाद इस देश के अन्दर आजादी आई थी। बाबा अम्बेदकर ने जिस संमय भारत का संविधान बनाया, उस वक्त उन्होंने कहा थाकि आज हम राजनीतिक तौर पर आजाद हुए हैं लेकिन अभी हमे इस मुल्क के अन्दर आर्थिक स्तर पर भी आजादी लानी होगी। उस समय के प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरु ने इस प्रकार की दिशा देनी चाही थी कि हम कम्युनिस्ट पैट्रन को न अपनायें बल्कि वैस्टर्न पैट्रन को अपनायें और इस देश के अन्दर इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने की कोशिश की। लेकिन देखने में यह आया कि पिछले 40 सालो से इस देश के अन्दर टाटा–डालमिया, बिड़ला और मफ्तलाल जैसे उद्योग ही पनपते रहे है और इन उद्योगों मै मजदूरों ने अपना दम तोडा है। इतिहास इस बात का साक्षी है। एक बात मैं श्री सूरजभान जी को याद दिलाना चाहता हूं, जो इस समय इस महान सदन के सदस्य है। जब ये लोकसभा के मैम्बर थे तो पार्लियामैंट की एक कमेटी इस बारे में बनी हुई थी। वह कमेटी एक डैलीगेशन के रूप मे दमन द्वीप गई थी। उस कमेटी में श्री सूरजभान जी भी मैम्बर थे। जब ये वहां पर गए तो एक मजदूर इनकी तरफ एक दरख्वास्त लेते हुए आया और कहने लगा कि

आदरणीय सूरजभान जी आज मैं खाना खा कर आया हूं लेकिन फैक्टरी के मालिकों ने काम नही दिया। इन्होंने कहा कि मैं आपकी बात समझा नही। इस पर वहां जो दूसरा कर्मचारी खड़ा हुआ था उसने बताया कि हम लोग 15– 15 दिन तक भूखे रहते हैं और जब कभी काम मिलने की आशा होती है उस दिन पाव भर चावल खाकर काम पर आने की सोचते है। (विघ्न)डिप्टी स्पीकर साहब जब उसको यह बताया गया कि पाव चावल खाने के बाद उसे काम नही मिलेगा तो आप मजदूर को हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। उस मजदूर का क्या कसूर है? 15 दिन तक भूखे रहने के बाद भी उसे काम नही मिला। इस प्रकार शोषण मजदूरों के साथ किया जा रहा है। जो लेबर फ्रन्ट पर काम करते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है।। इसी तरह ऐग्रीकलचरल लेबर की बात है। अब गेहूं निकालने का सीजन आ रहा है। गेहूं निकालने की मशीन के अन्दर किसी लेबर का हाथ कट जाता है तो उसे कोई हैल्प नही मिलती है क्योकि मजदूर और किसान का पैसा रिश्ता होता है कि वह उस सारे जुल्म को सहन कर लेता है। अपने ही गांव की बात होती है इसलिए वह सहन करता रहता है। उसका भाई चारे का रिश्ता होता है। हाथ कट जाने के बाद भी वह अपनी आवाज को दबा कर रह जाता है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी परियोजना नहीं बनायी गई कि उनको किसी किस्म की राहत दी जा सके। मैं रादौर हल्का का रहने वाला हूं। वहां पर पानी का लैवल 70 फुट नीचे चला गया है। जब वहा पर मजदूर 60– 70 फुट नीचा गढ़ा खोदते हैं तो कई बार ऐसी अप्रिय घटना

हो जाती है कि सारी की सारी मिट्टी उस मजदूर पर गिर जाती है। उसी समय वह अपने प्राण खो देता है। उसका सारा परिवार तड़पता रहता है लेकिन उसे किसी प्रकार की कोई राहत नही दी जाती। इसी तरह से फैक्टरी का मालिक चाहता है कि तेरा किसी प्रकार से मुनाफा बढ़े। जब कभी मजदूर तन्ख्वाह बढ़ाने की बात करता है तो उस मालिक को इस बात की शंका रहती है कि कभी यह मजदूर दो पैसे कमा कर अपने पैरों पर खड़ा न हो जाये। इसी कारण से मजदूरों में असंतोष व्याप्त है। अमीरों के बच्चे देहरादून स्कूलों में पढ़ते हैं। उनका दस हजार रुपये महीने का खर्च होता है, लेकिन एक मजदूर जो दिन रात कारखाने में काम करता है वह अपने बच्चों को शिक्षा नही दिला सकता। वह उनके लिए दवा का प्रबन्ध नहीं कर सकता। उनको किताबें नहीं दे सकता। यह बात कई बार देखने में आयी है कि हजारों कर्मचारी और मजदूर अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी नही दे सकते है। उनका नाम स्कूल केरोल से कट जाता है। आज प्रधान मन्त्री जी कहते हैं कि इस मुल्क को 21 वी सदी मे ले जाएगे। ये क्लीन कहलाने वाले प्रधान मन्त्री आज इस बात को नहीं देखते कि मजदूरों की क्या दशा हो रही है? आज धनाढ्य लोग कारखानों पर छाये हुए हैं। अगर थोड़ी सी कोई पैसे बढाने की बात आती है तो मैनेजमैंट मजदूर की बात सुनने के लिए तैयार नही। फैक्टरी का मालिक गुस्से के साथ कहता है कि एक मजदूर जो मेरे कारखाने मे काम करने वाला है, वह मेरे साथ बैठ कर बात कैसे कर सकता है। बाबा अम्बेदकर, का कंसैप्ट औफ इक्वैलिटी

संविधान के आर्टिकल 14 में दिया गया है। लेकिन इन लोगों ने तो संविधान की धज्जियां उड़ा कर रख दीं। उक्तके साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि जब इस प्रकार के कानून बनायें जायेंगे कि एक टेबल पर बैठ कर मालिक और कारखाने का मजदूर आपस में बात करेंगे तब ही मजदूरो का कल्याण हो सकेगा, देश की बढौतरी होगी और मजदूर तथा मजदूर के बाल–बच्चों का भी विकास होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब मजदूर पार्टनरशिप की या तनख्वाह बढ़ाने तथी अन्य किसी फैसिलिटी की मांग करते हैं तो सरमायदार और फैक्टरी मालिकों को ये बातें सहन नही होती। अभी हाल ही में लिबर्टी शू फैक्टरी का मामला था आपके सामने आया कि किस प्रकार उस फैक्टरी के मालिकों ने गुण्डों का सहारा लेकर मजदूरों पर गोली चलवा दी। आपको पता ही है कि किस प्रकार से दो मन्त्रियों ने करनाल जाकर सारे हालात का जायजा लेकर बड़ी कठिनाई से मसले पर काबू पाया है। इस प्रकार की कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। कई फैक्टरियों मे तालाबन्दी हो जाती हूँ। यदि कोई फैक्टरी 5–6 महीने के लिए बन्द हो जाती है तो इससे उसके मालिक को कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। लेकिन एक मजदूर को फैक्टरी के बन्द होने से बड़ा अन्तर पड़ता है। उसके बच्चों पर बड़ा अन्तर पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस बिल से मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। इन शब्दों के साथ मै इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

चौधरी शिव लाल (पटौदी, अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय यह जो क्लाज 2 में जो सब–सैक्शन 4 है, इसमें लिखा है कि –

The employer shall be required to pay interest at the rate of twelve per cent per annum on the amount of unpaid accumulation; in case he fails to deposit the same within a period of one year from the prescribed date. The rate of interest thereafter shall be twenty per cent per annum."

इसका मतलब तो यह हुआ कि एक साल तक कोई इन्टरैस्ट नही लगेगा। साल के बाद 12 प्रतिशत ब्याज एक्युमेलेटिड राशि पर लगेगा। इस प्रकार एक साल तक इस राशि का मिस–यूटिलाईजेशन होता रहेगा। एक सात के बाद यह रेट औफ इंट्रैस्ट लागू होगा, इस प्रोविजन को क्लीयर किया जाए ताकि इसमें कोई फला न रहे वरना मिल मालिक इसका बैनिफिट उठा कर लेबर ऐक्ट के जो वास्तविक बैनिफिशरीज है, उन तक इस का लाभ नही पहुंचने देंगे। मजदूर को इस बिल मे जो बैनिफिट दिया जाना है, दरअसल उसमें अगर कोई थोड़ा सा भी लाकूना होगा तो मिल मालिक उसका लाभ उठा कर मजदूरी को उनके वास्तविक हक और लाभ से वंचित करने– के तरीके निकाल लेने। मेरे विचार से इस बिल की क्लाज 2 को और क्लीयर किया जाए ताकि कोई मिल–मालिक बैनिफिट आफ डाउट उठा कर मजदूरो का शोषण न कर संके। इतना कह कर मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

चौधरी सतबीर सिंह कादयान (नौलथा): उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम संशोधन, 1988 सदन मे पेश किया गया है। मजदूर के लिए यह एक बहुत ही अच्छी बात है। मजदूर के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कि उसको वेजिज, बोनस, ओवरटाईम, ग्रैच्यूटी आदि समय पर मिले, यह बिल लाया गया है। यदि कारखानेदार मजदूर को वेजिज, ओवर टाईम, ग्रैच्यूटी आदि समय पर नहीं देगा तो उसको पैनल्टी और अधिक ब्याज देना पडेगा। लेकिन पंजाब सिविल सर्विसिज रुल्ज के तहत डैथ–कम–रिटायरमैंट ग्रैच्यूटी का प्रोविजन है। कई फैक्टरी मालिके हरियाणा सिविल सर्विसिज रुल्ज की इस धारा को अपनाकर ग्रैच्यूटी नहीं देते क्योंकि कई बार मजदूरों के हालात ऐसे होते हैं कि वे, फैक्टरी छोड कर चले जाते हैं और उनकी पाच या दस साल की नौकरो हो चुकी होती है। यदि नियमानुसार फैक्टरी वाले ये रुल एडाप्ट कर ले तो मजदूर कौ ग्रैच्यूटी का पैसा नही मिलता। इस प्रकार के केसों में कर्मचारी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हैं परन्तु कोर्ट में भी ये मजदूर हार जाते है क्योंकि फैक्टरी मालिक यह तर्क लेते हैं कि ग्रैच्यूटी केवल डैथ–कम–रिटायरमैंट पर ही दी जाती है। इसके फलस्वरूप मजदूर को ग्रैच्यूटी का पैसा नहीं मिल पाता। इसलिये इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो मजदूर फैक्टरी छोड़ करू चले जाते है उन्हें यह पैसा अवश्य मिले। इसके लिए फैक्टरी कांस्टीच्यूशन एण्ड रूल्ज को ध्यान से दोबारा पढ़ा जाए और ग्रैच्यूटी के बारे मे विशेष रूप से यह तय किया जाये कि ऐसा कोई प्रावधान न हो

कि मजदूर को नौकरी छोर्ड्ने पर ग्रैच्यूटी का लाभ न मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव दूंगा कि आने वाले समय में ग्रैच्यूटी मजदूर को अवश्य मिले, यह सुनिश्चित किया बाए। इसके साथ सदन में प्रस्तुत इस बिल का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

सहकारिता राज्य मन्त्री (डा० रघुबीर सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, इस अमैंडमैंट पर इस महान सदन के काफी माननीय साथी बोले जैसे आर्य साहब, तैयब जी, कामरेड हरनाम सिंह, श्री रघु यादव, भाटिया जी, कटारिया जी, गोदारा साहब, शिव लाल जी और सतबीर सिंह कादयान। ये, मोटे तौर पर इस अमैंडमैंट के समर्थन में बोले। मैं उनका अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। जहां तक इस अमैंडमैंट की थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन के बारे में श्री शिव लाल जी ने पूछा है कि एक साल तक इंडस्ट्रियलिस्ट अमाउंट का मिस यूटिलाइज करेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को तथा सदन को यह बताऊं कि यह जो अमैंडमैंट बै, जो अन पेड वेजिज, सैलरीज, बोनस और ओवर टाइम का है यानी जो अन पेड अमाउंट लेबर का रह जाता है उसको मैनेजमैंट या इडस्ट्रियलिस्ट तीन साल तक देने की कोशिश करते है, उसके बाद एक महीने का ग्रेस पीरियड है। उस ग्रेस पीरियड के बाद अगर उस अमाउंट को इडस्ट्रियलिस्ट जमा नही करवाता तो पहले प्रावधान के मुताबिक उसके ऊपर 25 प्रतिशत पैनीलटी लगती थी लेकिन उसमें

प्रैसकाइब्ड पीरियड की लिमिट नही थी। इसीलिए अमाउंट आने में देरी होती थी। अब के प्रावधान में पहले साल में 12 प्रतिशत इन्ट्रैस्ट लगेगा और उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे साल में 20 प्रतिशत इंट्रैस्ट लगेगा। उसके बाद वह पैसा ऐज एरियर्ज औफ लैंड रैवेन्यू रिकवर किया जाएगा। मैं नही समझता कि हमारे साथी श्री शिव लाल जी के अनुसार उस पैसे की कोई मिस यूटिलाइजेशन होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत से साथी पैंडिंग केसिज के बारे में बोले। ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्टस के बारे में उन्होंने अपने विचार इस सदन के सामने रखे.। डिप्टी स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं इस सदन की जानकारी के लिए यह बताऊं कि एक ट्रिब्यूनल आलरेडी ऐग्जिस्ट करता है और हमारे लेबर कोर्टस को भी ट्रिब्नूल की पावर्ज दे दी गई हैं। एक और तेवर कोर्ट की ऐप्रूवल सरकार के अंडर कंसिड्रेशन है। इसके साफ साथ 1–9–1986 से 15–2–1987 तक 28816 इंस्पैक्शंज लेबर डिपार्टमैंट द्वारा की गई जिनमें से 4575 केसिज में प्रोसी– क्यूशन लौच की गई और 4092 कन्विक्शन हुए। उसमे 11 लाख 6 हजार पांच सौ रुपए ऐज फाईन रियलाईज हुए। इसके साथ ही आर्य साहब ने लेबर वैल्फेयर स्कीम्ज के बारे में कहा। अब नयी स्कीमें लेबर वैल्फेयर के लिए बनाई गयी है। उनमें होली–डे–होम्ज, नेवर वैल्फेयर सैटंर्ज, फाइनैशीयल हैल्प टू विडोज एण्ड डिपैडैंट्स आफ डिसीज्ड वर्कर्ज, कैश अवार्ड स्कालरशिप टू वर्कर्ज चिल्ड्रन, इन्ट्रैस्ट फ्री लोन, लेबर वैल्फेयर क्लब, सप्लाई औफ कलर्ड टी० वीज० और हाउसिंग के लिए भी प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा

एक लेबर जरनल भी वर्कर्ज की जान कारी के लिए बनाया गया है। इसके साथ–साथ आर्य साहब ने ई० एस० आई० डिस्पैसंरीज के बारे मे भी बोला। कल उनका इस तरह का एक सवाल भी है जो ई० एस० आई० डिस्पैसंरीज के बारे में है। लेकिन अभी मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इसी स्कीम के तहत भवानी और बल्लभगढ़ में दो अस्पतालो की बिल्डिंग अन्डर कंस्ट्रक्शन है। इस साल वर्कर्ज की मैडीसन्ज पर जो प्र ति वर्कर खर्च किया जाता था, वह 55 रुपए पहले होता था जिसको अथ बढ़ा कर 65 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा इस साल 41 पार्ट टाईम स्पैशलिस्ट्स वर्कर्ज के लिए रखे गए हैं। डिप्टी स्पीकर सर, माननीय साथी तैयब हुसैन जी ने कैजुअल वर्कर्ज की हैरासमैंट या ऐक्सप्लायटेशन के बारे में बात कही। मैं उनको बना देना चाहता हूं कि मैनेजमैंट के खिलाफ ऐसे केसिज में हम प्रौसीक्यूशन लौच करते है और 70 प्रतिशत अवार्डज इम्पलीमैंट भी हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ मेरे माननीय साथी श्री हरनाम सिंह जी ने रिकवरी के बारे में पूछा कि क्या प्रोवीजन है। मैं उनको यह बताना चाहता हू कि रिकवरी के लिए हम ऐज एरियर्ज औफ लैड रैवेन्यू अमाउन्ट वसूल करते हैं। हमने 1970 से अब तक के 74 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं और तकरीबन 5 लाख रुपए रिकवर करने बाकी हैं जो ऐज एरियर्ज आफ लैड रैवेन्यू के तहत रिकवर किए जाने है। डिप्टी स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी श्री रघु यादव जी ने और आत्मा राम गोदारा जी ने रिजनल रिक्रूटमैंट की बात कही। मैं आपके माध्यम से इस महान सदन की जानकारी

के लिए यह बताऊंगा कि ऐसा कोई कानून या ला नही है कि जिसके अनुसार रीजनल रिक्रूटमैंट का कोई प्रावधान किया गया हो। हां हम मैनेजमैंट को एडवाईज करते हैं फ्रौम टाईम टू टाईम कि ज्यादा वर्क र्ज उसी एरिया से हों जिस एरिया के अन्दर वह उद्योग लगा हुआ है। माननीय साथी श्री गोदारा जी ने हिसार टैक्सटाईल मिल के बारे में भी बाते कही। एक कमेटी अन्डर दी चेयरमैन शिप औफ श्री हीरा नन्द आर्य वनी हुई है और उसके मैम्बर मेरे माननीय सदस्य श्री आत्मा राम गोदारा भी है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हरियाणा मैं बन्द हो गयी है या हो रही हैं, उसमे क्या कारण थे, वह कैसे रिवाईव की जा सकती हैं, इस बात के लिए वह कमेटी बनी हुई है। डिप्टी स्पीकर सर, एक बात मेरे माननीय सा थी ने वर्कर्ज की ऐक्सप्लायटेशन के बारे में कही कि पूजी को कीमत है लेकिन श्रम की कोई कीमत नहीं हैं। जैसे आर्य साहब ने कहा, मेरे सारे साथी इम्पलीमैंटेशन आफ लेबर लाज के बारे में बोले। मैं आपके माध्यम से अपने सभी माननीय साथियों को इस सदन की जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा के महान नेता चौधरी देवी लाल की रहनुमाई में चलती हुई यह सरकार, गरीव, मजदूर कैर श्रमिक की यह सरकार लेबर लाज की इम्पलीमैंटेशन के लिए इन ट्रू लैटर एप्ड स्प्रिट हर कोशिश करेगी जिससे लेबर का भला हो। इस चीज को चौक करने के लिए फ्लाइंग स्कवैड बनाए हुए है। इस कानून के तहत, अगर कितना भी बड़ा आदमी दोषी पाया गया और लेबर लाज का वायलेशन करते हुए पकड़ा गया, मैं इस सदन को आश्वासन

दिलाना चाहता हूं कि उस आदमी को किसी कीमत पर भी वख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, इन्ही शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करता हूं कि विल को पास किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Labour Welfare Fund Haryana (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the Rouse will consider the Bill clause by clause .

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula.

Mr. Deputy Speaker : Question-is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is That the Title be the Title of the BM

The mottion was carried.

Mr: Deputy Speaker : Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Cooperation (Dr. Raghuvir Singh) : Sir, I beg to-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed:

Mr. Deputy Speaker : Question is-

That the Bill be passed .

The motion was carried.

(2) दि हरियाणा जनरस सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट)बिल, 1988

Mr. Deputy Speaker : Now the Home Minister will move that the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1988 be taken into consideration at once.

Home Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken inro consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—.

That the Haryana General Sales Tax (Amendment). Bill be taken into consideration at once.

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा साधारण विक्रय कर (संशोधन)विधेयक, 1988 इस समय सदन के विचाराधीन है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार हलवाइयों, बेकर्ज, ढाबा वालों को कुछ राहत देना चाह रही है। यह भी इसी सरकार का अपना निर्णय था किं हम 1 जनवरी, 1988 से इन लोगों पर कुछ कर लगाएंगे। जब उन लोगों ने इस नए कर के खिलाफ सरकार से गुहार की तो सरकार ने उन लोगों की बात को सुनकर सहानुभूतिपूर्ण विचार करके यह कर वापिस लेने का निर्णय किया। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा, है इसके अन्तर्गत जिन लोगों को लाभ पहुंचने वाला है उनके आर्थिक स्तर को देखते हुए यह स्वायत योग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में इसी तरह का सरकार का. एक कदम और था कि लकड़ी के व्यापारियों पर भी मार्किट फीस लगा दी जाए लेकिन जब उन लोगों ने भी सरकार के आगे गुहार की तो उस क्रो भी इस संवेदनशील सरकार ने वापिस ले लिया। ये जो कर थे इनको सरकार द्वारा कपिसे लेने के कारण 1 करोड़ 50 हजार रुपया प्रति वर्ष एक मद मै और 2 लाख 50 हजार दूसरी

मद में राजस्व का नुकसान होगा। अगर सरकार इन को वापिस न लेती, तो स्वाभाविक ही था कि सरकार के राजस्व में बढ़ौतरी होतो तेकिन समाज के जिन वर्गों को यह राहत दी जा रही है उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि सरकार ने यह सेही कदम उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय मैं यहं कहना चाहता हूं कि नए कर प्रस्तावित करते समय अगर सावधानी और सतर्कता बरती जोती तो आज इस प्रकार की स्थिति नही होती। हम यह अपेक्षा करेंसे कि भविष्य में सरकार नए कर लगाते समय अधिक सावधानी व सतर्कता बरतेगी। आशा है भविष्य में ऐसा नही होगा कि आज नए कर लगाएं और कल वापिस ले लिए। उपाध्यक्ष महोदय, यहं जो संशोधन विधेयक यहां पर लाया गया है उसमें कहा गया है कि अब सरकार ने पुनः 31 दिसम्बर, 1987 वाली स्थिति को बहाल कर दिया है और टैक्सेबल टर्नओवर कं। 2.00 लाख रुपए से घटा कर 1.00 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने से सरकार को अनुमानित 1.50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की हानि होगी। हर क्षेत्र में यह सरकार चौधरी देवीवाल के नेतृत्व में अपने कल्याणकारी तरीका से भ्रष्टाचार पर चोट करती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि अगर यह कल्याणकारी सरकार इस समय विभिन्न व्यवसायों पर जो मौजूदाटैक्स लगे हुए हैं उनको ही ईमानदारी से बसूले करले तो मैं समझता हूं? कि सरकार को आने वाले कई सालो तक कोई नया कर लगाने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कुशासन के दिनों में हर जगह पर रिश्वत का बोलबाला था, हर मुंह पर खून लगा हुआ था। जो बिक्री कर से संबंधित अधिकारी हैं वे लोग उन करदाताओं से भी जौ साफ कारोबार करते हैं जब वे अपनी पेशी पर जाते हैं तो उनसे भी 500 से लेकर 1000 रुपए ऐंठते हैं। छापामार कर सरकार का राजस्व बढ़ाने की बजाए वे अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं। व्यापारियों को तंग करने के पीछे इनकी यह नीयत रहती है कि अपनी तिजोरियों भरें। सरकार के राजस्व को बढ़ाने में, उनकी कोई रुचि नहीं होती। आम तौर से छापा मौरने के पीछे कर विभाग के अधिकारियों की नीयत यह होती है कि बड़ा हाथ मारा जाए यानी 10 हजार या 20 हजार का हाथ मारा जाए। यह जो नीयत है, यह जो भ्रष्टाचार है, इस वजह से सरकारी खजाने को काफी नुक्सान हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन और स्वागत कुरते हुए माननीय मन्त्री जी से और हरियाणा की लोकप्रिय सरकार से निवेदन करूंगा कि भविष्य में नए करों का प्रावधान करते समय अधिक सतर्कता बरती जांए, अधिक सावधानी बरती जाए। सेल्ज टैक्स कार्यालयों में रिश्वत लेने का बाजार गर्म है जिसका अनुभव बिक्री कर देने वाले सभी लोग करते हैं, जहां साफ और स्वच्छ कारोबार करने वालो को भी नही बक्शा जाता है। बिक्री कर की वसूली प्रक्रिया के अगर सरल कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार को खत्म करने में बहुत मदद? मिलेगी। हमारी सरकार की यह घोषणा भी है कि इनस्पैक्टरी राज को खत्म किया जाएगा। मैं कहता हूं

कि अगर इनस्पैक्टरी राज को खत्म कर दिया जाए, था कम से कम कर दिया जाए ते भ्रष्टाचार के साथ लड़ने मे हमें काफी मदद मिल सकती है। व्यापारी बिक्री कर वसूलने और उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा करवाने के लिए उत्साहित होगे। इसलिए इनस्पैक्टरी राज को खत्म करने के लिए, या कम से कम करने के लिए, हमारी सरकार तुरन्त पग उठाए और इस बिक्री कर संबंधी प्रक्रिया को सरल करे। बिक्री कर कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वहां जी रिश्वत मांगी जाती है, उस पर हमारी सरकार चोट करे तो मैं समझता हुं कि इस जनहितैषी सरकार को कर कहने की जरुरत नहीं पड़ेगी बल्कि जो वर्तमान फर हैं उनको भी कम करके हमारी सरकार ज्यादा आमदनी कर सकती है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और हमारी सरकार का यह भी दृढ़ संकल्प है कि हर महकमें के साथ साथ बिक्री कर विभाग में जो करदाता को परेशानी होती है, रिश्वत देनी पड़ती है उसको हम खत्म कर देंगे इससे हमारी सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार को इस के लिए बधाई देता हूं कि उसने बेकरी वालों और हलवाईयों को कर मे राहत दी है। धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद): डिप्टी स्पीकर साहब, जो हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट)बिल पेश किया गया है यह हरियाणा के अन्दर जो जनक्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप हरियाणा में प्रजातन्त्र व्यवस्था को, प्रजातांत्रिक मूल्यों

को पुनर्स्थापित करने के लिए जनता ने जो जनादेश दिया था उसके अनुरूप है और मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं यह भी कहूंगा कि अपने हाथ से बर्तन मांज कर रोजी रोटी कमाने वाले लोगों पर जो कर लगाए गए थे तन्दूर पर बैठ कर और ढाबों पर बैठ करके जे लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे उनके सामाजिक स्तर को देख करके यह राहत दी है क्योंकि हमारे समाज में बहुत लम्बे अर्से से कु छ काम छोटे समझे जाते हैं। इस कारण से इनको अर से छूट दे करके सरकार ने प्रजातन्त्र की प्रक्रिया को मजबूत किया है और गरीब लोगो की आशाओं के अनुरूप उनकी जायज मांगों को माना है। इसके साथ –साथ जो धारा 2 मे एक लाख से दो लाख लिमिट टर्न ओवर की गई थी, उसके बारे में मैं सुझाव दूंगा कि सरकार कोई कमेटी बनाए जो इस बात को देखे कि क्या छोटे दुकानदारों के लिए यहं बात ठीक है। अगर किसी की टर्न ओवर एक लाख 20 हजार हो गई तो इसक अर्थ है कि 10 प्रतिशत के हिसाब से 1000 रु पए मासिक उसकी आमदनी होगी। एक हजार मासिक कमाने वाला दुकानदार अलग से उस प्रकार का हिसाब किताब जिस प्रकार का हमारे सेल्ज टैक्स डिपार्टमैंट वाले मांगते है रखने के लिए क्या मुनीम रख सकता है? जो दो लाख की टर्न ओवर की. लिमिट बढ़ाई गई थी क्या वह ज्यादा अच्छी नहीं थी? उस समय उन्हें एक लाख लिमिट से बचाया गया था। कम सें कम 1500 या 2000 रुपए कमाई करने वाले दुकान– दार को यह हिसाब किताब रखना लाजमी न हो और न ही उसे लाईसैसं लेना लाजमी हो, अगर

इससे सरकार को कोई नुकसान न होती हो तो इस बात पर विचार किया जाना चाहिए और उन दुकानदारों को फायदा दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ बजट के अवसर पर हमारे उप–मुख्यमन्त्री जी ने बताया था कि जो हमारी औद्योगिक बस्तियां जैसे फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत आदि हैं वे काफी उजड़ रही है। पीछे हमारी सरकार ने फर्स्ट प्यायंट पर कच्चे माल पर टैक्स लगाने का फैसला लिया है फर्स्ट प्वांयट पर टैक्स लगाने की वजह से हरियाणा के अन्दर लोहे से या कागज से बनने वाली आइटमें हमारे पड़ौसी राज्यों दिल्ली और पंजाब के मुकाबले महंगी हैं। होल सेल करने वाला दुकानदार 5 प्रतिशत पर अपना व्यापार आगे चलाता है और उसे बढ़ाता है। आज हरियाणा के, कारखानों में बना हुआ मालू दिल्ली और पंजाब के मुकाबले महंगा है। जब माल महंगा बनेगा तो इसका अर्थ होगा कि उस माल की बिक्री कम होगी। बिक्री कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगी तो यहां के मजदूरों को भी कम काम मिलेगा और सरकार को भी कम पैसे प्राप्त होगे। इस बारे मे मेरा सुझाव हए कि सरकार इस बात की जांच के लिए एक कमेटी बनाए जो इस बात की जांच करे कि हरियाणा के उद्योगों पर कोई कुप्रभाव न पड़े और हरियाणा के अन्दर प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो सके, इसके बारे मे भी वह कमेटी अपने सुझाव– दे ताकि हमारी सरकार ने जो उद्योग लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए खोले हुए हैं उनसे हरियाणा के लोगो का भला हो सके और हरियाणा प्रान्त उन्नति के पथ पर अग्रसर बना रहे। डिप्टी स्पीकर

साहब, इन सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सीता राम सिंगला (गुड़गांव): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा साधारण विक्रय कर (संशोधन)विधेयक हाउस के विचाराधीन है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और लोक दल ने मिल कर सरकार बनायी है। आपको पता ही है कि लोक राज लोक लाज से चलता है। इसलिए कुछ दिन पहले यहां हाउस में बिल पेश किया गया था कि हलवाई और होटलों पर टैक्स लगे और लगा भी दिया था लेकिन फिर सरकार ने लोगों की तकलीफों को महसूस किया कि यह गलत था तो उसे वापिस ले कर बिल में संशोधन कर रही है। इस बात से लोग अन्दाजा लगा सकते है कि हमारी सरकार लोकतन्त्र में कितना विश्वास रखती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, सेल्ज टैक्स के मामले में अभी बहुत से और भी सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे हरियाणा प्रान्त के साथ पंजाब, राजस्थान और दिल्ली भी लगा हुआ है। कोई भी टैक्टर लगाने से पहले हमारी सरकार को देख लेना चाहिए कि बराबर के प्रान्त में कितना टैक्स लगा हुआ है उसके हिसाब सै ही टैक्स लगाना चाहिए। उसमें विशेष अन्तर नहीं होना चाहिए। टैक्स के मामले में जब भ्रष्टाचार और चोरी की बात आती है तो यह तभी आती है जब बराबर के प्रदेश मैं टैक्स कुछ और हों और हरियाणा प्रान्त में कुछ और हों। भारी अन्तर होगा तो

टैक्स की चोरी होगी। जैसे दवाईयों के मामले में है। मध्य प्रदेश में दवाई पर तीन परसैन्ट, यू० पी०, जम्मू–काश्मीर में चार परसैन्ट, राजस्थान में पांच परसैन्ट और? पंजाब में सात परसैन्ट टैक्स लगता है लेकिन हरियाणा प्रान्त में 8 परसैन्ट लगता है। आप जानते हैं कि दवाई मानव के लिए कितनी आवश्यक है। उस पर टैक्स में यदि इतना भारी फर्क है तो यह स्वाभाविक बात है कि टैक्स की चोरी होगी।

इसी प्रकार से एक और बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अगर कोई किसान बौर्डर से गाय, बैल यो भैस ले जाता है तो उससे 40 रुपए टैक्स बोर्डर पर ले लिया जाता है लेकिन मैं सरकार के नोटिस में एक और बात जाना चाहता हूं कि वहां से लाखों रुपए की मुर्गी और अण्डे फाईव स्टार होटलों में बिकने के लिए आते है लेकिन उन पर कोई टैक्स नही लगता है। जब गाय, बैल और भैस पर टैक्स लगाया जाता है तो उनसे क्यों नहीं लिया जाता है? एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कच्छे और बनियान पर चार परसैन्ट टैक्स लिया जाता है। यदि इसे दो परसैन्ट कर दिया जाए तौ ज्यादा बेहतर होगा। कच्छे और बनियान छोटे छोटे दुकानदार रखते है। बराबर के प्रदेश में दो परसैन्ट टैक्स है। इसलिए मै निवेदन करूंगा कि यहां पर भी दो परसैन्ट किया जाए। इसी प्रकार से एक बात और भी निवेदन करना चाहूंगा कि सेल्ज टैक्स की जो अफसर चौकिंग करते है उनकी यूनिट फिक्स हौती हैं। उनकी मासिक यूनिट फिक्स होती

है लेकिन वे आमतौर पर उनका लेखा–जोखा एक वर्ष का चौक करते हैं। उसका नतीजा यह होता है फरवरी मार्च में दुकानदार को बुलाते है। वह दुकानदार सुबह से शाम तक बैठा स्था है। अफसर बैठे चाय पानी पीते रहते हैं और गप्प लगाते रहतें हैं। शाम को दुकानदार को कहा जाता है कि तारीख लगा दी है इसलिए अगली तारीख पर पहुंच जाना। उन अफसरों की मासिक यूनिट की चौकिंग फिक्स है लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में बुलाते हैं और बगैर खाता देखे हुए अनाप–शनाप टैक्स लगा देते हैं।, हर अफसर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रति मास इतने खाते चौक करेगा। जो छोटे–छोटे दुकानदार हैं, वे सुबह दुकान बन्द करेके आते है और शाम को वापिस घर चले जाते है। इस लिए अफसरों का इस प्रकार व्यवहार नहीं होना, चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐंसे ही माचिस की भी वात है। हमारे यहां हरियाणा में माचिस पर आठ परसैन्ट टैक्स है लेकिन दिल्ली, राजस्थान के अन्दर कोई टैक्स? नही है.। उसका नतीजा यह है कि लोग कैश मीमो राजस्थान के बोगस ऐड्रैस का ले लेते हैं और माचिस राजस्थान के अन्दर न जा कर हरियाणा मे आ जाती है और सरकार को बगैर टैक्स दिए बिक जाती है। उसका एक मात्र कारण यही है कि किसी चीज पर कही पर कुछ भी टैक्स न हो और यहां पर आठ परसैन्ट हो इससे चोरी होना स्वाभाविक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ चीजो पर फस्ट प्वायंट पर टैक्स लगा है। यह ठीक है कि फस्ट

प्वायंट पर टैक्स लगने से टैक्स की चोरी कम होगी लेकिन मेरा एक निवेदन है कि कुछ आईटमें ऐसी हैं जिन पर पड़ौसी राज्यों में फस्ट स्टेज पर टैक्स नहीं है और हरियाणा में फस्ट स्टेज पर टैक्स है। इस तरह से यहां के व्यापारी तथा उत्पादनकर्त्ता को यह चीज बहुत महंगी पड़ेगी जिसके फलस्वरूप कम्पीटीशन में वे उस चीज को बेच नही पाएंगे और फिर यहां के लोग उस चीज को दूसरे प्रान्तों से परचेज करेंगे। इसके लिए मैं कागज का उदाहरण देता हूं। कागज तथा उसकी बनी हुई चीजों पर हरियाणा में फस्ट स्टेज पर टैक्स है। कागज से फाईल, रजिस्टर औरर डिब्बे आदि बनते है। उन सब पर फस्ट स्टेज पर टैक्स है लेकिन दिल्ली के अन्दर कागज से बनी चीजों पर फस्ट स्टेज पर टैक्स नहीं लगता। अगर हरियाणा का कोई आदमी इन चीजों को दिल्ली से परचेज, करता है तो चार प्रतिशत सेल्ज टैक्स दे कर वह ले आएगा और वह हरियाणा से परचेज नही करेगा क्योंकि उसको हरियाणा से इन चीजों की परचेज करने पर आठ प्रतिशत टैंक्स देना पड़ेगा। यह आठ प्रतिशत टैक्स इसलिए देना पडेगा क्योंकि हरियाणा में फस्ट स्टेज पर टैक्स है। दिल्ली का व्यापारी हरियाणा से ये चीज इसलिए नहीं खरीदेगा कि दिल्ली में फस्ट स्टेज पर टैक्स न होने के कारण सेल्ज टैक्स फार्म – 1 दे कर रजिस्टर्ड डीलर से बगैर टैक्स के ये चीजें ले लेगा। इस बारे में मेरा निवेदन है कि न तो हरियाणा का व्यापारी दिल्ली में माल बेच सकता है और न दिल्ली का व्यापारी हरियाणा में माल बेच सकता है। जो ऐसी चीजें हैं जिन पर बराबर की स्टेट में फस्ट स्टेज पर

टैक्स नहीं है और हरियाणा में उस पर फस्ट स्टेज पर टैक्स लगता है इस बोरे सरकार से, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करे। इन सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हू और यह बिल लाने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं।

श्री आत्मा राम गोदारा (घिराय): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा साधारण ब्रिक्री कर (संशोधन)विधेयक, 1988 का मैं स्वागत करता हूं। यह बिल इस सरकार की इस नीति का परिचायक है कि यह सरकार वाक्या ही प्रजातन्त्र में विश्वास रखती है तथा लोगों की आवाज को भली–भांति सुनती है। कुछ समय पहले जो टैक्स लगाया गया था इस विधेयक के जरिए उस टैक्स को वापिस ले लिया गया है। सरकार का यह पग बहुत ही सराहनीय पग है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि सरकार को टैक्स लगाते समय तथा टैक्स वापिस लेते समय बहुत सोच–विचार कर कदम उठाना चाहिए क्योंकि आमतौर पर यह प्रचलन है कि जब भी किसी आईटम पर टैक्स लगता है तो फौरन उस चीज की कीमत बाजार में बढ़ जाती है, लेकिन सरकार जब किसी टैक्स को वापिस लेती है तो बाजार में उस आईटम की कीमत कम नही होती बल्कि टैक्स लगने पर जो कीमत होती है, उस आईटम की कीमत टैक्स वापिस लेने पर भी वही की वही रहती है। इस प्रकार उपभोक्ता को टैक्स लग जाने के बाद उस आईटम पर टैक्स वापिस ले लिए जाने पर भी शोषण का शिकार

होना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात सेल्ज टैक्स औफिसिज में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हू। सेल्ज टैक्स आफिसिज में, जहां सेल टैक्स का निपटारा होता है, भ्रष्टाचार बुरी तरह से फै ला हुआ है। मेरा यह विचार है कि जो सेल्ज टैक्स लगा हुआ है यदि उसकी वसूली ईमानदारी से हो जाए, जो टैक्स लगे हुए हैं, व्यापारी उन टैक्सों की अदायगी ईमानदारी से करें तो नए टैक्स लगाने की कोई जरूरत नही है। मैं इस बात को सही मानता हूं और इस मे कोई शक नही है कि टैक्स के मामले में टैक्स लगाने और टैक्स वसूल करने यानी दोनो ही जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। टैक्स लगाते समय टैक्स लगाने वाले अधिकारियों और टैक्स देने वाले व्यापारियों के बीच मिली–भगत से सौदेबाजी होती है। इसी प्रकार सेल्ज टैक्स की अदायगी मे भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार को विशेष तौर पर इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि सेल्ज टैक्स तय करने और सेल्ज टैक्स वसूल करने में जो अधिकारी तथा व्यापारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कडी कार्य वाही हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपेक्षा करता हूं कि यह सरकार भ्रष्टाचार को रोकने की पूरी कोशिश करेगी और इस कोशिश में कामयाब भी होगी। इस आशा के साथ कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में सफल होगी, मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

डा० बृज मोहन (जगाधरी): उपाध्यक्ष जी, यह जो सेल्ज टैक्स अमैंडमैंट बिल, 1988 सदन के सामने आया है मैं इस के समर्थ न में ही खड़ा हुआ हू। इसमें हमारी सरकार ने बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम उठाया है। छोटे –छोटे दुकानदारों पर खास तौर पर जो अपनी मेहनत से काम करते थे, उन पर जो टैक्स लगाया था वह वापिस ले लिया गया है। उनकी कहना भी जायज था क्योंकि उनको हर चीज टैक्स पेड मिलती थी। अब जो टैक्स लगा था वह उनकी मजदूरी पर लगा था वरना उनके पास हर चीज टैक्स पेड आती थी। मिसाल के तौर पर मैदा, चीनी, घी, कोयला और पानी भी उनके पास टैक्स पेड आता था। तो यह बात हमारी सरकार ने मानी है और उसको वापिस ले लिया है इसलिए यह सरकार सराहनीय है। इस बिल में जस बात की चर्चा नहीं हुई मैं उसे कहे बगैर, नही रहूंगा। हमारी सरकार ने सब से बढ़िया सराहनीय काम अपने इस प्रदेश में जो किया है मैं तो चाहना था कि वह भी इस बिल में आ जाता लेकिन नोटिफिकेशन के तहत वह कर तो दिया है। वह यह है कि बहुत दिनों मे हम लोग मांग कर रहे थे कि इस हरियाणा प्रदेश में जो बर्तनो की इंडस्ट्री पर टैक्स है वह बराबर की स्टेट्स से भी बहुत ज्यादा था और दिल्ली के मुकाबिले में तो बहुत ही ज्यादा था। जिस कारण से सारे हरियाणा की खास तौर से मेरी कास्टिचुऐंसी जगाधरी की सारी इंडस्ट्री को दिल्ली खीच कर ले गई थी। इस देश के अन्दर किसी भी प्रदेश में ऐसा टैक्स नही है जैसा अब हमने किया क्षण। इससे यह हुआ है कि इन्कम की बढ़ौतरी हो गई और टैक्स आना

शुरू हो गया है। इसके साथ– साथ जो इंडस्ट्रीज दिल्ली चली गई थी या और प्रदेशों मे चली गई थीं वे अब आहिस्ता आहिस्ता वहां पर वापिस आ रही हैं। अगर बर्तनो की इंडस्ट्री को बढावा मिलेगा तो सरकार को भी और ज्यादा टैक्स मिलेगा। इसलिए भी यह सरकार सराहनीय है ले किन साथ साथ मैं सरकार से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस कम किए हुए टैक्स को भी 1 – 1 – 88 से लागू कर दें तो हमारी इंडस्ट्री को बहुत राहत मि लेगी। इन्ही शब्दों के साथ मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और इस बिल का भी समर्थन करता हूं।

17.00 बजे

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हू कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस सेल्ज टैक्स अमैंडमैंट बिल का भी समर्थन करता हू। इसके साथ– साथ मैं दो चार बातें सेल्ज टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। घी के ऊपर हरियाणा के अन्दर 8 प्रतिशत टैक्स है। इसमें सरचार्ज वगैरह डाल कर यह 9 प्रतिशत बन जाता है। दिल्ली में थी के ऊपर 5 प्रतिशत टैक्स है। अगर बराबर का टैक्स किया जाए तो नम्बर दो का माल बन्द होगा और हरियाणा को उससे ज्यादा आमदनी होगी। इसके साथ–साथ मैं पंखा और ट्यूब लाईट के बारे में भी कहूंगा कि टनको गरीब लोग खरीदते हैं। इनके ऊपर 12 परसैटं टैक्स लगाया गया है जो सरचार्ज डालकर 13.2 परसैंट हो जाता है। उसके ऊपर भी टैक्स कम होना

चाहिए। एयर कंडीशनर पर तो 10 परसैटं टैक्स लगाया गया है जोकि अमीर आदमी ही खरीदते हैं लेकिन पंखें और ट्यूब लाईटस चूंकि गरीब आदमी ही खरीदते हैं, इसलिए उसके ऊपर जो 13.2 परसैंट टैक्स लगाया गया है, उसको कुछ क्रम किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जितनी भी दिल्ली में फर्मे है, या दिल्ली के साथ मिलती–जुलती जगहों पर हैं, उनके ऊपर अगर टैक्स बराबर कर दिया जाए तो एक–आध परसैंट की चोरी तो हो सकती है लेकिन उससे हरियाणा सरकार को टैक्स की वसूली ज्यादा हो सकेगी। ऐसा रहने से इलैक्ट्रिकल गुड्ज के मामले में फरीदाबाद के अन्दर जितने भी दुकानदार हैं, वह दिल्ली से 4 परसैंट सी० एस० टी० देकर माल मंगवाएगे क्योंकि अगर उनको हरियाणा मे 12 परसैंट देना पड़ेगा, तो हरियाणा का नुक्सान होगा। फरीदाबाद हरियाणा के व्यापार का एक केन्द्र है। यहां पर अगर 4 परसैंट की बजाए 6 परसैंट टैक्स होगा, तब तो व्यापारी बर्दाश्त कर लेगा लेकिन अगर 12 परसैंट टैक्स होगा तो वह बर्दाश्त नही करेगा। मैं सरकार से यह कहूंगा कि अगर वह इस टैक्स की दर को कैम करेगी तो उसको टैक्स ज्यादा मिलेगा और इससे आम जनता को भी फायदा होगा। मैं यह भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर इस तरह से सरकार करेगी तौ ठीक रहेगा। अन्त में मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री टेक चन्द (नरवाना): डिप्टी स्पीकर महोदय, यह जो हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स अमैंडमैंट बिल यहां पर आया है, इसके लिए मैं मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं और इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि वह आज के दिन हमारे सदन में इस बिल द्वारा यह अमैंडमैंट लाए हैं। इसके अलावा, हमारे व्यापारी भाई जो हैं, आज भी इंस्पैक्टरी राज से दु:खी हैं। जिस इंस्पैक्टरी राज को थोपने की कोशिश की जा रही है, उससे ज्यादा चोरी करने की गुंजाइश बढती है क्योंकि इंस्पैक्टर्ज दुकानदारों को और व्यापारियों को तदा करते हैं ताकि उनको मन्थली वगैरा मिलती रहे जैसे कि पिछले राज में एक तरह से यह प्रथा रही है कि हर एक दुकानदार तीन सौ से पांच सौ रुपए तक साल में जब बही चौकिंग करवाएंगे तो देना पड़ेगा। अब भी हमारे इस शासन में यही प्रथा चल रही है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया है। न ही मुझे इसमें कोई सुधार की गुंजाईश नजर आती है। यह बात ठीक है कि मन्त्री जी ने काफी रेड्ज भी किए, चौकिंग भी की गयी है, उससे टैक्स की रिकवरी तो बड़ी है, यह बात तो मैं मानता हूं लेकिन इन्सपैक्टरी राज जिस तरह से पहले चलता था, उसी तरह से व्यापारियों को यह तंग कर रहा है। पहले की तरह से मन्थली ली जा रही है। मैं इस हाउस के माध्यम सें मन्त्री महोदय से यह बॉत कहना चाहता हूं कि जब तक भ्रष्टाचार बन्द नहीं किया जाएगा तब तक शासन में बदलाव नजर नहीं आएगा। इससे व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। इसके अलावा जहां तक मधु घी की बात है, उस

पर हरियाणा में 8 परसैंट टैक्स लगता है। दिल्ली में घी पर जी टैक्स लगता है, वह 4 परसैंट है। अगर दिल्ली के बराबर टैक्स कर दिया जाए तो टैक्स की घी पर चोरी जो होती है, वहू बन्द हो जाएगी। इस तरह से जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, वह कम हो जाएगा। इसके अलावा, दो परसैंट टैक्स कम्बल पर भी लगाया गया शै। काहे पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। लेकिन हर कपडे वाला दुकानदार कम्बल भी रखता है। दो परसैंट कम्बल पर टैक्स लगाया गया है, इस तरह से कपड़े वालों को तंग करने के लिए एक तरह से इन्सपैक्टरी राज को लाइसैसं मिल गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो 2 परसैंट टैक्स लगाया गया है इसको बन्द करें क्योंकि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा औंर सबसे बड़ी बात यह भी है कि यह कम्बल सिर्फ साधारण आदमी ही इस्तेमाल करते हैं। कम्बल गरीब आदमी ही इस्तेमाल करते हैं। कोई अमीर आदमी कम्बल इस्तेमाल नहीं करता। इससे नाजायज फायदा लेने वालों को ही फायदा पहूंचा है। इसके अलावा ढाबे वालों पर, बेकरी वालों पर और दूसरे लेटे दुकान– दारों पर तथा हलवाइयों पर जो टैक्स लगता था वह वापिस ले लिया गया है। मैं उसका स्वागत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, टर्न ओवर दो लाख से एक लाख कर दी गई है इससे लोगों की मुश्किलातें बढ़ी हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि टन ओवर दो लाख ही रखी जानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हू कि यह जो अमैंडमैंट ऑई है उसका मैं स्वागत करता हूं।

सेठ लक्षमण दास बजाज (करनाल): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट)बिल इस हाउस में आया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। हमारी सरकार ने कुछ चीजो पर सेल्ज टैक्स समाप्त किया है और कुछ चारों पर सेल्ज टैक्स के अन्दर रियायतें दी हैं। खास– तौर पर ढाबे, बेकरी और हलवाइयों को जो कर मुक्त किया है उसके लिए मैं सरकार का धन्बवाद करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इलैक्ट्रिक गुडज पर 12 परसैन्ट सेल्ज टैक्स है और सरचार्ज मिलाकर यह 13.20 परसैन्ट बनता है। यह बहुल ज्यादा है। प्लास्टिक के जूते जिनको आम जनता पहनती है उन पर दस परसैन्ट टैक्स है। इसको भी कर मुक्त किया जाए। इस सदन में कम्बलों के बारे में कहा गया कि इस समय इन पर जो दो परसैन्ट सेल्ज टैक्स है, इसकों खत्म किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, कम्बल हर छोटा बड़ा दुकानदार रखता है और उसको लाइसैन्स लेना पड़ता है। लाइसैन्स लेने में उनको दिक्कत आ रही है। इस वक्त इंस्पैक्टर्ज दुकानदारों को कह रहे हैं कि वे लाइसैसं लें लेकिन वे लाइसैसं नहीं ले रहे हैं। मेरा सुझाव है कि कम्बलों को कर मुक्त होना चाहिए। इसी तरह से मधु घी पर हरियाणा के अन्दर 8–8 परसैन्ट टैक्स है और दिल्ली के अन्दर 4 परसैन्ट टैक्स है। मधु घी हरियाणा के अन्दर बहुत कम बिकता है यह ज्यादातर बाहर बिकता है। मेस सुझाव है कि इस पर चार परसैन्ट सेल्ज टैक्स होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा से लाखों मन गेहूं देहली को जाता हैं। वहां पर गेहूं पर 2 परसैन्ट टैक्स है और

हरियाणा में चार परसैन्ट टैक्स है। इसलिए हमें भी चार परसैन्ट की बजाए दो परसैन्ट कर देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय अहम तौर पर यह देखने में आता है कि व्यापारी जब भी बही खाता दिखाने के लिए था टैक्स जमा कसमे के लिए कार्यालयों में जाते हैं तो व्यापारियों के बैठने का कोई इन्तजाम नही होता। धूप में और बारिश में व्यापारियों के बैठने का इन्तजाम ठीक होना चाहिए। सरकार व्यापारियों से लाखों रुपया टैक्स के रूप में लेती है इसलिए कम से कम् उनके बैठने का तो इन्तजाम होना ही चाहिए। उपा– ध्यक्ष महोदय, रेडीमेड गारमैंट्स पर यानी कि हौजरी के सामान पर 8. 8 परसैन्ट ट्रैक्स है, मेरी प्रार्थ ना है कि यह चार परसैन्ट होना चाहिए। इससे सरकार को ज्यादा आमदनी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में, मैं मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं और इस बिल का स्वागत करता हूं।

गृह मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह): डिप्टी स्पीकर सर, इस अमैंडमैंट बिल पर बहुत बढ़िया बहस चल रही है और हरेक बोलने वाले ने इसका समर्थन किया है और कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं। श्री रघु यादव ने इस अमैंडमैंट बिल पर बहस की शुरुआत की थी और रेशनेलाइजेशन और सिम्पलीफिकेशन के बारे में उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो करप्शन के चांसिज कम हौ जाएंगे और यही बात दूसरे साथियों ने भी कही। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल की मौजूदा सरकार आने के वाद जव व्यापारी वर्ग उनसे मिला तो उनकी जो

समस्याएं थी उनको डील करने के लिए आदरणीय उप–मुख्य मन्त्री श्री बनारसी दास गुप्ता जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई जो समय–समय पर सरकार को ऐडवाइस देती रहेगी। उस कमेटी का जो परामर्श होता है बाकायदा उस पर सरकार काम भी करती है। पिछले दिनों इनके रेशनेलाई– जेशन और सिम्पलीफिकेशन करने के लिए सरकार ने काफी कदम उठाए। इस बारे में मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि यह स्टैंडिग कमेटी है। ज्यों–ज्यों सुझाव आते हैं उन सुझावों पर सरकार गौर करती है और व्यापारियों की जो–जो समस्याएं होती हैं उनका हल भी निकालते है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले खल पर 6 परसैन्ट टैक्स था और अब सरकार ने घटी कर 2 परसैन्ट कर दिया है। गुड़ पर पहले 8 परसैन्ट था अब घटाकर 4 परसैन्ट कर दिया है। इसी तरह से वुडन फर्नीचर पर पहले 12 परसैन्ट टैक्स था, अब 8 परसैन्ट कर दिया है। इसी तरह से स्टेनलैस स्टील युटैनसिल्ज जोकि जगाधरी और रिवाड़ी में बनते हैं उन पर पहले 12 परसैन्ट टैक्स था अब सरकार ने उसको घटा– कर 3 परसैन्ट कर दिया है। सी० एस० टी० पहले 4 परसैन्ट था और अब उसको 3 परसैन्ट कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने समरी असैसमैंट की सुविधा भी व्यापारियों को दी है। जो व्यापारी तीन लाख तक की टर्नओवर अगले साल में 15 परसैन्ट बढ़ा कर दिखाता है तो उसको फिर अगले साल दफ्तरों के चक्कर नही काटने पड़ेंगे। इसी तरह से मोटर व्हीकल्ज चेसिज पर पहले 10 परसैन्ट टैक्स था जिसको घटाकर हमारी इस

सरकार ने 4 परसैन्ट कर दिया है। सोयाबीन को सरकार ने बिल्कुल ऐग्जम्पट कर दिया है। कौमन साल्ट जिसको पहले खुला बेचा जाता था अब वह बैग्ज में आता है। उस पर पहले 4 परसैन्ट टैक्स था अब उसको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हलवाइयो, बेकरियों, ढाबे वालों पर इस सरकार ने 1 जनवरी, 1988 से कर लगाया था लेकिन अब सरकार ने फिर पिछली 31 दिसम्बर, 1987 वाली स्थिति को इस अमैंडमैंट द्वारा बहाल कर दिया है। वैसे तो सरकार ठीक ही सोचती है कि आमदनी के साधनों को और बढ़ाया जाए लेकिन जब हमारे माननीय चौधरी देवीलाल जी पब्लिक की बात से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तो एकदम पब्लिक के हक में ऐलान कर देते हैं क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का नारा था कि लोकराज लोकलाज से चलता है। जैसे कमेटी कहती है, जैसे लोगों के विचार होते हैं, जैसी लोगों की भावनाएं होती हैं उसी के अनुरुप ही वे काम करते हैं। इसी कारण से आज हरियाणा के अन्दर लोकराज की स्थापना हो चुकी है। लोग इस कल्याणकारी सरकार की कारगुजारी से प्रसन्न हैं क्योंकि इस सरकार ने लोगों पर टैक्सों का कोई भार नही डाला है। इससे आगे मैं आपको बताता कक कि जहां पहले जूट बैग्ज पर 8 परसैन्ट टैक्स था अब उसको घटाकर सरकार ने 4 परसैन्ट कर दिया है। इसी तरह से सीमेंट, टायर, ट्यूब्ज और पैट्रोलियम पदार्थ जोकि मैनुफैक्चरिंग परपज के

लिए इस्तेमाल होते है उन पर पहले 12 या 10 परसैन्ट टैक्स था अब उसको घटाकर केवल 4 परसैन्ट कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक ही नही सरकार ने कैश मीमो की लिमिट जो पहले 50 रुपये की लिमिट तक थी अब बढ़ाकर 75 तक कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर दिल्ली चण्डीगढ़ और पंजाब की बातें हुई। यह कहा गया कि इस वक्त पंजाब में 20 रुपए के पीछे कैश मीमो काटते हैं और चण्डीगढ़ में 10 रुपए की चीज खरीदने पर कैश मीमो काटी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, 10 या 20 रुपये तो क्या, हरियाणा के अन्दर हमने 75 रुपए तक की लिमिट की सुविधा छोटे व्यापारियों को दी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स इवेजन के बारे में इंस्पैक्टर व दूसरे अफसरान को काफी डिसक्रिशन थी कि वे दो से पांच गुना तक जुर्माना लगा सकते थे जिससे कुरप्शन को काफी बढ़ावा मिलता था। इसको 2 से 3 कर दिया गया है और उनकी डिसक्रिशन को खत्म कर दिया गया है 1 इससे जो ट्रेडर्ज थे उन पर काफी बोझ पड़ा रहता है, उनको काफी परेशानी रहती थी, जिसको अब इस कल्याणकारी सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। इसी तरह से कुछ ऐसे फार्म थे जिनका अननैसेसरी बर्डन था। जैसे फार्म एस० टी० 13 और एस० टी० 14 थे इन दोनों को मर्ज करके एक फार्म एस०टी० 14 बना दिया गया है। इसी तरह से पहले फार्म एस० टी० 37,38, 61 और 62 थे जिनको खत्म करके अब एक फार्म एस० टी० 38 बना दिया गया है। सरकार अपनी

तरफ से पूरी कोशिश करती है कि इस कराधान के मामले को ज्यादा से ज्यादा सिम्पलीफाई किया जाए। सिंगला साहब ने इन कागजों के बारे में कहा कि कागजों पर फर्स्ट स्टेज पर ही टैक्स लगा दिया। मैं कहता हू किं आज की सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया यह तो आलरेडी लया हुआ था बल्कि इस सरकार ने तो इसमें सुविधा दी है। पहले टैक्स वापिस नहीं होता था लेकिन अब आज की सरकार ने टैक्स की रिफण्ड के लिए सुविधा दी है जोकि 24 ए जोड़ कर यह सुविधा दी नई है। आज की सरकार ने कोई फालतू बर्डन नहीं डाला है। इसी तरह से कई माननीय सदस्यों के सुझाव आए। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि कमेटी की बार–बार मीटिंग्ज होती रहती हैं उनमें बाकायदा उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज की सरकार ने एक तरफ तो रेट औफ टैक्स घटाया है और दूसरी तरफ प्रान्त में बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। यह बड़ी खुशी की बात है कि प्रान्त में ड्राउट एरिया होते हुए भी आज की सरकार ने दर्ज वों चीजों पर रेट औफ टैक्स कम किया है। मैंने अभी आपके सामने दर्जनों चीजों के नाम बताए हैं जिन पर रेट औफ टैक्स कम किया गया है। हमारी स्टेट में पिछले साल के मुकाबले में इस साल 20.6 परसैट सेल्ज टैक्स की इन्क्रीज हुई है। यह आकड़े हमें 29 फरवरी 1988 तक के मिले है और मार्च के आकड़े आने अभी बाकी रहते हैं। यह सारा ट्रेडर्ज के कोआप्रेशन और डिपाट मैट है आधिकारियों की मेहनत का फल है। डिप्टी स्पीकर साहब, पता तब लगता है जब हमारी स्टेट का दूसरी

स्टेट्स के साथ कम्पैरीजन करते हैं। हमारे हरियाणा प्रान्त के साथ लगती हुई पंजाब स्टेट है वहां पर सेल्ज टैक्स की इनक्रीज 13 परसैन्ट हुई है। राजस्थान में 19 परसैन्ट, उत्तर प्रदेश मे 9 परसैन्ट, महाराष्ट्र में 13 परसैन्ट, मध्य प्रदेश में 8 परसैन्ट, हिमाचल प्रदेश में रु परसैन्ट, गुजरात में 9 परसैन्ट और बिहार में 13 परसैन्ट सेल्ज टैक्स की इनक्रीज हुई है। इन स्टेट्स के आकड़े मेरे पास थे। कहने का मतलब है कि उन सभी स्टेट्स से हमारी स्टेट की सेल्ज टैक्स की इनक्रीज ज्यादा है। इसके लिए मैं ट्रेडर्ज को और अपने महकमे वालों को बधाई देता हूं। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं टब ओवर के बारे में भी बताना चाहूंगा। जब दाबों पर टैक्स लगाया जा रहा था उस समय यह सोचा गया कि शायद एक ढाबा एक लाख रुपए की सेल कर लेता होगा इसलिए क्यो न हम इस लिमिट को 2 लाख की बढा दें। जब यह लिमिट बढ़ाई गई तो उस समय रेस्टोरेंट की टर्न ओवर की लिमिट एक लाख की थी। जब ढाबे की टर्न ओवर लिमिट 2 लाख तक करने लगे तो उस समय रेस्टोरेंट की टर्न ओवर लिमिट एक लाख थी। इसलिए रेस्टोरेंट को भी ढाबे के साथ जोड़ करके उसकी लिमिट भी दो लाख तक कर दी।

मैं यह भी बतला चहूंगा कि जिनकी एक लाख की खेल होती है उनको रजिस्ट्रेशन नम्बर लेना पड़ता है लेकिन उस आम बात से पीछे हट कर हम ढाबे के साथ रेस्टोरेंट को जोड रहे थे। इसीलिए एक लाख की बजाय दो लाख की टर्न ओवर लिमिट

हमने रखी थी। अब चूकि ढाबे पर टैक्स खत्म कर दिया गया इसलिए अब जो रजिस्ट्रेशन के लिए टर्न ओवर लिमिट है वह एक लाख की है। जिनकी एक लाख की सैल होगी क्यको रजिस्ट्रेशन नम्बर लेना पडेगा। हमने जो टर्न ओवर लिमिट दो लाख तक बढाई थी अब वह एक लाख कर दीं हैं और रेस्टोरेंट को वापिस उसी स्थिति में ले आए है। इसमें चूकि कोई नई वात नहीं है इसलिए इन शब्दों के साथ मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि इस अमैंडमैंट को पास किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill. The motion was carried .

Clause 6

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is -

That Clause I -stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill. The motion was carried.

Mr.. Deputy Speaker : Now, the Home Minister will move that the. Bill be passed.

Home Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—That the Bill be passed

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed .

The motion was carried.

(3) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुलेशन एण्ड डिवैल्पमैंट)अमैंडमैंट मिल, 1988

Mr. Deputy Speaker : Now the Deputy Chief Minister will move that the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता). उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि फरीदाबाद संव्यूह (विनियमन तथा विकास)संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री मंगल सैन (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, श्री गुप्ता जी, जो उप–मुख्य मन्त्री भी हैं और साथ ही साथ लोकल बौडीज के मिनिस्टर भी हैं ने यह बिल हमारे सामने रखा है। इस बिल में इन्होंने यह फरमाया है कि अब कर्मचारियों के पे स्केल्ज बढ़ ग्हा हूँ और प्रशासक महोदय को जो। अधिकार कर्मचारियों को नियुक्त करने का था वह खान वेतन तक नियुक्ति करने का था। अव चूंकि वेतन बढ़ गए हैं इसलिए ये भी उस वेतन की लिमिट को बढ़ा रहे हैं। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो आपत्ति कर ही नहीं सकते। समर्थन तो करना ही करना है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर का लाभ उठाने हुए गुप्ता जी मे निवेदन करना चाहेगा कि नगरपालिकाओं के चुनाव तो सरकार ने करवा दिए लेकिन नगरपालिकाओं की जो स्थिति है, वह सभी को पता शै। जो प्रशासक महोदय बंसी लाल, गुप्ता जी पुराने समय में लगा गए थे, उस बारे में इन्हें अच्छी तरह पता होगा कि वे क्यों लगाए गए थे। उस समय इनकी और बंसी लाल जी की ज्यादा दोस्ती हुआ करती थी। कब नकी दोस्ती से हम भी इन्कार नहीं कर सकते

और ये भी इन्कार नही कर सकते। (विघ्न)उपाध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने बात फरमायी है कि इसमें संशोधन किया जाए। यह बिल इनोसेन्ट है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि आप उन नगरपालिकाओं में भी सुधार कीजिए। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनाइए। वहां पर आज भी नौकरशाही बैठी हुई है। वे ऐसा समझते है जैसे उनकी बपौती हो। वे लोग वहां पर पार्टीबाजी और गुटबाजी फैलाते हैं। कुछ कांग्रेस के भाइयों के दिमाग मे भी यह बात है कि वे आपस में टकरायेंगे तो हमारी बात भी बन जाएगी लेकिन उनको यह पता नही है कि हमारा खाना–पीना अलग है लेकिन हमारा लड़ना इक्ट्ठा है। जब काग्रेस पार्टी के साथ लड़ने की बात आएगी तो हम इकट्ठे रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फरीदाबाद में अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए उनके अन्दर रहने वाले मजदूरों का भी ख्याल करें। गुप्ता जी आप फरीदाबाद जाते रहते हैं, आपका लड़का व दामाद भी वहा रहते हैं। आप का परिवार तो बम्बई तक रहता है। (विघ्न)मैं भी जाता रहता हू। तो बहा के विकास के बारे में आप को सोचना चाहिए। फरीदाबाद एक विकसित होता हुआ नगर है। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जिन लोगों ने पंजाब और दिल्ली में उद्योय लयाए हुए हैं, वे भी वहा व्यवसाय के लिए जाते रहते हैं। वहां पर सारे देश भर के मजदूर आयु हुए हैं। वहां पर हर प्रान्त का निवासी जरूर मिल जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, कांग्रेस पार्टी की दोषपूर्ण आर्यिक नीतियों के कारण वे मकानों में नही रह पा

रहे हैं, वे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। उसका जिक्र श्री कुन्दन लाल भाटिया थी ने भी किया है कि वहां पर तीस हजार झोपड़ियां है। अकेले फरीदाबाद में हजारों मजदूर लोग रहते है। वहां पर अन–हैल्थी ग्रोथ हुई है। (विघ्न)डेमोक्रेसी के अन्दर जनता के प्रतिनिधि नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे कि किस को क्या तकलीफ है डिप्टी स्पीकर साहब, कई वर्षो से बहां पर चुनाव नहीं करवाए हैं। इसलिए वहा चुनाव करवाए जाए। नोमीनेमन करने का स्टाईल तो बंसीलाल का था। हमें तो वहां चुनाव का मौका देना चाहिए। जनता का भरोसा हमारे पर है। जनता में अविश्वास नहीं आना चाहिए। हमें वहां जनता के नुमाइन्दे चुन कर भेजने चाहिए। इसलिए वहां पर चुनाव होना चाहिए। वहां पर हर वर्ग के लोग आए हुए हैं। वहां पर छोटे व्यापारी, मजदूर और हर वर्ग के लोग आए हुए हैं और डिफरैन्ट प्रोफेशन्ज के लोग भी आए हुए हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश भर में नगरपालिकाओं को पैसा दे कर इनकी आर्थिक हालत को सुधारा जाए तथा उनकी वर्किंग में सुधार लाया जाना आवश्यक है। वैसे तो चौधरी धर्मवीर जी ने बड़ी हिम्मत और सूझबूझ से इस काम को सर अन्जाम दिया है लेकिन अव श्री गुप्ता जी के पास यह विभाग है जोकि बहुत ही ज्यादा वयस्त रहते हैं। हालांकि उप चुनाव नजदीक आ रहे है और उनका आने वाला समय ज्यादातर उधर लगेगा परन्तु मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वे इस ओर पूरा ध्यान देंगे ताकि स्वायत्त शासन को बढ़ावा दिया जा सके। जहां तक इस बिल के समर्थन का संबंध है, मैं भला इसका समर्थन करने से

इन्कार कैसे कर सकता हूं? (हंसी)इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो डाक्टर मंगल सैन जी ने काफी कुछ बातें कह दी हैं परन्तु फिर भी इस में मैं थोड़ी बहुत सप्लीमैंट करना चाहूंगा। वर्ष 1986– 87 में गन्दी बस्तियों में सुधार करने के लिए तीन करोड़ छयालीस लाख रुपए की राशि लोकल बाडीज को दी गई और पिछले वर्ष लोकल बाडीज के लिए एक करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया और आने वाले वर्ष के लिए भी अब एक करोड़ रुपए का प्रावधान ही रखा गया है। मैं समझता हूं कि लोकल बौडीज के डिस्पोजल पर बहुत ही कम राशि रखी गई है। यह राशि गरीब तबके के लोगों की गन्दगी दूर करने के लिए नाकाफी है। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार इस बात को उठाया है कि आजकल अनअथोराईज्ड आकुपेशन बहुत ज्यादा हो गए हैं। यदि इन नाजायज कब्जों पर कन्ट्रोल नही किया गया तो कस्बों और शहरों में स्थिति वहुत ही भयावह हो जाएगी। जैसे कि हमने चुनाव घोषणा–पत्र में भी कहा था कि जिन लोगों के पास जमीनें नहीं बै या जिनके पास सिर छिपाने के लिए कोई छत नहीं है उन लोगो को पहले भी प्लाट दिए जाते रहे हैं और अब भी दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चुनाव के समय हमारे नेताओं ने जनता से जो वायदे किए थे उन वायदों में भी यह कहा गया था कि हम बेघर लोगों को रहने के लिए मकान देंगे। हमारी सरकार इस वायदे को कब निभाएगी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि निकट भविष्य में ये वायदा

भी जल्दी ही पूरा होगा। (विघ्न)उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय गुप्ता जी ने जौ अमैंडमैंट प्रस्ताव दिया है, जो बिल पेश किया है, मैं इससे पूर्ण सहमति प्रकट करते हुए उसका समर्थन भी करूंगा। हमें यह नही भूलना चाहिए कि यह ऐक्ट वर्ष 1971 में बना था और आज तक सारी सरकारें इसी प्रथा को चलाती आई कि नोमिनेशन से काम चलाया जाए। किसी भी सरकार ने इनके चुनावों की ओर ध्यान नही दिया। हमारी सरकार को भी सत्ता में आए 9 मास हो चुके है और नौ महीने में तो एक नया जीव संसार में आ जाता हे लेकिन फरीदाबाद काम्पलैक्स या फरीदाबाद म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव सरकार ने नही करवाए जो कि अब तक करवा लिए जाने चाहिए थे। इसलिए इस कानून को खत्म करके नया कानून बना कर फरीदाबाद काम्पलैक्स के चुनाव शीघ्र ही करवाए जाएं और प्रशासन लोकल लोगो को संभाला जाए। जो मौजूदा अमैंडमैंट का प्रस्ताव है, इसकी आवश्यक्ता स्केल रिवीजन की वजह से हुई है। पहले सात सौ कम से कम सैलरी थी अब कम से कम 1640 और अधिकतम 3200 रुपए सैलरी रखी है। इनकी अप्यायंटमैंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटर करता है सरकार से पूछ कर। (विघ्न)उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात जब सरकार के पास आती है तो उस वक्त तक स्थिति बदल जाती हे। हम चाहते हैं यह भरती पब्लिक सर्विस कमिशन, एस० एस० एस० बोर्ड या ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज के जरिए हो। अव तक तो ऐसा था कि जिसको चाहे एम्पलायमैंट दे दी। इसका कोई सिस्टम होना चाहिए। अगर पिछली कांग्रेस सरकार का ही तरीका हम लोग

अपनाए तो हममें और उनमें क्या अन्तर होगा। इसलिए सर्विस में भरती करने के लिए नियम बना कर उनको लागू करना चाहिए। वर्तमान तरीका हमारी मर्यादाओं के खिलाफ है। हमने जो जनता को वायदा दिया था उसके भी विरुद्ध है। इस लिए नया कानून बना कर इस कम्पलैक्स के चुनाव करवाए जाएं। अब तो अधि कारियों को जनता को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वे किसी को भीतर बडने दें या न दें उनको कोई फर्क नही पड़ता लेकिन अगर वहां पर जन प्रतिनिधि होंगे तो वे ऐसा नही करेंगे। इस आशा के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हू।

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद): डिप्टी स्पीकर महोदय, गुप्ता जी ने सदन के सम्मुख जो बिल रखा है वह स्वागत के योग्य है। आज कल की कमर तोड़ मंहगाई के समय में जो सात सौ रुपया वेतन रखा हुआ था उसको इस जन सरकार द्वारा बढ़ाने का जो प्रावधान किया गया है यह इस सरकार का एक सराहनीय कदम है। इसके साथ साथ यह भी विचारणीय होना चाहिए कि कम्पलैक्स पर सरकार बहुत अधिक पैसा खर्च. करती है और कम्पलैक्स के द्वारा सारी की सारी शक्तियां सरकार के पास हैं लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की अन डिवैल्पड ग्रोथ, अन–प्लांट ग्रोथ कम्पलैक्स के अन्दर है, वह शायद हरियाणा के और किसी हिस्से में नही मिलेगी। वहां पिछले दिनों ऐस्टीमेटस कमेटी ने टाउन एड कटरी प्लानिंग विभाग औरे हुड्डा की इन्स्पैक्शन के मामले में दूर किया था। उस समय सड्कों की

हालत तथा अनाधिकृत निर्माण मौके पर औफिसर्ज को दिखाया गया था। कितने ही कौलोनाईर्ज इस प्रकार से ओपनली अपना बिजनैस चला रहे हैं और इस तरह से अन–प्लान्ड ग्रोथ हो रही है। फरीदाबाद कम्पलैक्स में लोगों ने काफी ऐन्क्रोचमैंट कर ली है। इतना बड़ा खुला शहर होने के बावजूद भी अभी तक पिछले 9 महीने के दौरान कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है। हां, लोकल गवर्नमैंट ने फतेहाबाद में एक ही दिन में सारे के सारे मुझे मालूम नहीं किसकी आज्ञा से, गरीब लोगों ने जो अपनी जमीन पर छप्पर डाले हुए थे, उखाड़ फैके। मैं आपके माध्यम से यह प्र करना चाहूंगा कि एक तो जो कानून लागू होन के दि न से आज तक लाग नही हो स का और पू रे हरियाणा के अन्दर अन–प्लान्ड ग्रोथ बढ़ रही है, उस पर भी विचार किया जाये कि आया इस तरह के बड़े शहरों में बड़ी कीमतो के कारण क्या गरीब जनता कभी प्लौट खरीद पायेगी? उसके लिये सरकार को हमारी ऐस्टीमेटस कमेटी ने भी सुझाव दिया है कि 50– 50, 60– 60 गज के प्लौट झुग्गी झोपड़ी वालों के लिये बनाये जायें। इसके साथ साथ मैं एक सुझाव दूगा कि यह जो कौलोनाईजर्ज एक्ट खास तौर पर डिवौइल्पंग सिटीज के लिए बना हुआ है, उसमें भी अमैंडमैंट की जाये क्योंकि इस कानून को, हमारी पहले भी तीन साल तक सरकार रही है जनता पार्टी की और कांग्रेस क पूरा शासन भी, इसको लागू नहीं कर पाया है। बड़े शहरों में हुड्डा की मांनोपली के कारण आज प्लाट्स बहुत महंगे हो रहे हैं। इस कारण से वहां पर झुग्गी–झोपड़ी मे गरीब ले लोगो को रहने के

लिये मजबूर होना पड़ रहा है। वह कानून भी इस काम्पलैक्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यह कानून वहां पर लागू नहीं हो सकता जहां पर सरकार के पास सारी शक्तियां हैं, तो वह छोटे–छोटे शहरों में दे हाती इलाकों में और छोटे शहरों के पास कट्रोल्ड एरिया में कैसे लागू हो सकेगा। उसमें मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि शहरों के अन्दर एक टी० पी० स्कीम लागू हैं। उसमें कोई भी व्यक्ति अपने एक एकड़ रकबे को टी० पी० डिपार्टमैंट से फ्री प्लानिंग करवा कर उसके प्लांट काट कर बेच सकता है। अगर उस टी० पी० स्कीम को एक एकड़ से बढ़ा कर दस एकड़ तक कर दिया जाये और कन्ट्रोल्ड एरिया मे उसको 50 एकड़ तक कर दिया जाये तो उससे यह लाभ होगा कि पैसा जनता का लगेगा, भूमि खरीदने पर और उसकी डिवैल्पमैंट पर जनता का पैसा लगेगा और बहुत जल्दी आम लोगों को इन बड़े डिवैल्पिंग सिटीज में सस्ती दर पर रहने के लिये प्लांट मिल जायेंगे क्योंकि हुड्डा के एक एक प्लौट की इस बार गुड़गांव में दो महीने पहले जो लाटरी निकाली गयी थीं, उसमें डेढ़ लाख का प्रीमियम चल रहा है। ब्लैक चल रही है। हमारी सरकार एक क्रान्तिकारी परिवर्तन द्वारा इस ब्लैक को समाप्तं करे। यह तभी हो सकती है यदि जैसे सने 1963 में जो कौलोनाईजर्ज को बैन किया गया था, इसको रिव्यू करने के लिये कोई कमेटी बनाकर उसमें इस तरह की कोई अमैंडमैंट की आये। इससे बड़े बडे शहरों फरीदाबाद जैसे शहरों मे सस्ते प्लौट लोगों को मिल सकेंगे और अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का मौका नही मिलेगा। जिस तरह से झूठे इल्जाम सरकार पर

लगते रहे हैं वह नहीं लगेगें और इसके साथ साथ म्यूनिस्पिल कमेटीज मे पिछले दिनो इतनी बड़ी धाधली रही है, वह आगे नहीं चल पायेगी। किसी कमेटी में इस तरह की धांधली नही चल रही है, इस बात की तसदीक के लिये कोई इस तरह का डिपार्टमैंट मे ही विजीलैंस का महकमा एक ईमानदार अधिकारी के सुपुर्द बना दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे फतेहाबाद में इस प्रकार की प्रथा रही है कि झूठे बिल बनाकर उनका भुगतान होता रहा है। यह भुगतान लाखों रुपए का होता रहा है। मैं चाहूंगा कि इस तरह का काम आगे न हो। इसके लिए वही से इंक्वायरी शुरू की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद म्यूनिस्पिल कमेटी की भूमि पर चौधरी भजन लाल के आदमियों ने कब्जा किया था और उस भूमि को हड़प लिया था, उसकी इंक्वायरी हुई थी। मैं चाहूंगा कि उस इंक्वायरी की रिपोर्ट पर ऐक्शन लिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का इन सुझावों के साथ समर्थन करता हू।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर आपने मुखे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हू। फरीदाबाद कम्पलैक्स के बारे जो बिल आया है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं सब से, पहले तो यह कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद कम्पलैक्स में चुनाव हो जाने चाहिएं और अगर इस समय चुनाव कराना सम्भव न हो तो वहां के विधायक से सलाह करके लोगों को नौमिनेट किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में झुग्गी झौंपडियों की बहुत बुरी हालत है। मैं

अपने बड़े भाई डा० मंगल सैन को उन झुग्गी झौपडियों में ले गया था और इन्होंने उनकी बुरी हालत देखी थी। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर झुग्गी झौपडी वालों को नक्शे के हिसाब से पचास पचास गज के प्लाट दिए जाने चाहिएं और इनश्योरैंस कम्पनी से उन लोगों को कर्जा दिलवाया जाए जिससे कि वे लोग मकान बना सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, जब फरीदाबाद में चुनी हुई कमेटी थी तो उस समय दो मन्जिल तक पीने का पानी पहुंचता था लेकिन जब से बंसी लाल के आदमी वहां बैठे हैं तव से केवल दो फुट ऊचाई तक पानी लोगों को पहुंचता है। लोगों को वहा पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ऊपर की मन्जिल में जो लोग रहते हैं उनको तो पानी मिलता ही नहीं है। चौधरी देवी लाल जी बल्लभगढ़ जा रहे है। मन्त्री महोदय ने बताया था कि फरीदाबाद के लिए साढ़े दस करोड़ रुपए की कोई स्कीम सैक्शन की है। मैं चाहूंगा कि जब चौधरी साहब वहां जा रहे हैं तो उस स्कीम का उद्घाटन उन्हीं से करवाया जाए और उस स्कीम पर जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाए। इससे वहा पर पानी की हालत सुधरेगी और लोगों को जो दिक्कत आ रही है वह दूर हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल ने इस बारे में एक विशेष नारा दिया था कि बिजली पानी का प्रबन्ध और भ्रष्टाचार बन्द। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि फरीदाबाद में पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाए। मैं इतना कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हू।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो फरीदाबाद संव्यूह (विनियमन तथा विकास)अधिनियम, 1971, को संशोधित करने के लिए विधेयक रखा गया है उस पर मैं अपने विचार तथा सुझाव देने के लिए औत उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ वहां से करना चाहता हू जहां से हमारे वरिष्ठतम सदस्य डा० मंगल सैन ने गुप्ता जी को सम्बोधित करते हुऐ इस विषय में अपने विचार रखे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फरीदाबाद से सम्बन्धित हु और यह जो संशोधन विधेयक यहा पर लाया गया है वह भी हमारे फरीदाबाद कम्पलैक्स से सम्बन्धित है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर कई समस्याएं व लोगों की कठिनाइयां हैं उन से वहां के स्थानीय लोग और स्थानीय विधायक भी प्रभावित होते हैं। निश्चित रूप से इसका प्रभाव रोजगार और वहां के विकास पर पड़ता है। इस सशोधन विधेयक के अन्तर्गत फरीदाबाद कम्पलैक्स मे नियुक्तियां करने का तथा तनख्वाहें कम से कम 700 से 1640 और अधिकतम 1700 से 3200 बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है उसका मैं अनुमोदन करता हू।

इस बिल के अन्तर्गत मुख्य प्रशासक को वहां पर सरकार अपनी सलाह से नयी नियुक्तियां करने की शक्ति दे रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज से पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए

उसमें ऐसा रहा है कि कुछ निश्चित लोगो की कुछ व्यक्ति विशेष के माध्यम से कांग्रेस शासन में नियुक्तियां की जा रही थी। मैं समझता हुं कि उसके बाद भी अगर यह शक्तियां उसी तरह से दी जाती रहीं तो फिर वही प्रतिक्रियाएं जारी रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिये वही रोजगार का अवसर पहले ही कम है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास शिक्षण सुविधाएं पहले ही कम है। उनको फरीदाबाद शहर की चमक दमक के बाद भी वह शहर दिखाई नही देता। जैसे हमारे पूर्व मन्त्री और दूसरे साथी कह रहे थे कि एक मन्त्री फरीदाबाद शहर बहुत जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे अधिकांश मन्त्री टूर तो कर ही लेते हैं। हमने कई मन्त्रियों से आग्रह किया है कि आप हमारे यहां आए लेकिन फरीदाबाद शहर से आगे की तरफ पिछड़े वर्ग के क्षेत्र मेंजाने का अवसर इन लोगों ने हमें कम ही दिया है। फरीदाबाद तक जाने का कारण तो फरीदाबाद की चमक दमक ही हो सकता है या दिल्ली के नजदीक होने का हो सकता है। लेकिन मैं यह आग्रह करूंगा कि फरीदाबाद कम्पलैक्स में जो रोजगार मो साधन उपलब्ध हैं और नियुक्तियों का जो प्रावधान इस बिल के जरिये रखा गया है उसमें अगर रोजगार कार्यालय द्वारा या पब्लिक सर्विस कमिशन या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा करेंगे तो निश्चित रूप से प्रक्रिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों मे बसने वालों को भी फरीदाबाद कम्पलैक्स जैसीं जगह पर नियुक्त होने का अवसर मिलेगा। वहां ग्रामीण क्षेत्रो से काफी आदमियों को रोजगार का अवसर मित्र सकेगा। बाकी जैसे स्वाभाविक है कि सभी को इस बिल का

अनुमोदन करना है हम सभी इस के अनुमोदन के लिये खड़े हुए है। इसके अतिरिक्त गुप्ता जी से विशेष रूप से आग्रह करता हू कि वे फरीदाबाद की समस्याओं को जल्द? ही सुलझाएं। फरीदाबाद शहर के अतिरिक्त पूरे फरीदाबाद जिले का ध्यान रखें और वहां पूरे रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए। इन बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं। जय हिन्द।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने जो संशोधन विधेयक पेश कया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खडा हुआ हू। उसमें कोई आलोचना की तो गुजाइश ही नहीं गै। जहां तक फरीदाबाद कम्पलैक्स की कुछ जो समस्याए और कम्पलैक्स के एरिया में जो सर्वांगीण विकास की प्रक्रियाएं हैं, मैं उसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी और सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से यह जानते हैं कि फरीदाबाद कम्पलैक्स देश की एक मशहूर औद्योगिक नगरी बन गया है और यहां उद्योग बढ़ा है लेकिन दिल्ली के नजदीक होने के कारण उसका सर्वांगीण विकास कई कारणों की वजह से दही हो सका है। इसका कारण यह है कि जहां उद्योग मे फरीदाबाद की जनता के लिये अनेक फायदे हुए हैं वहां नुक्सान भी हुआ है। उद्योगों की गति तेजी से बढी है। उद्योग लगाने के लिये दुनिया भर के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंचें हैं लेकिन उन वर्क रों की रहने की व्यवस्था को हम अच्छी तरह से कंट्रोल नही कर पाए हैं। आज झुग्गी झोपड़ियों का वहां पर इस कदर

बोझ बढ़ गया है कि आज लगभग 30 हजार के करीव झुग्गी झोंपडी वाले वहां पर रह रहे हैं जिनका रहने का कोई खास इन्तजाम नहीं है। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मेरे से पूर्व बोलने वाले मेरे साथियों ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। फरीदाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर झुग्गी–झोपड़ी बसी हुई हैं और वे कम्पलैक्स के एरिया में हुड्डा की बडी कीमती जगह पर बसी हुई है। इसके लिए मैं कहूंगा कि एक कमेटी बना दी जाए जो इस बारे में ऐग्जामिन करे और उन झुग्गी झोंपडियों को तीनों जोन में जो जगह पड़ी है वहां पर शिफ्ट करे जिससे फरीदाबाद शहर की खूबसूरती बरकरार रह सके। उन झुग्गी झोपड़ियों मे रहने वाले लोगों के लिए जगह भी बनाई जा सकती है। इस काम को करने के लिए एम० एल० एज० और वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बना दी जाए और वह कमेटी यदि इस बोरे में ऐग्जमिनेशन करे तो बहुत ही बड़ी काम हो सकती है।

इसके अलावा मैं फरीदाबाद की डिवैल्पमैंट के बारे में कहना चाहूंगा। फरीदाबाद के अन्दर प्राइवेट कौलोनाईजर्ज ने विना लाइसैन्स के धड़ाधड़ अनअथोराइज्ड कालोनीज बना दी हैं। उससे किसानों को तो लैण्ड एक्विजीशन के कम्पसेशन का फायदा हुआ है लेकिन प्रशासन के लिए अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं और वहां पर स्लम एरिया बना हुआ है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि कानून में संशोधन किया जाए और जब किसी लैड को एक्वायर करने के लिए दफा 4 लगाई जाए तो उसके

साथ दफा 6 भी लगाई जाए क्योंकि दफा 4 लगाने से केवल जमीन पर कंस्ट्रक्शन की पाबन्दी होती है सेल परचेज की पाबन्दी नही होती इसलिए धड़ाधड़ रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। जब उस जमीन पर मकान बनने शुरू होते है तो उस समय राजनीतिक लोग उनको बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। इस बारे मे मैं कहना चाहूगा कि जिस समय दफा 4 लगाई जाए उसके साथ साथ दफा 6 भी लगा दी जाए ताकि कंट्रोल्ड एरिया पर नाजायज तामीर न हो सके। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि प्राइवट कालोनाइजर्ज के लिए सरकार जो स्कीम चला रही है वह कोई गलत काम नही है। उससे अन अथोराइज्ड कालोनीज बनने से रोकी जा सकती हैं लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उसके अन्दर एक पाबन्दी जरूर रखें कि उसमें हुड्डा के जो रेट्स हैं उनसे ज्यादा रेट्स न होने दें। इसके अलावा मैं फरीदाबाद के उद्योगों के बारे में कहना चाहूंगा। फरीदाबाद में जिस तेजी के साथ उद्योग बढ़ है उतनी ही तेजी के साथ वहां की आबादी बढ़ी है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद में उद्योंगों की बढ़ने की गति को इस तरह से न बढ़ने दिया जाए क्योंकि इस तरह से जहां पर आबादी की समस्या पैदा होती है वहां पर ला एंड आर्ड र की समस्या भी पैदा होती है। इसलिए उद्योगों को प्रान्त के छोटे शहरों में भी बढाया जाए ताकि वहां के देहातों को बैनिफिट मिले। एक बात डाक्टर साहब ने म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनावों के बारे में कही। मैं भी कहता हूं कि वैसे तो इस सरकार ने वायदे के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटीज के चुनाव

करवा दिए लेकिन फरीदाबाद कम्पलैक्स के चुनाव नहीं कराए। उसके भी चुनाव करवा दिए जाएं। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि तब तक उस एरिया का र्स्वीगीण विकास नहीं हो पाएगा जब तक उस एरिया में जनता द्वारा चुने हुए नुमायंदे उसकी सही नुमायंदगी नहीं करेंगे। इसलिए फरीदाबाद कम्पलैक्स के भी चुनाव करवाए जाने चाहिएं। फरीदाबाद कम्पलैक्स के एरिया में तीसियो गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी पिछले 14 साल में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। जब भी हुड्डा वाले इन गांवों की जमीन ऐक्वायर करते हैं उस समय उन गांवों के लाल डोरे को बढ़ाने की व्यवस्था नही करते हैं। इसलिए उन गांवों में ऐसे हालात पैदा हो गए है कि उन गांवों के लोग कोर्ट में आ गए हैं तथा उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है सरकाए से मेरी प्रार्थना है कि उन गांवों के लाल डोरे को बमने की व्यवस्था की जाए। इसके. अलावा मैं यह भी कुहना चाहूंगा कि जब उन गांवों के लोगों की जमीन ऐक्वायर की जाए? उस समय उनके सिरा –एक ऐसा एरिया छोड़ा जाए जहां पर उनको प्लाट्स दिए जा सकें। एक बात मैं यह भी कहना? चाहूंगा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम और दूसरे प्रोग्राम के मुताबिक वहां पर लैंडलैस लोगों को रिहायशी प्लाट्स देने के मारे में कुछ गौर हुआ था लेकिन बदकिस्मती से वह बात खटाई में पड गई। उन 30 गांवों में जो हरिजन तबका आबाद है उनको पिछले 14 साल मे प्लाटस देने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन गांवों की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढती जा रही है और यहां पर जमीन भी काफी पड़ी है इसलिए उन लैडलैस

हरिजनों को भी रिहायशी मकानों के लिए सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ मैं एक और थोड़ी सी राय देना चाहता हू कि कम्पलैक्स हुड्डा और दूसरे महकमों का आपस में कोई को–आर्डीनेशन नहीं हुँ। बिजली का काम किसी को करना पड रहा है तो पानी का काम किसी को करना पड रहा है जिसकी वजह से लोगों को कठिनाई आती है। इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि इसका कुछ एरिया बढ़ा कर यदि कार्पोरेशन बना कर एक फरीदाबाद डिवैल्पमैंट अथोरिटी के नाम पर बौडी बना दी जाये तो बहा का सर्वांगीण बिकास हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

18.00 बजे

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद कम्पलैक्स का जो विधेयक है, यह 1971 में बना था। आज इसमें साधारण सी अमैंडमैंट लाई गई है। इतनी लम्बी चर्चा इस साधारण से संशोधन पर हो, इसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी लेकिन डाक्टर साहब, इस अमैंडमैंट पर बोले। डाक्टर साहब के बोलने की अपनी शैली है, उनका अपना तरीका है। ने अच्छे ढंग से बोलने हैं और बड़ी मजेदार चुटकियाँ लेते हैं। मेरी दोस्ती, मेरे परिवार और रिश्तेदार सभी बीच में उनके बोलते हुए आ गए थे लेकिन इसके साथ साथ डाक्टर साहब ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। उनके बड़े उपयोगी सुझाव हैं। यद्यपि इस

संशोधन का इन सध बातों से कोई संबंध नही था लेकिन सुझाव अच्छें हैं और हर विधायक जब भी उसे कोई अवसर बोलने का मिलता है किसी विषय पर तो बह अपने विचार अधिक से अधिक उस विषय पर प्रकट करने की कोशिश करता है। यह एक स्वाभाविक सी बात है, उन्हें बोलना भी चाहिए। जितने भी आज माननीय सदस्यों के सुझाव यहां पर आये हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैं इस अमैंडमैंट के बारे में करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो पुराना ऐक्ट कम्पलैक्स का है उसमें वो मुख्य प्रशासक है उसको कर्मचारियो को निश्चित वेतन तक रखने का अधिकार दिया हुआ है। रावत साहब कह रहे मे कि यह अधिकार आज दिया जा रहा है मैं उन्हे बताना चाहूंगा कि यह अधिकार आज नही दिया जा रहा बल्कि पहले से ही दिया हुआ है। पहले मूख्य प्रंशासक को 700 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक वेतन वालो को नियुक्त करने का अधिकार था। सभी को पता है कि पिछले दिनों फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट लाग की गई है जिसकी वजह से सबके वेतनमानों में संशोधन हो गया है और इसी वजह से यह संशोधन लाया गया है। अब कम से कम 700 की बजायें 1640 और ज्यादा से ज्यादा 1700 की बजाये 3200 रुपये तक वेतनभोगी अधिकारियों/ कर्मचारियों को मुख्य प्रशासक को नियुक्त करने का अधिकार इस संशोधन के जरिए दिया जा रहा है। यह भी इस लिए हुआ कि फोर्थ पे कमीशन की सिफारिश लागू करने की वजह से तनख्वाहे बढ गई है। उपाध्यक्ष महोदय जो सुझाव आये है उन पर मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा।

यहां पर बोलते हुए आर्य साहब ने कहा कि किसी एक नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मैं भी इनकी बात से सहमत हूं लेकिन मैंने पहले भी इस सदन में एक प्रश्न का उत्तर देतें हुए बताया था कि यहां पर कम्पलैक्स के चुनाव बाद में किसी निश्चित अवधि के बाद करवा दिये जाएगे। हमेशा वहां पर ऐसा ही ढांचा नहीं चलेगी। जो विधेयक है, उसमे संशोंधन किया गया था कि वहां पर एक निर्धारित अवधि के बाद 1990 तक चुनाव करवा दिए जाएंगे। चुनाव करवाये जाने के बाद जो इलैक्टिड बोडी वहां पर चुनी जायेगी या जो कमैटी वहां पर चुनी जायेगी उसको फिर यह नियुक्ति का अधिकार होगा या इस अधिकार को सरकार अपने हाथ में रखेगी। इस बात कों सदस्यों को समझना चाहिए कि लोगों के द्वारा चुनी हुई बोडी जो बनेगी उस कम्पलैक्स की यह कम्पलैक्स की वा कार्पोशन बनेगा उसको अधिकार दिए जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, समय समय पर विचार होता रहेगा और जो सुझाव माननीय सदस्यों के आते रहेंगे उन के आधार पर संशोधन भी किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां झुग्गी झोपड़ियों की बात भी आयी। डिप्टी स्पीकर साहब डाक्टर मंगल सैन ने हीरा नन्द जी ने और श्री बलबीर सिंह चौधरी ने झुग्गी इस लिए हुआ कि, फोर्थ पे कमीशन की सिफारिश लागू करने की वजह से तनख्वाहें बढ़ गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव आये है उन पर मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। यहां पर बोलते हुए आर्य साहब ने कहा कि किसी एक व्यक्ति को नियुक्ति का अधिकार नही दिया जाना चाहिए। मैं भी इनकी बात से सहमत हू लेकिन मैंने

पहले भी इस सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बतांयो था कि वहां पर कम्पलैक्स के चुनाव बाद में किसी निश्चित अवधि के बाद करवा ओदऐ जाएंर्गे। हमेशा वहां पर ऐसा ही ढांचा नहीं चलेगा। जो विधेयक है, उसमेँ संशोधन किया गया था किं वहुऐां पर ण्क निर्धारित अवधि के बाद 1 हं 9० तइक चुनाव केरवा दिए जाएंगे। चुनाव करवाये जाने के बाद जो इलैक्टिड बोडी वहां पर चुनी जायेगी या जो कमेटी वहां पर चुनी जायेगी उसेकों फिर यह – नियुक्ति का अधिकार होगा या इस अधिकार को सरकार अपने हाथ में रखे गी। इस बात ह को सदस्यों को समझना चाहिए कि लोगों के द्वारा चुनी हुई बौडी जो वनेगी उस कम्पलैक्स की था. – कापे रेशन बनेगा उसका ये अधिकार दिए जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, समय समय वे विचाररू होता रहेगा और जो सुसाव माननीय सदस्यों के आते रहेंगे उन के आधार पर संशोन्न भी किया जा सकता है। – उपाध्यझ महोदय,. यहां झुग्गी – झोपडियों की बात भी आयी। डिप्टी स्पीकर साहब, डाक्टर मंगल सैन ने, हीरा नन्द जी ने और श्री दलकर सिंह चौधरी ने खुग्गी झोपड़ियों का जिक किया। इसके अलावा रावत साहब ने और श्री भाटिया जी नें भी जिक्र किया। इसमें कोई सन्देह नही किं वहां पर हैजर्ड डिवैल्पमैंट हुई है। वहां दर जो झुग्गी झोपड़ियां बनी है वे बढ़ते हत फरीदाबाद पर एक बदनुमा धब्बा है। उसे हमें साफ करना चाहिए। जहां तक संभव हो सकें उनके लिए अच्छे मकान बनाये जाने चाहिए। कम से कम उनकी उतनी सुविधा तो दी जानी चाहिये जो एक इंसान के लिए जरूरी हैं। इस बारे में एके प्रश्न का उत्तर देते

हुए यह बात बतलायी थी कि हरियाणा सरकार ने एक नीति बनायी है कि उप झुग्गी झोपडी वालों को कोई विकल्प स्थान दिया जाये। इसे बरसे पर सरकार गहराई से बिचार कर रही है। कुछ सुझाव श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की ने भी रखे थे और श्री कुन्दन लाल भाटिया ने भी रखें थे। मैं उन्हैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो विधायक फरीदाबाद कम्पलैक्स से सम्बन्धित है चाहे वे फरीदाबाद मेवला महाराजपुर और बल्लभगढ़ से चुन कर आये है उनके साथ एक मींटिंग करनी है। मैने वहां के चीफ ऐडमिनिस्टेरटर से बात की थी और काफी लम्बी बात की थी कि आप मुझे यहां की समस्याओं के बारे में बतायें। उनसे बातचीत करके मैंने 29 अप्रैल को 11 बजे एक मीटिंग बुलायी है जिसमें वहां की समस्याओं के बारे में विचार किया जायेगा। मैं वहां के तीनों विधायकों को आमन्त्रित करूंगा कि वे वहां पर आयें। वहां पर हुड्डा और काम्पलैक्स के अधिकारी भी होंगे। मैंने वहां लोकल बाडीज के प्रदेश स्तर के अधिकारी भी बुलाये है। वहां की झुग्गी झोपड़ियों और पानी आदि की जो भी समस्याएं है, उनके बारे में वहां विचार करेंगे। एक बात चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने बतायी और उसको मैं भी महसूस करता हूं कि वहां परं हुड्डा और कम्पलैक्स होने की वजह से दोनों का आपस मे कोआर्डीनेशन नही है। ड्यूल पालिसी चलती है। कोई भी विकास योजना को लागू करने में बडी दिक्कत आती है। मेरा विचार है कि जिस प्रकार से दिल्ली डिवैल्पमैंट अथोरिटी और गाजियाबाद डिवैल्पमैंट अथोरिटी है इसी प्रकार की एजेन्सी फरीदाबाद में भी बनायी जानी चाहिए।

जिस प्रकार से नगरपालिका और हुड्डा के अख्तियार हैं इसी प्रकार ने इस एजेन्सी के हों। इसलिये मैंने 20–25 दिन पहले वहां के अफसरों को कहा है कि आप गाजियाबाद और दिल्ली में जा कर देंखे ताकि फरीदाबाद में यह सुधार किया जा सके। जो तरीका काम करने का वहां है या जो ऐक्ट उन्हेने पास किया है उसी पैट्रन के अन्दर हम फरीदाबाद में भी ऐसी अथोरिटी बना सकें थिससे समय फरीदाबाद का विकास हो सके और वहा पर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनका विकास हो सके। फरीदाबाद की हैप हैजर्ड डिवैल्पमैंट हुई है, यह हमने पर लानत है।

मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग सम्पत्ति का व्यवसाय करते हैं, जिन्हें प्रापर्टी डीलर करते भै। वे एक ऐसे तरीके से काम करते हैं हैं कि वे न ऐक्ट की परवाह करते हैं और न ही सरकार की परवाह करते हैं। वे भोले–भाले किसानों से जमीन खरीद लेते हैं, उसकी अपने नाम रजिस्ट्री भी नही करवाते हैं। पैसा देकर ब्याना दे देते हैं और जमील का सौदा कर लेते हैं। जहां तक रजिस्ट्री का ताल्लुक है, रजिस्ट्री सीधे प्लाट होल्डर के नाम करवा देते हैं। यह समस्या वास्तव मे बहुत ही गम्भीर है। कठिनाई से सिर छिपाने के लिये मकान बनानें के जमीन मिलती है और लोग सस्ती मंहगी जैसी भी जमीन उपलब्ध ही खरीद लेते है और बिना किसी योजना के वहां अपने मकान बना लेते हैं। इस प्रकार से स्लम ऐरिया क्रियेट होते हैं। फरीदाबाद में बहुत सी जगह ऐसी ग्रोथ का स्कोप ज्यादा था।

कई अन्य नगरों जैसे रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा आदि में भी आज इस प्रकार की अन–अथोराईज्ड कालोनीज बन गई हैं और यह अब भी बढती ही जा रही है। अनाधिकृत सम्पति विक्रेता अपनी जेब में पैसा डाल कर चले आते हैं और इन अनाधिकृत कालोनाईजर्ज की ऐक्ट की अवहेलना करने की कोई सजा भी नहीं दी जा सकती क्योंकि वे इस पिक्चर में कहीं आते ही नही और जमीन खरोदने वाले के नाम सीधी ही रजिस्ट्री होती है। प्रौपर्टी डीलर अपने नाम रजिस्ट्री करवाते ही नहीं रजिस्ट्री सीधे प्लाट होल्डर के नाम से होती है। इन अनाधिकृत कालोनियों में किसी प्रकार की नागरिक सुविधाए उपलब्ध नहीं होती। न वहां पर न सीवरेज है, न पानी है और न ही बिजली आदि की सुविधा वहां पर उपलब्ध होती है। जब चुनाव आते हैं, चाहे वे नगरपालिका के चुनाव हों, चाहे विधान सभा अथवा लोक सभा के चुनाव हों और हमारे जैसे लोग वहां वोट मांगने जाते हैं तो वे हमारे गले पड़ते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है? न यहा पानी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, न नालियों और सड्कों का कोई प्रबन्ध है। हमारे जैसे लोग उन लोगों से वायदे करते है कि आप हमें वोट दीजिए हम आपको ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जब सरकार बनती है तो फिर चारों तरफ से प्रैशर पड़ता है कि इन अनाधिकृत कालोनियों को रैगुलर किया जाए। इस प्रकार ये समस्या बडी गम्भीर बनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस समस्या से पूरी तरह अवगत है और यह कोशिश कर रही है कि इस लानत को किसी प्रकार से रोका जाए।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि उद्योगों की गति को रोका जाए लेकिन उद्योगों की गति को तो हम और भी बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि जब तक प्रदेश का औद्योगिकरण नही होगा, प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकेगा। कृषि क्षेत्र के साथ उद्योगों का विकास होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो युवक बेरोजगार हैं, उन सभी को सरकार न तो नौकरियां दे सकती है और न ही रोजगार प्रदान कर सकती है इसलिए जितने उद्योग धंधे हमारे बढ़ेंगे हमारे युवकों को उनमें अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे (विघ्न)जहां तक डिसैन्टरेलाईजेशन की बात है, फरीदाबाद के आसपास के कई शहरों में औद्योगिक बस्तियों का विकास हुआ है जैसे कि धारुहेड़ा में नई औद्योगिक बस्तियां बनी हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे स्थान हैं जहां उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की पूरी कोशिश की जा रही है।

चौधरी बलबीर सिंह जी ने कहा है कि झुग्गी–झोपड़ियों को किस के आदेश से गिराया गया है। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है और न ही हम ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है। इस बारे चौधरी साहब के पास यदि कोई सूचना है तो बताए। यदि कोई सख्ती की गई होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। जहां तक फरीदाबाद में चुनाव करवाए जाने का सम्बन्ध है, इस बारे में भी मैंने बताया था कि जब से वह ऐक्ट बना है, इस में यह प्रोविजन है कि एक ऐडवाइजरी कमेटी बनाई जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय वर्ष 1971 से ले कर जब से यह विल पास हुआ

है अब तक किसी भी सरकार ने यह ऐड– बाइजरी कमेटी बनाने की बात नहीं सोची। हमारी सरकार ने सोचा है कि जब इस ऐक्ट में ऐडवाइजरी कमेटी बनाने का प्रावधान है तो क्यो न ऐडवाइजरी कमेटी बना कर प्रजा के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया. जाए ताकि प्रजा के लोग अपनी राय से वहां का काम काज चला सकें। इसलिए हमने कदम उठाया है कि जब तक चुनाव नहीं होते चालीस व्यक्तियों को हम, मनोनीत करेंगे जो हमारे विधायक और अन्य जन–प्रतिनिधि हैं, उनको कांफिडैन्स में ले कर उनसे परामर्श करके एक सब–कमेटी का गठन किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मे निवेदन करूंगा कि इस संशोधन मिल को पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill .

The motion was carried.

Clause I

Mr. Deputy Speaker : Question is -

That clause 1 stand part of the Bill,

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the BM.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is--That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the Deputy Chief Minister will move that the Bill be passed.

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय मैं अनुरोध करता हू –

कि बिल पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved.

That the Bill be passed.

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मन्त्री जी ने कहा हैं कि चुनाव करवाने मे अभी दो साल लगेंगे। मैं जानना चाहता हू कि दो साल क्यो लगेंगे पहले क्यों नहीं करवा देते?

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे मे मैं पहले ही पोजीशन क्लीयर कर चुका हूं।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed .

The motion was carried.

श्री उपाध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

18.18 बजे

(तत्पश्चात् सदन मंगलवार, दिनांक 5— 3— 1988 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)।